खण्ड-150, अंक-4
गुरूवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(3 मार्च, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 150 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश

बृहस्पतिवार, ३ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री

गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गँदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पान्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रीतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री

बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूत, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती

सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री,
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, ३ मार्च, १९५५

तारांकित प्रश्न

ग्राम पकड़ी, जिला आजमगढ़ में मल्लाहों और ठाकुरों में संघर्ष

*१--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को सूचना मिली है कि ग्राम पकड़ी, थाना घोसी, जिला आजमगढ़ के भूतपूर्व जमींदारों ने संगठित हो हथियारों से गत २३ मार्च, को उसी गांव के मल्लाह किसानों पर हमला किया और उन्हें लूटा ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--जी नहीं, लेकिन भारतीय दण्ड विधान की धारा ३२४ के अन्तर्गत एक रिपोर्ट मल्लाहों ने कुछ ठाकुरों के खिलाफ २३ मार्च, १९५४ को थाने में लिखाई थी और उसी दिन ठाकुरों की ओर से मल्लाहों के खिलाफ एक रिपोर्ट भारतीय दण्ड विधान की धारा १४८/३२३ / ३२४ / ३२५ के अन्तर्गत थाने में लिखाई गई थी।

*२--श्री झारखंडे राय--अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उक्त दोनों मुकदमें अदालत में भेजे गये जहां से पहिला मुकदमा छूट गया और दूसरे मुकदमें में २१ मल्लाहों को सजा मिली।

*३--श्री झारखंडे राय--क्या यह सही है कि पुलिस थाने में इस डाके की रिपोर्ट नहीं ली गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--दोनों दलों ने लिखित रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी, डाके की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कुल कितने ठाकुरों पर, मुकदमा इसके सम्बन्ध में चलाया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जितने उसमें लिखाये गये थे उन्हीं के खिलाफ मुकदमा चला। तादाद तो मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मल्लाहों को कितनी कितनी सजा हुई है?

श्री अध्यक्ष---२१ मल्लाहों को सजा मिली। क्या अलग-अलग आप पूछना चाहते हैं?

श्री झारखंडे राय---कितनी सजायें हुई हैं, कितने महीने की?

श्री जगनप्रसाद रावत---कुछ तो मेरे पास हैं। इस मुकदमें में प्रत्येक मुलजिम को २० रुपया जुर्माना दफा ३२३ में हुआ। २० रुपया जुर्माना दफा १४८ में, २० रुपया जुर्माना दफा ३२४ में और तीन महीने की सजा ३२५ में दी गयी और तीस रुपया जुर्माना किया गया। जुर्माना न देने पर १ महीने की हर दफा में सख्त सजा।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पास मल्लाहों के घर जलाये जाने की भी सूचना है?

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सवाल सजा देने के बाद उनके घर जलाने का है, या पेश्तर का है?

श्री झारखंडे राय---सवाल तो पहले का है।

श्री अध्यक्ष---तो मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं क्योंकि मामला अदालत में फैसल हो चुका है।

टाउन एरिया दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ के निवासियों का बिजली के लिये आवेदन पत्र

*४---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या विद्युत-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया दोहरी घाट, जिला आजमगढ़ के निवासियों ने बिजली प्राप्त करने के लिये सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र दिया है?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---जी हां।

*५---श्री रामसुन्दर पांडेय---यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री धर्म सिंह---आवेदन पत्र का यह जवाब दे दिया गया है कि दोहरी घाट को बजली देने के प्रश्न पर १९५६ के मध्य तक विचार किया जायेगा जब कि वहां मऊ पावर स्टीम स्टेशन में एडीशनल प्लान्ट (Additional plant) लग जायेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि दोहरीघाट टाउन एरिया के पास नलकूप है जिसकी बिजली मऊ पावर हाउस से मिलती है?

श्री धर्मसिंह---इस किस्म की कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि मऊ पावर हाउस से जो बिजली नलकपों को दी जाती है वह नलकूप रात को बिजली काम में नहीं लाते हैं और रात में बिजली का प्रयोग नहीं होता है?

श्री धर्मसिंह—इसकी कोई सूचना नहीं है। अगर आप बतलायेंगे तो उसके लिये जांच की जायगी और उस पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी कि रात को जो नलकूप चलते नहीं हैं उसकी बिजली खाली रहती है, उसे दोहरी घाट के पावर हाउस के अलावा और कस्बों को बिजली देने का प्रबन्ध होगा?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बतलाया कि उनको मालूम ही नहीं है। तो फिर यह सवाल करने से नतीजा क्या होगा?

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने के संबंध में परिप्रश्न

*६—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि क्या कोई आदेश भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने का मिला है? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

*७—श्री गेंदा सिंह—क्या भारत सरकार ने बताया है कि इस बोर्ड को बनाने के क्या कारण हैं? यदि हां, तो वह क्या है और इस बोर्ड की रूप रेखा तथा उसके कार्य क्या होंगे?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

*८—श्री गेंदा सिंह—क्या बिजली के वर्तमान दरों को घटाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है?

श्री धर्म सिंह—जी नहीं।

*९-११—श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)—[२३ मार्च, १९५५ के लिए प्रश्न ४५-४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हिन्दी के कानूनी और पारिभाषिक शब्दों का उल्था करने वाली समिति की प्रगति

*१२—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार १६-९-५४ के प्रश्न संख्या १०के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेगी कि हिन्दी क कानूनी और पारिभाषिक शब्दों का सही उल्था बनाने वाली कमेटी ने अब तक कितनी प्रगति की है और उसका कितना कार्य शेष रह गया है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—प्रश्न में मांगी गई सूचना एक स्मृति-पत्र में बताई गई है जिसकी प्रति मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८३ पर)

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मुख्य मन्त्री कृपा कर बतलायेंगे कि उपर्युक्त समिति को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो मैं अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि जैसा इसमें लिखा गया है, कि एक विशेषाधिकारी की इस काम के लिए नियुक्ति की गयी है। थोड़ा काम चले, तो प्रगति बतलायी जा सकती है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री इस समिति की प्रगति की मुख्य-मुख्य बातें सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा कि इस सूची में लिखा गया है, कि पहले शब्द यहां पर बने थे और वे उस समिति के सामने भी रखे गये थे। अब एक विशेषाधिकारी रखा गया है, जिसने नागरी प्रचारिणी सभा काशी में भी काम किया है। हम आशा करते हैं कि वह इस काम को जल्दी कर सकेंगे। यह तो मानना होगा कि इस समिति का काम स्वतन्त्ररूप से नहीं हो सकता, इसलिए कि भारत सरकार ने स्वयं एक कमेटी मुकर्रर की है, और यह उचित भी मालूम होता है कि जो शब्द वह कमेटी बनाये, उनको सभी प्रदेश अपने यहां लागू करें। हमसे भी उन्होंने सूची मांगी थी। हमने उसको भेज दिया है। इस समिति के काम का कुछ सम्बन्ध भारत सरकार के काम से भी है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि समिति अपना काम कब तक पूरे तौर पर खत्म कर सकेगी।

*१३—श्री रामदुलारे मिश्र—[१६ मार्च, १९५५ के लिए प्रश्न १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]।

*१४—१६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[९ मई, १९५५ के लिए स्थगित किये गये]।

लखनऊ में बिजली की सप्लाई में वोल्टेज की कमी

*१७—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं, कि लखनऊ शहर में बिजली का वोल्टेज बहुत कम है? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्म सिंह—जी हां, कुछ शिकायतें आयी थीं, और उन जगहों पर वोल्टेज ठीक करवा दिया गया है।

*१८—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार के पास ऐसी भी शिकायतें आयी हैं कि बिजली का कनेक्शन देने के लिए लखनऊ बिजली कम्पनी बहुत ज्यादा कीमत (सर्विस एस्टीमेंट) ले लेती है ? यदि हां, तो यह किस आधार पर बनाये जाते हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, एक शिकायत आयी थी, जो जांच करने के बाद ठीक नहीं पायी गयी।

सर्विस एस्टिमेट Indian Electricity Act, 1910 के Schedule के खंड ६-(१) के पहले प्राविजो (बी) [Ist proviso (b)] के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या कोई प्रबन्ध एलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर के द्वारा किया जा सकता है कि बिना उपभोक्ताओं के शिकायत किये ही समय समय पर वोल्टेज को चेक किया जाय ?

श्री धर्मसिंह—ऐसे आर्डर जारी कर दिये गये हैं कि मार्च के अन्त तक इस तरह से नम्बर कम्पनी वोल्टेज का लगायें, ताकि समय के अनुसार मीटर वगैरा को चेक करने की जहां तक बात है, वह ठीक होती रहे।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वोल्टेज कम होने की वजह से बिजली का खर्चा बढ़ जाता है और रेडियो भी ठीक तरह से काम नहीं करता है ?

श्री धर्मसिंह—इस तरह की शिकायत आज तक कोई नहीं आयी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे, जिनके कारण वोल्टेज गिरा और बढ़ा रहता है ?

श्री धर्म सिंह—यह तो टेक्निकल बात है, इस कारण इसका उत्तर देना कठिन है।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, के शिडयूल में सर्विस एस्टिमेट्स कैसे तैयार किये जाते हैं ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि बताया गया है कि ऐक्ट १९१० में की धाराओं में जो प्राविजन्स हैं, उन्हीं के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन की सरप्लस बिजली का प्रयोग

*१९—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन Kesa की सरप्लस Surplus बिजली को देहातों में सींच और घरेलू धन्धों के काम में लाने का विचार रखती है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, केवल इतनी चीज है कि फतेहपुर और जालौन को कानपुर से बिजली दी जाय। इसके सिवाय और कोई तजवीज नहीं है।

*२०—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार केसा (KESA) की बिजली बिठूर तक ले जाने की व्यवस्था करेगी, जिससे बिठूर कानपुर का सबर्ब बन सके और कस्बे का विकास होने में सहायता मिल सके ?

श्री धर्मसिंह—यह सवाल नहीं उठता।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के देहाती क्षेत्र को केसा से बिजली दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—इस समय नहीं दी जा रही है, आगे देखा जायगा।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या मन्त्री जी को यह मालूम है कि उन्नाव जिला केसा स्कीम में रक्खा गया है ? ऐसा समाचारपत्रों में निकला है।

श्री अध्यक्ष—समाचार पत्रों में आपने जो पढ़ा है, उसके ऊपर यहां पर प्रश्न नहीं किया जा सकता।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो एरिया केसा कमान्ड एरिया करार दिया गया है, उसमें कौन-कौन सा क्षेत्र आता है ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक बिजली देने की व्यवस्था का प्रश्न है, केसा से ३ जिलों को बिजली दी जा रही है। उसमें कुछ टाउन्स भी आते हैं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार इस बात पर पुनः विचार करेगी कि बिठूर और घाटमपुर को केसा से बिजली दी जा सके ?

श्री धर्मसिंह—इस बात पर विचार किया गया था और विचार करने के बाद निर्णय भी हुआ कि वहां पर खर्चा बहुत पड़ेगा, जब कि वहां पर उतनी मांग नहीं है।

श्री दीनदयाल् शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस वक्त उनके पास कितनी बिजली सरप्लस है ?

श्री धर्मसिंह---यह बताना तो कठिन है। उनके पास करीब २० करोड़ किलोवाट के बिजली रहती है, लेकिन उसमें से कितनी सरप्लस रहती है, यह बताना मुश्किल है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार बिठूर में भी कोई थरमल स्टेशन बनाने पर विचार करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)।

*२१---श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---[१८ मार्च, १९५५ के लिए प्रश्न १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में जमालपुर ग्राम के बलवे की जांच

*२२---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जिलाधीश आजमगढ़ को यह शिकायत मिली थी कि महाराजगंज थाना, जिला आजमगढ़ के जमालपुर ग्राम में बलवा हो गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां।

*२३---श्री उमाशंकर---क्या जिलीधाश महोदय ने उक्त किस्म को चिट्ठी पर किसी मैजिस्ट्रेट से जांच करायी ? यदि हां, तो उन मैजिस्ट्रेट साहब की रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं जांच हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने की कोई जरूरत नहीं समझी गयी। पुलिस कप्तान के पास जांच के लिए शिकायती पत्र भेज दिया गया। जांच के बाद मुकदमा दफा १४८/३०४ भारतीय दण्ड विधान में चालान किया गया, जो कि अब न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि वह शिकायत किन लोगों के विरुद्ध की गयी थी, उस पत्र में ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह शिकायत, कोई बीरबल हैं, उन्होंने २ नवम्बर, सन् ५४ को मारपीट के सम्बन्ध में जमालपुर, पुलिस स्टेशन महाराजगंज में की थी कि कुछ लोग उनके खेत पर आये, और उनके खेत से उनको हटा दिया। इस तरह की शिकायत कुछ लोगों के खिलाफ है ?

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसने यह शिकायत की थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मैंने बतलाया है कि कोई बीरबल हैं, उन्होंने शिकायत की थी।

श्री उमाशंकर---यह किस तारीख को शिकायत की गयी और किसके यहां की गयी

श्री जगनप्रसाद रावत---अभी मैं इसको पिछले प्रश्न के उत्तर में बतला चुका हूं।

भूमि का कटाव रोकने के लिये पर्वतीय क्षेत्र में वृक्षारोपण

*२४---श्री नरेंद्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की रेगी कि Afforestation Scheme के अन्तर्गत पर्वतीय प्रदेश में Soil erosion को के लिए कहां-कहां वृक्षारोपण हुआ है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--कुमाऊं वन वृत्त के जिन क्षेत्रों में Soil erosion को रोकने के लिए वृक्षारोपण हुआ है, या १९५५-५६ तक होगा, उनकी एक सूची मेज पर रक्खी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८४ पर)।

*२५--श्री नरेंद्रसिंह विष्ट--क्या सरकार पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में जहां कि जंगल दिन प्रति दिन नष्ट होते जा रहे हैं, और Soil erosion बढ़ता जा रहा है कोई afforestation की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पिठौरागढ़ व चम्पावत में Soil erosion को रोकने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो यह एफारेस्टेशन हुआ है, वह प्राकृतिक कारण से कितना हुआ है, और वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कितना हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--प्राकृतिक कारणों से तो सभी पेड़ पौधे उगते ही रहते हैं, लेकिन विभाग द्वारा वृक्षारोपण जहां जहां किया गया है, उसकी सूची माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में दी ही जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष--यह सूची जो है, इसमें जो कार्य हुआ है, सब सरकार के द्वारा ही हुआ है ? यह वे पूछ रहे हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, सरकार के द्वारा ही ये कार्य हुए हैं।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट--क्या सरकार पर्वतीय प्रदेश में बजाय चीड़ के जंगल लगाने के देवदार, कैलफर, स्प्रूस, कानीफेरस, में छोटी पत्तियों वाले तथा शहतूत, अखरोट, अंगूर, दालचीनी, शाल, चेस्टनट, स्पेसीज, ब्राड लीफ के लगाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं यहां पर कि इन्डस्ट्रियल इम्पार्टेंस (औद्योगिक महत्व) के भी पेड़ लगाये जा रहे हैं, फ्रूट्स (फलों) वाले भी पेड़ लगाये जा रहे हैं, और टिम्बर (चिरान के योग्य लकड़ी) वाले भी लगाये जा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बता लायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में एफारेस्टेशन खाली चम्पावत और पिठौरागढ़ तहसील के अन्दर ही हुई है या और कहीं भी हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो पहाड़ों पर सभी स्थानों पर हो रहा है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वायल इरोजन से बचाने के लिए वृक्षों के लगाने का कार्य केवल पर्वतों में ही हो रहा है, या और जगह भी हो रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, यह कार्य पहाड़ों पर तो पिछले कुछ वर्षों से ही प्रारम्भ हुआ है, लेकिन मैदानों में यह बहुत पहले से शुरू कर दिया गया है, करीब १०, १५ वर्ष पहले से।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कहां-कहां किया जा रहा है, और अब तक कितना किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अगर आप पिठौरागढ़ के बारे में एकड़ पूछ रहे हैं, तो धर्मधरा ५ एकड़, केदार नाथ ५८ १/२, एकड़, लोहाघाट २८ एकड़, ढौलीगांव २० एकड़, और मोरनोला के नं० १३, व १४, २९ एकड़ ।

*२६---२८---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---[२४ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किये गये ।]

*२९---श्री उमाशंकर---[२४ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किया गया] ।

जौनपुर जिले में सई नदी से भूमि के कटाव को रोकने की योजना

*३०---श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जौनपुर जिले में सई नदी के किनारे के कटाव को रोकने का प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---भूमि संरक्षण अधिनियम अभी किसी जिले में लागू नहीं किया गया है । परन्तु जौनपुर जिले में सई नदी के किनारे के कटाव को रोकने का काम वन विभाग ने ले लिया है । इन दोनों किनारों का अभी निरीक्षण किया जा रहा है, और इसके पूरा होने पर वृक्षारोपण का काम आरम्भ कर दिया जायगा ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि वृक्षारोपण के अतिरिक्त भी कटाव रोकने के लिए कोई व्यवस्था वहां की जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मुझे जहां तक मालूम है, बाढ़ रोकने के लिए इरिगेशन विभाग डैम्स (बांध) वगैरह बनाने की भी सोच रहा है, लेकिन जैसा कि गेंदासिंह जी ने भी कहा था कि मैदानों में भी पहाड़ों की तरह वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है ? तो मैं ने उत्तर दिया था कि कैचमेंट एरिया पर भी वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है, और मैदानों के अन्य जिलों में भी काम हो रहा है । पहले जौनपुर में कोई काम नहीं था, और अब वहां भी एक नर्सरी कायम की जा रही है, और वहां वन विभाग का एक रेंज भी खोल दिया गया है ।

जुडीशियल अफ़सरों का चुनाव

*३१---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुडिशियल अफसरों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पिछली मर्तबा कब चुनाव हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जुडिशियल अफसरों की नियुक्ति के लिए पिछली प्रतियोगिता परीक्षा मार्च, १९५३ में पब्लिक सर्विस कमीशन ने ली थी ।

*३२---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस चुनाव में कितने उम्मीदवार चुने गये थे और उनमें से कितने नियुक्त किये जा चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस प्रतियोगिता परीक्षा के लेने के समय यह आशा थी कि इसके आधार पर लगभग ३८ उम्मेदवार नियुक्त किये जायेंगे, और इस समय तक इतने ही उम्मेदवार नियुक्त किये जा चुके हैं । इस परीक्षा में कुल १७५ उम्मेदवार बैठे थे और नतीजे के आधार पर इनमें से ५५ उम्मेदवारों को कमीशन ने नियुक्ति के लिए योग्य (क्वालिफाइड) बताया था ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए उन के अलावा भी जुडिशियल आफिसर्स नियुक्त किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो मैं नहीं कह सकता, चूंकि प्रश्न केवल कमीशन से उतीर्ण होने वाले लोगों के बारे में था, कमीशन ने जो योग्य बताये उनमें से ३० लिये गये हैं, इस वक्त मुझे इतनी ही जानकारी है।

मेरठ जिले में सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन

*३३--श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)--क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३-५४ में मेरठ जिले में कितनी सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गयीं ?

श्री धर्मसिंह--सन् १९५३-५४ में मेरठ जिले में कुल १४२ सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुई हैं।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इनमें से कितनी बहुधन्धी, कितनी औद्योगिक और कितनी कृषि सहकारी समितियां हैं ?

श्री धर्मसिंह--उनमें १२९ बहुधन्धी सहकारी समितियां हैं, औद्योगिक सहकारी समितियां कितनी हैं, इसकी सूचना हमें नहीं है।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या यह सही है कि औद्योगिक सहकारी समितियों की रजिस्ट्री उद्योग विभाग द्वारा करायी जाती है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मन्त्री जी के पास इस तरह की कोई शिकायत आयी है कि भिन्न भिन्न विभागों द्वारा रजिस्ट्रेशन न हो, बल्कि अलग से एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो जिसमें सब सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुआ करें ?

श्री धर्मसिंह--इस तरह की कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या मन्त्री जी औद्योगिक सहकारी समितियों को भी सहकारी विभाग द्वारा रजिस्टर्ड कराने का विचार रखते हैं ?

श्री धर्मसिंह--इस पर विचार किया जायगा।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शिल्पकारों की जो सोसाइटीज हैं, वह किनके द्वारा रजिस्टर्ड की जाती हैं ?

श्री धर्मसिंह--डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा।

*३४--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--[१७ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

विधान मंडल के सदस्यों को बी० श्रेणी राज्यों में आग्नेयास्त्र रखने की अनुमति

*३५--श्री देवदत्त मिश्र--क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के विधान मंडल के सदस्यों को बी० श्रेणी राज्यों में आग्नेयास्त्र लेकर जाने की अनुमति कानपुर जिला अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जुलाई १९५२ के पूर्व बी० श्रेणीय राज्यों में आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, परन्तु तदुपरान्त नियम में संशोधन हो जाने से यह रोक हट गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि कानपुर के जिला अधिकारी के इस संशोधन को न जानने के कारण अभी तक अनुमति नहीं दी जा रही थी।

*३६--श्री देवदत्त मिश्र--क्या इस प्रकार की निषेधाज्ञा राज्य के अन्य जिलों में भी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अन्य जिलों से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि यह रोक विधान मंडल के सदस्यों के लिये ही हटी है या लाइसेंसी मात्र के लिये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—नियम जो संशोधित हो गये हैं उसके मुताबिक जो भी उस संशोधन में आते हैं सब पर से हटा लिया गया है ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार कानपुर के जिलाधिकारी को नियमों में उल्लिखित संशोधन की सूचना देने की अब कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वह सूचना तो बहुत पहले जा चुकी है । जैसे ही प्रश्न आया था वैसे ही गयी थी ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या यह आदेश भी दिये गये हैं कि चालू वर्ष में जो पुनर्जीवित किये गये हैं उन लाइसेंसों को संशोधित किया जाय अर्थात् बी० राज्य वाली रोक हटा ली जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो संशोधित नियम हैं उनके पास भेज दिये गये हैं और उसके मुताबिक जो भी चीज आयेगी उस पर अमल करेंगे ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो नियमों में संशोधन होते हैं उसकी सूचना कितने दिनों के बाद सरकारी अधिकारियों को भेजी जाती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सूचना जल्द से जल्द भेज दी जाती है लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि उनकी जानकारी में नहीं आती है तो इस तरह की गल्तियां हो जाती हैं ।

पिठौरागढ़ को बिजली देने का विचार

*३७—श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या सरकार Small Hydel Schemes in Hill Districts के अन्तर्गत पिठौरागढ़, जिला अल्मोड़ा को लेने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—पिठौरागढ़ को बिजली देने की सम्भावना पर जांच हो रही है ।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि ऐसा कब तक हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—जांच हो रही है और उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही ।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि स्माल हाईडेल स्कीम्स की किन-किन जिलों में जांच हो गयी है ?

श्री धर्मसिंह—इसमें तो नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी ।

आजमगढ़ जिले के मधुबन थाने के निकट हिराज पट्टी में कत्ल

*३८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत मधुबन थाने से केवल २ फर्लांग की दूरी पर हिराज पट्टी गांव में सितम्बर के तृतीय सप्ताह में कोई डकैती हुई जिसमें एक व्यक्ति मारा गया ? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री कृपया उसका पूर्ण विवरण देंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कोई डकैती नहीं हुई । कत्ल की एक घटना हुई थी जिसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २८५ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना की रिपोर्ट थाने में किस तारीख को हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---३०सितम्बर, सन् १९५४ की रात को यह घटना हुई और उसी रात को इसकी रिपोर्ट हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि २० तारीख की रात को यह रिपोर्ट नहीं लिखी गयी बल्कि दूसरे दिन मधुबन से १० मील की दूरी पर घोसी तहसील में रिपोर्ट लिखी गयी और जिसकी वजह से यह थानेदार मुअत्तल किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसमें थानेदार जो था उसकी लापरवाही पाई गयी थी,उनको मुअत्तल किया गया और बाद में उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि चोरों ने सूरजनारायण लाल की बंदूक भी छीन ली थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह तो उसमें नहीं था कि वह चोर हैं लेकिन जो बंदूक लेकर वह आये थे और जैसा कि विवरण में लिखा हुआ है उस समय उनसे बंदूक छीन ली गयी थी जो बाद में बरामद हुई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह-मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थानेदार के खिलाफ कौन सी कार्यवाही हुई और उसका क्या नतीजा हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत---थानेदार को जो उसका स्केल था उसमें सबसे पीछे की श्रेणी में रख दिया गया जिससे अब तक जो उसको १५० रुपया महीना तनख्वाह मिलती थी वह १२० रुपया हो गयी और उसके खिलाफ इन्ट्री भी दर्ज कर दी गयी ।

थाना मधुबन जिला आजमगढ़ में चोरी डकैती और कत्ल वारदातें

*३९---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत अप्रैल, सन् ५४ से अक्टूबर सन् ५४ तक कितनी चोरियां, डकैतियां और कत्ल हुये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---२१ चोरियां, १ डकैती तथा २ कत्ल ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि यह जो २१ चोरियां, १ डकैती और २ कत्ल हुये हैं यह उसी थानेदार के जमाने में हुये हैं जो मुअत्तल किया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसके लिये अगर आप पृथक् प्रश्न पूछेंगे तो मैं मंगवा दूंगा क्योंकि समय की बाबत पूछा गया था और इस दौरान में जो हुआ था वह बता दिया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह-मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २१ चोरियां जो थाने के रजिस्टर में दर्ज हैं उनमें कितनी चोरियों पर मुकदमे चल रहे हैं और कितने व्यक्तियों पर ?

श्री जगनप्रसाद रावत---चोरियों में १२ चोरी की रिपोर्ट थी जिसमें ७ का चालान हुआ और वह अदालत में चल रहे हैं और बाकी ५ का अभी पता नहीं चला ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो सूची मिली है उसमें कुल २१ चोरियां दर्ज हैं। २१ चोरियों के बदले केवल १२ चोरियां रजिस्टर में क्यों दर्ज हुई ? इसका क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह तो जो शिकायतें होती हैं उन शिकायतों की इस बात पर कि वह किस किस्म की हैं और उनमें कितनों में जांच की जरूरत है, उस आधार पर यह जांच होती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--यह डकैती की जो घटना हुई वह किस गांव की है और उसमें कितने आदमी गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह डकैती मधुबन पुलिस सर्किल में हुई थी और यह दुर्घटना अप्रैल, १९५४ से लेकर अक्टूबर १९५४ के बीच की है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मुझे अपने प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष--आपका उद्देश्य मुझे पता नहीं लगा । आप वहां के रहने वाले हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा, लेकिन किस उद्देश्य से आप प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं यह जानना चाहता था कि डकैती किस गांव में हुई और कितने लोग उसमें गिरफ्तार किये गये ?

श्री अध्यक्ष--(श्री जगनप्रसाद रावत से) आपको मालूम है कि कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इतनी तफसील मेरे पास नहीं है ।

देवरिया जिले में डकैतियां व क़त्ल

*४०--श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष सन् ५४ में देवरिया जिला में कितनी डकैतियां और कत्ल हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत--३४ डकैतियां और २२ कत्ल ।

*४१--श्री बद्रीनारायण मिश्र--उक्त डकैतियों और कत्लों के मुकदमों में कितने लोगों की सजा हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--अभी तक किसी को सजा नहीं हुई । अधिकतर मुकदमे न्यायालय के सामने विचाराधीन हैं ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--३४ डकैतियां और २२ कत्ल हुये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कुल डकैतियों में २२ कत्ल हुये या अलग से कत्ल हुये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--कुछ डकैतियों में हुये हैं और कुछ अलग भी ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--इन डकैतियों के मुकदमों में कितने आदमी फरार हैं ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता । मुझे जब तक उद्देश्य नहीं मालूम होता, मैं इजाजत नहीं दूंगा । आप इम्तिहान लेना चाहते हैं ?

श्री बद्रीनारायण मिश्र--यह मैं इसलिये पूछ रहा हूं कि देवरिया जिले में कितने आदमी फरार हैं, यह जान सकूं ।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये आप अलग से सवाल पूछ सकते हैं ।

आजमगढ़ जिले के घोसी तथा दोहरीघाट थानों में वारदातें

*४२--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि घोसी थाना और दोहरी घाट थाना (जिला आजमगढ़) में १९५३-५४ में कितने कत्ल, कितनी डकैती, कितनी

चोरी और कितने बलवे हुये हैं। उनमें से कितने मुकदमें अदालत में चल रहे हैं और कितने में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है ?

*४३--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त थानों में १९५२-५३ में उपर्युक्त अपराधों की क्या संख्या थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--मांगी हुयी सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २८६ पर)

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उनके पास घोसी और दोहरी घाट थाने के बारे में ऐसी शिकायतें आयी हैं कि उन थानों में डकैती की रिपोर्ट अक्सर चोरी के रूप में लिखी जाती हैं ? अगर हां, तो उसके लिये क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इस तरह की शिकायतें कोई नहीं आयीं, लेकिन इस तरह की शिकायत अगर माननीय सदस्य मुझे देंगे तो मैं उस पर काफी जांच करूंगा और कार्यवाही भी।

लखनऊ में सचिवालय के कर्मचारियों के लिये गृह-निर्माण योजना

*४४--श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी--क्या सचिवालय में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये लखनऊ में मकानों के बनवाने की कोई योजना कई वर्षों से सरकार के पास विचाराधीन है ?

श्री धर्म सिंह--जी हां। इस योजना को उचित स्थान न मिलने के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका। अब महानगर योजना में जगह मिल गयी है और नक्शे इत्यादि तैयार किये जा रहे हैं।

*४५--श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार द्वारा नियुक्त हाउसिंग कमेटी के समक्ष कोई ऐसी योजना रखी गयी है कि नयी दिल्ली में लोदी कालोनी में जैसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था की गयी है उसी ढंग पर राज्य सरकार करे ?

श्री धर्म सिंह--जी नहीं।

*४६--श्री सुरेंद्र दत्त वाजपेयी--यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री धर्म सिंह--प्रश्न ४४ की योजना की स्वीकृति हो जाने पर कार्य शुरू किया जायगा।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह नक्शे जो महानगर स्कीम के बन रहे हैं ये ले आउट के हैं या बिल्डिंग्स के ?

श्री धर्म सिंह--ये बिल्डिंग्स के हैं।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर ये बिल्डिंस के नक्शे हैं तो ले आउट कब हुआ है ?

श्री धर्म सिंह--मैंने अभी बतलाया था कि १९४६ से यह स्कीम सरकार के विचाराधीन थी और इस बात की कोशिश की गयी कि उचित स्थान मिल जाय। उचित स्थान मिल जाने पर यह नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महानगर स्कीम कब से प्रारम्भ की गयी है और अगर अभी तक सफल नहीं हुई तो उसका क्या कारण है ?

श्री धर्म सिंह--यह स्कीम १९४६ से सरकार के विचाराधीन है और उचित स्थान न मिलने के कारण इसमें अभी तक देर होती रही।

अतारांकित प्रश्न

गोंडा जिले की ग्राम रक्षा समितियां

१—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले में कितनी ग्राम रक्षा समितियां बन चुकी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२,७३० ।

सदन में माइक्रोफोन्स की उचित व्यवस्था के लिये प्रार्थना

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस भवन में जो माइक्रोफोन्स का इन्तजाम है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां सभी सदस्यों को इससे बड़ा कष्ट होता है अपनी सीट से हट कर आने जाने में और मंत्री लोगों की बेंचों के सामने भी जो माइक्रोफोन्स लगे हुये हैं उनसे कभी-कभी सुनाई नहीं पड़ता और तरह-तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इसलिये मैं अपने कई मित्रों की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई निश्चित कदम सरकार को उठाना चाहिये ताकि भवन के अन्दर माइक्रोफोन्स की व्यवस्था मुनासिब हो सके ।

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर विचार किया जायगा ।

सदन द्वारा प्रदत्त धन्यवाद के उत्तर में श्री राज्यपाल का पत्र

श्री अध्यक्ष—सदन की ओर से श्री राज्यपाल को धन्यवाद का प्रस्ताव मैंने उपस्थित किया था और कुछ सदस्य भी मेरे साथ थे। उसके जवाब में माननीय राज्यपाल ने यह उत्तर भेजा है ।

श्री अध्यक्ष, मैं आपके पत्र दिनांक मार्च १, १९५५ के लिये, जिसे आपने और विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने स्वयं आकर भेंट किया, धन्यवाद देता हूं। मैं विधान-सभा के प्रस्ताव के लिये जिसे उन्होंने अपनी १२ फरवरी, १९५५ की बैठक में स्वीकार किया, आभारी हूं।"

श्री रामेश्वर लाल द्वारा श्री मलखान सिंह पर लगाये गये पक्षपात विषयक आरोप के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्न

श्री अध्यक्ष—माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी, स्वास्थ्य मंत्री, अब अपना वैयक्तिक स्पष्टीकरण देंगे उस विषय के ऊपर जिस विषय का जिक्र श्री रामेश्वर लाल जी ने अपने भाषण में एक दिन किया था और यह कहा था कि उनको भी मौका दिया जायगा, क्योंकि आक्षेप व्यक्तिगत था इसलिये उनको मैं इजाजत इस बात की देता हूं कि वे अपना स्पष्टीकरण उपस्थित कर दें ।

*नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठकर ही अपना स्पष्टीकरण दे दूं।

श्री अध्यक्ष—हां, आपके पैर में चोट है आप बैठ कर अपना स्पष्टीकरण दे दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा बताया गया कि २५ फरवरी को श्री रामेश्वर लाल जी ने इस सदन में मेरे ऊपर यह आक्षेप किया कि श्री मलखान सिंह जी मेरे पास एक मकान के सिलसिले में गये और मैंने उन्हें यह वचन दिया कि मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसी प्रकार से, कानूनी या गैर-कानूनी ढंग से उनकी मदद करूंगा। जिस मकान में वह रह रहे हैं उससे उनको निकालने नहीं दूंगा। इस विषय में मुझे यही कहना है कि यह असत्य बात है। श्री मलखान सिंह जी कदाचित २५ तारीख के तीन, चार या पांच रोज पहले मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे यह कहा कि अलीगढ़ में वे एक मकान में रह रहे हैं और उसे चन्द व्यक्ति जबर्दस्ती ले लेना चाहते हैं। चूंकि वह एक दल विशेष से, जिससे पहले सम्बन्ध रखते थे, अब उस दल विशेष के सदस्य नहीं रहे हैं। और यह भी कहा कि ऐसे लोग जबर्दस्ती उनके इस मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे हस्तक्षेप करने के लिये कहा। मैंने उनसे पूछा कि जिस मकान में वह रह रहे हैं क्या वह जाब्ते से रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की धाराओं के मुताबिक उन्हें एलाट किया गया है या नहीं? उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि वह जाब्ते से उनके नाम में एलाटेड हाउस है। मैंने तब उनसे यह कहा कि मैं अवश्य इस बात का प्रयत्न करूंगा कि जबर्दस्ती उनके ड्यूली एलाटेड हाउस के ऊपर कब्जा करने के लिये कोई भी व्यक्ति न तो इजाजत पा सकता है और न वह कानून के द्वारा प्राप्त किये हुये मकान के ऊपर कानून का उल्लंघन कब्जा पाने के लिये कर सकता है। मैंने उनसे कहा कि मैं जिलाधीश को यह कहलवाऊंगा कि वह उचित कार्यवाही कानूनी ढंग से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जबर्दस्ती कब्जा करने के लिये करें। सिवाय इन शब्दों के, जो कि मैंने उनसे कहे, और कोई बातचीत श्री मलखान सिंह जी से इस विषय में नहीं हुई।

मैंने जिलाधीश को अवश्य मन्त्री के नाते जिसको कि रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट का संचालन करना पड़ता है, कहलवा दिया कि वे कानूनी ढंग से कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो जबरदस्ती किसी ड्युली एलाटेड हाउस के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, करें। मुझे यह दुख है कि मेरे ऊपर यहां इस सदन में यह आरोप लगाया गया कि मैंने कानूनी और गैर कानूनी ढंग से जिलाधीश को इस मकान के सिलसिले में कार्यवाही करने के लिए कहा। यह बात बिलकुल असत्य है और मैं इस बात की आशा नहीं करता था कि कोई सदन का सदस्य बिना इस विषय की जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त किये हुए सदन में इस प्रकार के आरोप या आक्षेप मेरे प्रति करे। मैं अध्यक्ष महोदय, यह समझता हूं, इस प्रकार की कार्यवाही सदन में नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई बात सदन में इस विषय में गैर जाब्ते के ढंग से और अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कही गयी है, तो अध्यक्ष महोदय, ऐसे सदस्य से यह कहें कि वह अपने इस आरोप और आक्षेप को वापस लें, और जो कुछ भी कार्यवाही इस सिलसिले में इस सदन में हुई है, उसके सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, वह सदन की कार्यवाही से हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष--माननीय रामेश्वर लाल।

(एक क्षण बाद)

माननीय रामेश्वर लाल जी उपस्थित नहीं हैं। अगर वह उपस्थित होते तो मैं उनको मौका देता। अब जो वक्तव्य, जो स्पष्टीकरण गुप्त जी ने दिया है, वह मैं उनको दिखा दूंगा और उन्हें भी मौका इस बात का रहेगा कि अगर अनुचित ढंग से कोई बात गलतफहमी से या किसी वजह से उन्होंने कह दी है, तो उसके सम्बन्ध में यदि वे कोई उचित बात कहना चाहते हैं, तो उसका उनको मौका दिया जायगा। उसके बाद मैं इस विषय पर निर्णय करूंगा कि आया कार्यवाही में से उनके उक्त शब्द हटा दिये जायं, या नहीं। आज तो इसके ऊपर और कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि वह मौजूद नहीं हैं। उनको आज की कार्यवाही में से यह पढ़कर सुना दिया जायगा, जो कि गुप्त जी का वक्तव्य है।

१९५५-५६ के आयव्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष, १९५५-५६ ई० के लिए आय-व्ययक में अनुदानों के लिए प्रस्ताव लिये जायेंगे। इसके लिए समय निर्धारण कर लेना चाहिए।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, आज अनुदान संख्या १४--गांव सभायें और पंचायतें और अनुदान संख्या ३३--नागरिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान, ये दो ले लिये जायं, और यह न्याय प्रशासन वाला कल ले लिया जाय। गांव सभायें और पंचायतें, अनुदान संख्या १४ जो है, वह पौने ४ बजे तक चले और पौने चार के बाद यह दूसरा चले।

श्री अध्यक्ष--आप चाहते हैं कि अनुदान संख्या १४ पौने चार बजे तक चले और उसके बाद अनुदान संख्या ३३ नागरिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान, सवा घंटा यह चले और नम्बर २ ?

श्री जगन्नाथ मल्ल--नम्बर २ कल ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--तो दो नम्बर और श्रम और समाज कल्याण ये तीनों कल ले लिये जायें ? इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--इस समय हमारे प्रान्त में श्रम और समाज कल्याण पर विचार करना अधिक जरूरी है। इस लिए मैं समझता हूं कि श्रम और समाज कल्याण के लिए कल का दिन रख दिया जाय और आज का दिन पूरा, इन तीनों आइटमों के लिए।

श्री अध्यक्ष--तो आज यह तीनों पहले हो जायं ?

श्री जगन्नाथ मल्ल--आपने इस विषय पर उत्सुकता सुनी कि श्रम पर वह अधिक समय चाहते हैं, तो इसमें कितना अकोमोडेट कर सकते हैं ?

श्री जगन्नाथ मल्ल--ठीक है, वह श्रम और समाज कल्याण पर कल ज्यादा ले लें, और नागरिक निर्माण पर कम रख दिया जायगा। न्याय प्रशासन पर १ घंटा रख दिया जाय और दो घंटे श्रम पर और एक घंटा समाज कल्याण पर।

श्री अध्यक्ष--तो मैं अपना यह सुझाव रखता हूं कि गांव सभाओं और पचायतों के लिए सवा तीन बजे तक समय रहे और एक घंटा न्याय प्रशासन के लिए रहेगा और सवा चार बजे से फिर अनुदान संख्या ३३ शुरू होगी। उसको डेढ़ या पौने दो घंटे दे दिये जायंगे। उसके बाद श्रम और समाज कल्याण का अनुदान कल बाकी दिन भर चलेगा। पौन घंटा तो अनुदान संख्या ३३ के लिए आज करेंगे और कल घंटा सवा घंटा उस के लिए ले लिया जायगा।

अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--गांव सभाएं और पंचायतें

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या (१४--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन) गांव सभाएं और पंचायतों के अन्तर्गत ९९,१६,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

जैसा कि माननीय सदस्य सब जानते हैं कि पंचायतों का कानून सब से पहले सन् १९४७ में पास हुआ, और १५ अगस्त, १९४९ से पंचायतों ने काम करना शुरू किया। यह बहुत खुशी की बात है कि इस दौरान में थोड़ा सा ही वक्त अभी हुआ है, लेकिन हमारी पंचायतों ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है, और मुख्तलिफ किस्म के कामों में दिलचस्पी उन्होंने ली और बहुत से ऐसे काम किये जो देहातों में बगैर पंचायतों की कोशिश के अन्जाम नहीं पा सकते थे। मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा कि अब तक पंचायतों ने इतने अर्से में क्या-क्या किया। जो गुजिश्ता साल चल रहा है, इस दौरान में ५३७ तो पंचायत घर बने, जिसमें से ३९७ पक्के हैं और १४० कच्चे हैं। उसी के साथ-साथ जो लोग देहातों में रहते हैं, उन्होंने ५६ पक्के और १८ कच्चे पंचायत घर पंचायतों को दिये। इनके अलावा ४२१ गांधी चबूतरे भी इसी दौरान में बनाये गये हैं। इन सबके अलावा खास तौर से दिलचस्पी स्वास्थ्य की तरफ भी दी गयी है और उसके

सिलसिले में १,०९,२२४ अखाड़े मुख्तलिफ पंचायतों में सूबे भर में कायम किये गये, जिनमें ५,७०२ इस साल गुजिश्ता में तैयार हुए हैं।

एक और कार्यवाही इसी सिलसिले में जो पंचायतों ने की है, वह यह है कि उन्होंने दवायें गरीबों को बांटने के लिए और देहातों में तकसीम करने के लिए इन्तजाम किया है और बहुत काफी तादाद में आयुर्वेदिक दवाएं पंचायतों के जरिये से तकसीम होने लगी हैं।

इसी के साथ-साथ पंचायतों में शिक्षा और कल्चरल ऐक्टिविटीज का कुछ न कुछ काम होता रहता है। इसके सिलसिले में यह बताना है कि इस साल ६३० लाइब्रेरियां पंचायतों में कायम की गयी हैं और अब तक उनकी मजमूई तादाद १०,४२४ लाइब्रेरीज पंचायतों में कायम हो चुकी हैं। लेकिन इन सब से बड़ा काम जो कुछ हुआ है, वह श्रमदान के जरिये, देहातों में पंचायतों ने किया है। इसमें खास उत्साह और दिलचस्पी पंचायतों की तरफ से जाहिर किये गये और इस साल महज जो यह साल चल रहा है, १५९९ मील लम्बी सड़कें तैयार की गयी हैं और ३,८१६ मील पुरानी सड़कों की मरम्मत की गयी है। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से देहातों की हालत बहुत कुछ सुधर गयी है, और उनके ताल्लुकात सूबे भर के बकिया हिस्सों से सड़कों के जरिये हो गये हैं।

गांवों के अन्दर जो गलियां होती हैं, उनकी मिकदार जो नयी बनायी गयी हैं, १,११५ मील है, जिसमें से २९८ मील में ईंट लगायी गयी हैं। इस तरह से यह काम बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ एक काम और हुआ है, जो काबिले तारीफ है कि सड़कों के ऊपर अक्सर लोग कब्जा कर लेते हैं और कहीं इमारत बना ली जाती हैं और कहीं चबूतरे बना लिये जाते हैं। इसके सिलसिले में १,०७८ मील लम्बी सड़क से इस तरह के एंक्रोचमेंट्स हटाये गये हैं और उनको ठीक किया गया है। इसके अलावा पंचायतों में यह भी कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लालटेनों का और रोशनी का इन्तजाम किया जाय। यह तो माननीय सदस्य जानते ही होंगे, कि अंधेरे के बाद गांवों में इतनी तारीकी हो जाती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसको रफा करने के लिए खास तवज्जह की गयी है। मौजूदा साल में १३,९९३ नयी लालटेनें लगायी गयी हैं और लालटेनों की कुल तादाद ५८,५८० तक पहुंच गयी है, जो पंचायतों ने मुस्तकिल जगहों पर लगायी हैं।

इसके साथ एक चीज और काबिले जिक्र है, कि जब जमींदारी खत्म हुई तो इस सिलसिले में जो बहुत बागात और जंगलात थे, वह काट लिये गये और दरख्तों की बहुत कमी हो गयी थी, तो पंचायतों की तरफ से नये दरख्त लगाने और नये बागात लगाने की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है, और इस वक्त तक ९,७७४ एकड़ जमीन के ऊपर इस किस्म के छोटे छोटे बाग और जंगल लगाये जा चुके हैं। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स की कार्यवाही थी, उनमें भी इन पंचायतों ने काफी हिस्सा लिया है और बराबर लेती जा रही हैं। चुनांचे कोआपरेटिव के सिलसिले में बहुत सी पंचायतों के जरिये कोआपरेटिव सोसाइटीज कायम हुईं और इस साल में पंचायतों के जरिये ३८५ कोआपरेटिव सोसाइटीज कायम हुईं। इसी तरह से जो हमारा ऐग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, उसमें जो नये तरीके काश्त के हैं, उस में भी पंचायतों ने बहुत काफी हिस्सा लिया है और जहां मुकाबिला होता है, कि कहां काश्त अच्छी हुई है, तो इसमें भी पंचायतों का काफी हाथ रहा है, और उन्होंने काफी इसमें मदद दी है।

इसी के साथ-साथ पशुपालन डिपार्टमेंट का मामला है। इसमें भी पंचायतों के जरिये से आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशन और अच्छे किस्म के जानवरों के रखने के काम में बहुत काफी मदद मिली है। गो-संवर्धन का जो हफ्ता मनाया जाता है, उसमें भी पंचायतों ने बहुत काफी मदद दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट की बाज-बाज एक्टिविटीज, मस्लन टी० बी० सील्स का बेचना या वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन सील्स का बेचना जिसके जरिये से कुछ पैसा आता है, और दिक के मरीजों के लिए दवा वगैरह का इन्तजाम किया जाता है, इसमें भी पंचायतों की वजह से काफी मदद मिली है। यह तो आप जानते ही हैं कि पंचायतों के मुताल्लिक यह जिम्मेदारी कर दी गयी है कि अगर किसी किस्म का एपिडेमिक फैले, तो उसकी वह फौरन

[श्री सैयद अजो जहीर]

रिपोर्ट करें, और जो पैदायश और मौत का नम्बर होता है, पंचायतें उसकी भी इत्तिला भेजती हैं। इसी के साथ-साथ एक काम एक्सपेरिमेंट के तौर पर २६ जिलों में २२८ गांव वालों में यह भी हो रहा है कि उनके जरिये से हमारी मालगुजारी की वसूलयाबी की जाती है, और इसके लिए जितनी रकम वे वसूल करती हैं, उसका सवा ६ परसेंट उनको दिया जाता है। यह काम भी बहुत कामयाबी के साथ अन्जाम दे रही है। जहां तक उनकी फिनेंशियल पोजीशन का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि वह काफी अच्छी है, और कोई परेशानी की बात नहीं है। गुजिश्ता साल के अन्दर उनकी आमदनी ६७,३५,६०० रु० थी और खर्च ४०,०८,७०० रु० था। मौजूदा साल में उनकी आमदनी ६ महीने में ५३,६६,७०० रु० और खर्च ३१,०५,८०० रु० हुआ।

पंचायती अदालतों के मुताल्लिक आप सब हजरात जानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि बाज वक्त ये लोग कुछ गलतियां भी करतें हैं, लेकिन यह लाजिमी है कि ऐसे लोग जिनको ऐसे-ऐसे किस्म के काम का तजुर्बा नहीं है, जब वह उनको दिया जायगा, तो उसमें गलतियां जरूर होंगी। लेकिन अगर देखा जाय, तो ऐसे ऐसे काम उन्होंने किये हैं, जिनकी वजह से बहुत से झगड़े जिनमें न मालूम कितना रुपया खर्च हो जाता और कितने घर तबाह हो जाते खत्म हो गये हैं और कम से कम ३० फी सदी मुकदमे ऐसे हुए हैं, जिनमें उन्होंने सुलह करा दी है। ये सब काम ऐसे हैं, जिन्हें पंचायत ही कर सकती थी, और जिसकी वजह से बहुत कुछ तबाहियां रुक गयीं। जहां तक उनके फैसलों के खिलाफ अपीलों और रिट वगैरह का ताल्लुक है, कुछ थोड़ी सी मंजूर हुई हैं, लेकिन ७९ फी सदी ऐसे हैं, जिनमें जो दरख्वास्तें गयीं, वे खारिज हुईं, और उनके फैसले बहाल रहे। इस साल पंचायतों ने १६६,५५१ रेवेन्यू के मुकदमे फैसल किये, ६२९,६६४ दीवानी के मुकदमे फैसल किये गये और ६९,६५८ फौजदारी के मुकदमे फैसल किये। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा काम ये अन्जाम दे रही हैं और मेरा खयाल है कि रोज ब रोज उनकी हालत और बेहतर ही होती जायगी।

इस साल जो श्रमदान का काम हुआ उसके सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बहुत अच्छा काम तमाम पंचायतों ने अन्जाम दिया। ६,८८२ तालाब खोदे गये या उनको गहरा किया गया। १७३ मील नालियां बनायी गयीं और ६ मील के करीब पुरानी थीं, जिनकी मरम्मत की गई। ४१५ मील लम्बी सड़कें बनीं और १,१३७ मील पुरानी सड़कों की मरम्मत हुयी। उसी के साथ-साथ दरख्त लगाने का काम जारी रहा है और पांच लाख सात हजार तीन सौ पांच गड्ढे खोदे गये। श्रमदान से दरख्तों को लगाने के लिये ५ लाख ७ हजार ३०५ गड्ढे खोदे गये, श्रमदान ही से ४० मील यमुना नहर को चौड़ा किया गया और दो सौ आदमियों ने तालिबइल्मों और अध्यापकों ने ,हिस्सा लिया और इस काम को तकमील दी। आपको खयाल होगा कि पं० जवाहर लाल इसमें गये थे। उन्होंने जा कर देखा और बहुत तारीफ की थी जो कि काम इस तरह से अंजाम दिया गया। जितना काम श्रमदान से हुआ है अगर उसको रुपयों में बदला जाय तो उससे मालूम यह होता है कि जितना काम ६ महीनों में किया है वह ४९ लाख ६४ हजार ८ सौ रुपये का होता है। अब आपके सामने जो बजट एस्टीमेट्स हैं इसमें आप देखेंगे कि ९९ लाख १६ हजार २ सौ रुपया कुल रखा गया है। पारसाल ७९ लाख ३१ हजार २ सौ रुपया था। इसमें कोई खास तब्दीली नहीं है। जो तनख्वाहें बढ़ गयी हैं उसी की वजह से यह इतना फर्क है।

हम चुनाव भी करने वाले हैं और हमारा इरादा है कि पंचायतों का इलेक्शन आइन्दा गर्मियों में जहां तक हो सके कर दिया जाय। उसमें कुछ दिक्कतें जरूर हैं। इतना बड़ा काम इतनी जल्दी हो जायगा या नहीं मैं यह कह नहीं सकता। लेकिन कोशिश यही है कि बरसात होने से पहले हमारे पंचायत के एलेक्शन खत्म हो जायं।

जो नये अखराजात हैं उनमें एक रोटा प्रिंटिंग मशीन खरीदी जा रही है। हमारा छापे का काम बराबर बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक हम बाहर छपवाते थे लेकिन अब मशीन

हमारी हो जायगी। इससे हमारा ख्याल है कि इसमें हमारी काफी बचत हो जायगी और काम भी ज्यादा अच्छी तरह से अन्जाम पा सकेंगे।

पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर जो कोर्ट फीस या जुरमाने वसूल करते हैं उसमें से कुछ पंचायतों को वापस दिया जाया करता था। थोड़े दिन हुये गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि जो पंचायत के सेक्रेटरी हैं उनकी तनख्वाह गवर्नमेंट दिया करे, मगर यह कंट्रीब्युशन देना बन्द हो गया था। लेकिन चूंकि यह महसूस हुआ कि इसके बन्द कर देने से उनकी आर्थिक हालत खराब गयी। उनके पास काफी रुपया उनके अखराजात के लिये नहीं है, इसलिये फिर फैसला किया गया कि जितना वसूल होता है उसकी आधी रकम उनको वापस कर दी जायगी। चुनांचे आप देखेंगे कि सात लाख रुपया वसूल होता है इसमें से कोई पौने चार लाख रुपया इस साल दिया जायगा।

जो इस वक्त गांवों में सूरत है उसके मुताल्लिक आपको यह मालूम है कि कानून आ चुका है कि गांव सभा और गांव समाज यह दोनों मिला दिये जायेंगे। यह गोया फैसला हो चुका है और कानून भी पास हो चुका है। अब सवाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का है। यह तीनों जो जमातें हैं उनका देहात में आपरेशन होता है, इनको कैसे मिलाया जाय। गांव सभा और गांव समाज के लिये तो फैसला हो गया है कि इन दोनों को एक कर दिया जाय लेकिन जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मामला है वह अभी तक जोरदार है और हम यह सोच रहे हैं कि किसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी इन दोनों से मिला दिया जाय। उसके लिये क्या सूरत अख्तियार की जाय इस पर गौर हो रहा है। इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मामले हैं उनकी वजह से ऐक्ट पास होने में देर हो रही है क्योंकि अभी तक कोई फाइनल शेप सामने नहीं आयी है। मुझे उम्मीद है कि आइन्दा ३,४ महीनों में उसकी शक्ल सामने आ जायेगी और तब मैं उसके हाउस को उसकी इत्तिला दे दूंगा।

पंचायती अदालतों के मुताल्लिक आपको मालूम है कि जो नया ऐक्ट पास हुआ है उसके जरिये से पंचायती अदालतों में थोड़ी सी तब्दीली कर दी गयी है कि जो पंचायती अदालतें हैं वह किस तरह से चुनी जायंगी। उसमें कुछ तादाद ज्यादा होगी। जो लोग पंचायती अदालत के लिये होंगे वह उसी में से चुने जायेंगे लेकिन वह किसी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जरिये नामजद किये जायेंगे जो उनका तायुन करेगा। इसका फायदा यह होगा कि जो इस किस्म की शिकायतें होंगी कि पार्टीबन्दी की वजह से फैसले होते हैं वह नहीं होने पायेंगे। इसकी वजह से वह आजादाना फैसले कर सकेंगे। इस तरह की शिकायत को दूर कर दिया गया है। इसी वजह से पंचायतों के खिलाफ जो शिकायत रहती है वह गालिबन खत्म हो जायेंगी। इस वक्त मुझे यही कहना है। इसके बाद जो लोग इसके ऊपर कुछ फरमायेंगे तब उसके मैं बाद अर्ज करूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष---आपके लिये १२ मिनट का समय पर्याप्त होगा ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---श्रीमन्, अगर १५ मिनट दे दिये जायं तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष---आप १५ मिनट बोल सकते हैं और बाकी सदस्यों के लिये ८ मिनट का समय रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। पिछले बजट के पेश होने तक दो विशेष परिवर्तन हुये हैं। एक तो यह हुआ है कि कांग्रेस के मद्रास सेशन में कांग्रेस ने एक सोशलिस्टक (समाजी ढंग के) सोसाइटी (समाज) बनाने का लक्ष्य अपने लिये निश्चित किया है और दूसरे जो हमारे प्रदेश के नये मुख्य मंत्री हुये हैं, वह समाजवादी हैं। इसमें चाहे उनके और हमारे समाजवादी में कुछ अन्तर हो लेकिन समाजवादी होने का दोनों दावा करते हैं

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

तो ऐसी सूरत में ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी प्रकार से समाजवाद पर एकमत हो सकते हैं, पंचायतों के बारे में इस प्रकार का बजट एक नये समाजवादी मुख्य मंत्री के जमाने में पेश हो तो उसको देखकर कुछ खेद अवश्य होता है । इसी दृष्टि से मैंने इस वर्ष अनुदान संख्या १४ को देखा तो मुझे बहुत निराशा हुई । हो सकता है कि माननीय मंत्री जी या सरकार की तरफ से यह जो बजट आया है इसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि चूंकि माननीय मुख्य मंत्री को चार्ज लिये हुये थोड़ा समय हुआ है, अतः इस बजट में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करने की बात कहें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा कहा गया तो वह बहुत प्रसन्नता की बात होगी । लेकिन मेरा विचार है कि माननीय मुख्य मंत्री को इस विभाग में कोई न कोई नवीनता अवश्य लाने की कोशिश करनी चाहिये थी ।

मेरा ख्याल है कि पंचायतों की तरफ, उनकी आर्थिक दशा की तरफ ध्यान विशेषरूप से होना चाहिये । यह पंचायतें हमारी सत्ता के विकेन्द्रीय-करण के सम्बन्ध में बड़ा भारी कदम है । हम देखते हैं कि ऐसी पंचायतों को ५,७ वर्ष कार्य करते हो गया है, लेकिन जिस गम्भीरता से इस विषय को लेना चाहिये और जिस प्रगति से आगे बढ़ना चाहिये वह करने में सरकार असमर्थ रही है, वह नहीं कर पाये हैं । अब यह काम हुआ है कि जो पंचायत राज मंत्री हैं उनके जिम्मे हर विभाग का बचा खुचा काम डाल दिया गया है । मुझे इस बात की आशा थी कि वास्तव में सभी विकेन्द्रीयकरण के सिद्धांत के महत्व को भलीभांति समझने पर माननीय मुख्य मंत्री पंचायत की आर्थिक दुर्दशा पर विशेष ध्यान देंगे । माननीय स्वशासन मंत्री ने पंचायतों की माली हालत को अच्छा बतलाया । उन्होंने इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है जिसमें वास्तविक दशा का वर्णन किया गया है । माननीय मंत्री जी ने वैसे ही कह दिया कि पंचायतों की माली हालत बहुत अच्छी रही है । आप देखेंगे कि ५३-५४ में सरकार का ६५ करोड़ का बजट था, ५४-५५ में ८४ करोड़ का और अब ९१ करोड़ का बजट हो गया है, लेकिन बजट में इतना धन बढ़ाये जाने के बावजूद भी अगर पंचायतों को १०.५ करोड़ की भी एकमुश्त ग्रांट पंचायतों को दे दी जाती तो अध्यक्ष महोदय, हम समझते कि कुछ समाजवादी प्रकार के समाज की ओर कदम बढ़ाया गया है । यह विषय निर्विवाद है कि प्रादेशिक सरकार को जो कुछ प्राप्त होता है उसका अधिकांश हिस्सा गांवों से ही आता है । और हमारे बार-बार निवेदन करने पर भी कि पंचायतों को भी सरकार की तरफ से राजस्व का २५ प्रतिशत मिलना चाहिये, सरकार ने कोई आर्थिक सहायता उनको नहीं दी है । लेकिन जब पंचायतों का जिक्र आता है तो माननीय मंत्री जी उनका मुकाबिला सोवियट रूस से और यूगोस्लाविया की पंचायतों से करने लगते हैं, लेकिन जो निर्माण कार्य रूस और यूगोस्लाविया में पंचायतों के द्वारा हो रहा है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । हमारी पंचायतों को जो ९९ लाख रुपया रखा गया है उसमें एक भी पैसा निर्माण कार्य के लिये नहीं है, सब एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज के लिये ही हैं । इसको भी अगर हिसाब लगाया जाय तो एक प्रतिशत से थोड़ा अधिक बैठेगा । मैंने तो सुना था कि केन्द्रीय मंत्री ने तमाम स्वशासन मंत्रियों से यह कहा था कि पंचायतों को कुछ राजस्व से अवश्य देना चाहिये । अगर ऐसी कोई घोषणा होने वाली है, तो बहुत अच्छा है । अगर हम सिर्फ उस मालगुजारी को ले लें, जो किसानों से ली जाती है तो पहले वह ७ करोड़ थी और अब २२ करोड़ हो गयी है । अब इस नये बजट में जो कि सोशलिस्टिक पैटर्न का बजट कहा जाता है, यदि माननीय मुख्य मंत्री जी ने समाजवाद के लिये ५ करोड़ रुपया भी दे दिया होता और सरकार ने यह कहा होता कि एक हिस्सा सरकार सहायता देगी और दो हिस्सा पंचायतें स्वयं करें तो १५ करोड़ रुपया निर्माण के लिये हो जाता । लेकिन उस तरफ तो हमें निराशा ही हुई है ।

मालगुजारी वसूल करने के सिलसिले में यदि हम देखें तो हमें मालूम होगा कि ५३-५४ और ५४-५५ की रिपोर्ट में २६ जिलों और २८२ पंचायतों का जिक्र है कि उनके द्वारा मालगुजारी वसूल की गयी, लेकिन उनके बारे में एक की भी संख्या नहीं बढ़ाई गयी जबकि डेढ़ दो साल उनको काम करते हो गये हैं । अध्यक्ष महोदय, जब पंचायत राज्य कानून का संशोधन हो रहा था तो हमने

इस विषय में यह कहा था कि हमारी राय यह है कि अमीन वगैरा को पंचायतों के सिपुर्द कर देना चाहिये, उससे उनको काफी कमीशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और सरकार से मिल जायगा। मैं समझता हूं कि सरकार ने एक मर्तबा उनको स्थापित कर दिया और अब उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कैबीनेट में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि स्थापित तो कर दिया है, इसलिये किसी प्रकार से उनको निभाते चलना है। माननीय हरगोविंद सिंह उस कैबिनेट के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने इलाहाबाद के ऐतिहासिक भाषण में कहा कि सरकार उनको तोड़ना चाहती है। पंचायत राज्य कानून में संशोधन करने के लिये जब एक कमेटी बनी थी तो उसमें उपस्थित होने के लिये माननीय राजस्व मंत्री को फुरसत ही नहीं मिली। कमेटी कितने दिनों तक बैठी किन्तु उन्हें एक दिन भी मौका नहीं मिला कि इस कमेटी को अपना सहयोग दे सकते। राजस्व विभाग और स्वशासन विभाग में इस बारे में एक संघर्ष है, इसकी ओर माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। राजस्व विभाग और स्वशासन विभाग में पंचायतों को लेकर एक झगड़ा है, उसको सदैव के लिये तय कर देना चाहिये। राजस्व विभाग के मंत्री ने एक बयान दिया है कि लेखपाल और पंचायत मंत्रियों में से एक ही कर्मचारी रहेगा। उसके कारण पंचायत के मंत्रियों में एक अनिश्चितता की भावना पैदा हो गयी है। वे हैरान हैं कि वे रहेंगे भी या नहीं।

इसके बाद दूसरी बात माननीय मंत्री जी के सामने सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की है। माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव रखने का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में एक ही गवर्नर है, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री के राज्य में ५२ गवर्नर काम कर रहे हैं। जहां तक सत्ता के केन्द्रीयकरण की बात है, हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने हेड क्वार्टर में गवर्नर है। कोई भी विभाग नहीं है जिसको हमारी सरकार द्वारा जिलाधीश के सुपुर्द न किया जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्डस थे, पंचायतें थीं, उनके नियंत्रण में रखा जा सकता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जब स्वायत्त शासन मंत्री थे तो आपने अपनी रिपोर्ट पेश की थी कि एक बोर्ड प्रादेशिक स्तर पर स्वशासन संस्थाओं के लिये बना दिया जाय। मेरा निश्चित मत है कि अगर जिले की पंचायतें जिले के स्तर पर अपना बोर्ड चुन कर काम चलायें तो वे अपने स्वशासन का काम बड़ी बेहतरी से कर सकती हैं। सरकारी कर्मचारी लोगों की हालत यह है कि माल विभाग की तरह उनके अन्दर भी अवगुण धीरे-धीरे आ रहा है। जब इस विभाग के लिये सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की बात की जाती है तो इस समय मैं आपके सामने यूगोस्लाविया के न्यु फंडामेंटल ला की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम तो महात्मा गांधी का नाम लेकर सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की बात ही करते हैं, यूगोस्लाबिया में तो सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के सिद्धांत पर अमल करते हैं। इस सम्बन्ध में यूगोस्लाविया के मौलिक अधिकारों के कानून का कुछ उद्धरण देना चाहता हूं:

DECENTRALIZATION OF EXECUTIVE FUNCTIONS

के शीर्षक में मद नम्बर २ और ३ इस प्रकार हैं--

2—In order that the masses be able to have direct control over the work of the executive apparatus and in order that the working people be in fact able to develop their socialist initiative freely and comprehensively ;

3—In order to prevent the transformation of the state administrative apparatus into some kind of a permanent centralised ruling force over society.,,

अब अंतिम जुमला मैं पढ़ देता हूं :—

"For this reason the new Fundamental Law for mally abolishes this system of dual responsibility."

उनकी अलग-अलग स्वावलम्बी यूनिटें बना दी गई हैं। दोहरी जिम्मेदारी होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी पंचायत राज संचालक तथा पंचायतों दोनों की तरफ रहती है। नतीजा यह होता है कि सरकारी कर्मचारियों का नियंत्रण ही पंचायतों

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

पर अधिक हो जाता है । तो इस तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा । अध्यक्ष महोदय, जब से मद्रास में कांग्रेस द्वारा सोशलिस्ट पैटर्न का प्रस्ताव पास हुआ है तब से कुछ ऐसा marginal transformation हुआ है कि अब तो माननीय मुख्य मंत्री जी राय में एक तरफ मुख्य मंत्री जी हैं और दूसरी तरफ श्री झारखंडे राय हैं और दूसरी नजर श्री झारखंडे राय की तरफ है । अब प्रजा सोशलिस्टों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया (व्यंग)। अब तो माननीय मुख्य मंत्री के लिये वास्तविक विरोधी दल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी है। इसके बावजूद भी मैं आशा करता हूं कि पुराने समाजवादी होने की हैसियत से माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यान देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सन् ५३-५४ के आंकड़े हैं, इसमें यह आय दिखलायी गयी है । सम्पूर्ण अनुदान को छोड़ कर समस्त आय सन् १९५१-५२ में ६१,२८,३७० सन् ५२-५३ में ७५, ६५, ३०८, सन् ५३-५४ में ४९,२३,९०८ रु० यह घट गया है । इसी तरह से रचनात्मक कार्यों पर जो व्यय है वह इस तरह से है—सन् ५१–५२ में ७,६७,३३२, सन् ५२-५३ में ११,६०,६९३ सन् ५३-५४ में ११ लाख से घटकर ७,५९,३०५रु० हो गया। सन् ५४-५५ के आंकड़े अभी मालूम नहीं हैं, इसलिये नहीं बतलाया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, १२ हजार पक्के और २४ हजार कच्चे पंचायतघर बनाने का लक्ष्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत था, लेकिन अभी तक ८४८ पक्के और ५२७ कच्चे पंचायतघर बनाये जा सके हैं और यह रिपोर्ट दी गयी है कि सन् ५६ के अन्त तक ये ३६ हजार पंचायतघर बन कर तैयार हो जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि पंचायत राज के कर्मचारी भी माल विभाग की तरह दूर की हांकने लगे। उनके इस तरह से लेखा-जोखा मिला देने पर तो मुझे ताज्जुब होता है कि वह माल विभाग के पटवारियों के भांति, जो ब्रिटिश राज के जमाने में था इस विभाग के लोग भी इस जमाने में इधर-उधर की गलत बातें कहने की कैसे हिम्मत करते हैं । सोचने की बात है कि इतने सालों में तो १३७५ तक पंचायतघर तैयार हो पाये और अब एक साल के अन्दर ही ३६ हजार तक पंचायत घर कैसे बन जायेंगे । इसी तरह से अखाड़ों और व्यायाम शालाओं के लिये कहा गया है कि १ लाख ८ हजार अखाड़े या व्यायाम-शालायें बन गयी हैं। ३५ हजार पंचायतों को लिया जाय तो एक पंचायत पर तीन अखाड़े पड़ते हैं। श्री रणंजय सिंह जी तो यहां पर इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि हमारे यहां अखाड़े और व्यायामशालायें बहुत कम हैं और सरकार के आंकड़ों द्वारा हर पंचायत में तीन व्यायाम शालायें या अखाड़े हो गये हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के आंकड़े रखने से सरकार को क्या लाभ होता है । इस तरह के आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि सरकार एक तरफ तो अपना फर्ज अदा कर रही है, दूसरी तरफ पंचायत राज अधिकारी और कर्मचारी जो नये विभाग में नये लोग आये थे उनसे आशा की जाती थी कि वे लोग पुराने नहीं हैं और दूसरे कर्मचारियों के अवगुण उनमें न आने पावेंगे, लेकिन हमें दुख होता है कि यह कहते हुये कि यह पंचायत राज के कर्मचारी भी माल विभाग के कर्मचारियों की प्रतिस्पधी आगे बढ़े जा रहे हैं और वही जो पुराना तरीका, जो माल विभाग आदि के लोगों का था वही वह भी बरतते जा रहे हैं। इन सरकारी कर्मचारियों पर ९९ लाख रुपया खर्च हो रहा है, हम आशा करते थे कि वह इस महाप्रयोग को सफल बनावेंगे । उनको तो सभी सरकारी कर्मचारियों के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये और प्रेरणा देनी चाहिये । सरकार के नये समाजवादी पैटर्न में उनको प्रगति की ओर नया कदम उठा कर एक नया नमूना पेश करना चाहिये ।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, माननीय मन्त्री महोदय के भाषण की तुलना में मैं यह समझता रहा कि जैसे हिन्दू माइथालोजी में कामधेनु या कल्पवृक्ष के विषय आते हैं, वैसे ही उन की पंचायतों से भी अब हर चीज की पूर्ति हो सकती है । मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार इन गांव सभाओं को बनाकर जिस उद्देश्य की पूर्ति की आशा रखती थी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और जिन के बारे में उनका कथन है, कि वह बहुत हद तक सफल भी हुए हैं, उसमें उन का ख्याल गलत है। माननीय राम नारायण जी ने यूगोस्लेविया या रूस की बात कही, लेकिन मुझे इतना कहना है कि मैं मान सकता हूं कि भारत के प्रधान मन्त्री या उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ऐसे हैं कि उनकी बौद्धिक शक्ति का विकास पूरा हुआ है और वह सोशलिस्टिक पैटर्न और को-एग्जिस्टेंस के पीछे हैं, लेकिन इन गांव पंचायतों के द्वारा क्या हो रहा है, इस में मैं समझता हूं उन का भी रंचमात्र भी विश्वास नहीं है। यह एक साधारण सी बात है कि जो पंचायतें आज देहातों में बनी हुई हैं, वह कुछ भी काम नहीं कर रही हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि उन की एग्जिस्टेंस भी डिनाई की जाय, और कहा जाय कि आज उनका अस्तित्व भी नहीं है, तो गलत न होगा। यह ठीक है और कहा जा सकता है कि हम ने श्रमदान के द्वारा इतना कार्य कराया और हम ने इतने रुपये का काम इतने रुपये में करा लिया। एक जमाना था जब कि पुराने जमींदारों के वक्त में बेगार ली जाती थी, उसको बेगार जमींदारों की कहा जाता था, लेकिन यह बेगार पता नहीं सरकार की है, या जिलाधीश महोदय की है। यह एक या दो जिले का स्वार्थ या तत्काल लाभ होता है। मन्त्री जी ने बताया कि १०,४२४ पुस्तकालय खुल गये और हर तरफ आंकड़ों की भरमार कर दी और हर तरफ अलाउद्दीन का चिराग की तरह काम मनचाहा हो रहा है। आज के पहले जब सदन में यह पंचायत राज बिल इस सदन में आया था तो हमारे विचारों और मंत्री जी के विचारों में कोई विशेष अन्तर नहीं था और पहले उस वक्त वह भी यही समझते थे कि यह पंचायतें नहीं चलेंगी, आज वह परिस्थिति से विवश हो कर भले ही कहते हों कि वह सफलता पूर्वक चल रही हैं। जितने जिलाधीश हैं, और आप की सरकार है वह सब समझती है कि किस तरह पंचायतें आज चल रही हैं और क्या-क्या काम वहां वाकई हो रहे ह। केवल परिस्थिति से विवश होकर उन की उन्नति की बात यहां कह दी जाती है। मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि जमींदारी अबालीशन के बाद सरकार की आमदनी ७ करोड़ से २२ करोड़ तक हो गई है, लेकिन उन के लिये जिनकी सम्पत्ति लगी है, कोई प्राविजन आप के किये नहीं होता यह तो केवल हमारे माल मंत्री जी ही समझ सकते हैं। यह ठीक है कि क्रोध के आवेश में उनकी त्योरी चढ़ जाती है, परन्तु जो परिस्थितियां हैं उनको बदला नहीं जा सकता।

मान्यवर, मैं तो यह कहता हूं कि आज के दिन कुर्कअमीन सख्ती से रुपया वसूल करते हैं। मैंने माना कि आपको कर लगाना है तो सरकार वसूल करे। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसी भी गांव सभा में कोई कागज नहीं है कि क्या बकिया था और कुर्कअमीन द्वारा कितना रुपया वसूल हो चुका है। तो यह तो गांव सभा की हालत है।

अब मान्यवर, अदालती पंचायतों के संबंध में यह हो सकता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी माननीय काटजू साहब इसको समझते थे कि इससे वह रामराज्य की स्थापना करेंगे और एक विचित्र रामराज्य इस प्रदेश में आवेगा। मैं तो कहता हूं मान्यवर, मुद्दई और मुद्दालेह मौजूद है, अदालत विद्यमान है, लेकिन गवाह मौजूद नहीं है, लेकिन गवाही और गवाह का बयान जजमेंट के अन्दर मौजूद है। यह तो इंसाफ है कि गवाह मौजूद नहीं है, लेकिन गवाह का बयान है और जजमेंट में उसी के आधार पर निर्णय दिये जाते हैं। श्रीमन्, यह अंधेर है। अदालती पंचायतें जो आजकल चल रही हैं वह इस कारण से चल रही हैं कुछ लोग उनमें ऐसे आये हैं जो अनुचित लाभ उठाते हैं, जो यह समझते हैं कि उनका एक अधिकार है और उस अधिकार को बनाये रखने के लिये वे ऐसा करते हैं और ऐसी रिपोर्ट देते हैं कि इतने मुकदमों में सुलह हुई और इतने में उन्होंने फैसले दिये। माननीय मंत्री महोदय ऐसे मंत्री नहीं है जो कानून को अच्छी तरह से न समझते हों, वह बार ऐट-ला हैं और हाई कोर्ट और चीफ कोर्ट में इतने दिनों तक प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनको समझाने में कठिनाई नहीं हो सकती। वे अपने दिल से पूछें कि ये अदालती पंचायतें क्या फैसला कर रही हैं और कहां तक उनके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। मैंने तो यह देखा है कि इन पंचायतों के पास कोई पैसा नहीं है और गांव सभायें उनको रुपया देती हैं तब वह कार्य करती हैं। इस हद तक बात है कि उनके पास स्टेशनरी के लिये, कलम

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

और कागज तक के लिये साधन नहीं है। यह अदालती पंचायतें हैं यह ठीक है, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि सरकार के एस० डी० एम्स० जिनके पास यह पावर्स हैं कि इन अदालतों द्वारा फैसल मुकदमों के रिवीजन सुन सकें, यदि वह भी निर्णय इस ढंग से करें जिसका आधार न्याय हो तो ये मुकदमे एक दिन भी नहीं टिक सकते। वास्तविकता तो यह है कि यहां अदालती पंचायतों से कागज चलते हैं इंस्पेक्टर महोदय के पास पहुंचता है और छः-छः महीने तक वह उनके दफ्तर में सड़ता है। इसके बाद अगर वह निकला तो निकला नहीं तो एक समय ऐसा आ पहुंचता है जब यह कहा जाता है कि वह कागज मौजूद नहीं है। श्रीमन्, कई मुकदमात में तो अगर स्टे आर्डर्स होते हैं तब वह फाइल मांगते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि वह कभी कभी तो फाइल मांगा करते हैं या तो ६ महीने तक नहीं पता लगती या अगर उन्होंने भेज भी दिया तो एस० डी० एम० के पेशकार महोदय को पता नहीं होता कि वह फाइल कहां पर है। तो इतना मैं मंत्री महोदय से अवश्य कहना चाहूंगा कि वह इन पंचायतों पर अधिक भरोसा न करें। मैं यह मानता हूं कि वह इस व्यवस्था से लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन उस पर पूरा-पूरा भरोसा करना गलत है। हमारे बहुत से लोग रूस और यूगोस्लाविया की तुलना करके हमारे यहां की पंचायतों का और भी सत्यानाश करना चाहते हैं। एक बात का, मान्यवर, मुझे गर्व है कि माननीय रामनारायण जी हमारे ही जिले के हैं, फैजाबाद जिले के वे रहने वाले हैं और यह खुशी की बात है कि उन्होंने आज यह समझ लिया कि उनके दल के लिये इस भारत में स्थान नहीं रह गया है। ठंडे दिल से अगर वे सोचें तो वास्तविकता यह है कि यह भी जायेंगे और उनको भी ले डूबेंगे।

एक सदस्य—आप अकेले दिया जलायेंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—यह न्याज मुझे हासिल होगा तो मुझे कोई परेशानी न होगी। लेकिन जहां तक उनके सिद्धांतों का सवाल है दिल में उनके कुछ है, जबान पर कुछ है, कहना कुछ चाहते हैं और करना कुछ चाहते हैं। यह अंधेर कब तक चलेगा ? मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। एक ही थैले के दोनों चट्टे-बट्टे हैं। मैं अधिक समय तो नहीं लेना चाहता लेकिन मंत्री महोदय को यह बतलाना चाहता हूं कि वे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, इस तरह का अंधेर नहीं होना चाहिये कि मुद्दई मुद्दालह कुछ कहें, गवाह कुछ कहें, जजमेंट कुछ हो, बयान कुछ दर्ज हो। ये चीजें शोभा नहीं देतीं।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान ग्राम सभाओं और पंचायतों के संबंध में पेश हैं मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, परन्तु उसका समर्थन करते हुये मुझे पूर्ण आशा थी कि हमारे पूज्य बापू जो यह कहा करते थे कि हमें अपने देश के गांवों का उत्थान करना है क्योंकि हमारे भारत का सच्चा नकशा गांवों में ही दिखलाई पड़ता है परन्तु इस बजट के अनुदान को देख कर मुझे बड़ी निराशा हुई। हमारी इस सरकार ने ग्राम पंचायतों की स्थापना तो करदी परन्तु उनके उत्थान के लिये कोई भी कदम उठाने की मेहरबानी अब तक नहीं की। और उनके निर्माण के लिये कोई भी रकम बजट में नहीं रक्खी गई है। यह मानी हुई बात है कि हमारे गांवों की दशा अच्छी नहीं है। किसान लोग वहां अधिकांश रहते हैं। उनसे बहुत से टैक्सेज लिये जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स पड़ता है। चुंगियों से जो बहुत बड़ी आमदनी होती है यह गांवों की वजह से है जब वे अपना गल्ला वगैरह ले कर चुंगियों में जाते हैं तो वहां पर चुंगी अदा करके वे घुसने पाते हैं। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का टैक्स वह दें, चुंगियों का पालनपोषण वे करें और गांव सभाओं को भी चलायें, यह उनके लिये असंभव हो रहा है। सन् ५२ में जो सेक्रेटरियों के वेतन के लिये सरकार ने अनुदान रक्खा था तीन साल से वही अनुदान लगातार बजट में देखते आ रहे हैं और उसके आगे सरकार ने गांव की दशा सुधारने के लिये कोई कदम नहीं बढ़ाया। मैं इस बात से सहमत हूं कि जमींदारी उन्मूलन के बाद जो लगान काश्तकारों से सरकार के पास आता है उसका कुछ न कुछ भाग गांव सभाओं को दिया जाना चाहिये था जिससे वे अपने गांवों

का निर्माण कर सकें क्योंकि गांवों का निर्माण बहुत जरूरी है। मंत्री जी को देखने से मालूम होगा कि हमारे गांवों की हालत जैसी स्वराज्य से पहले थी वैसी ही आज भी बनी है और गांवों की गलियां और नालियां अब भी गंदी पड़ी हैं। गांव की दशा अब भी वैसी ही बनी हुई है जैसी ब्रिटिश शासन काल में थी। तो उसके सुधारने के लिये सरकार को अवश्य कदम बढ़ाना चाहिये। म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के लिये हमारी सरकार हर बजट में अनुदान रखती है ताकि वहां के ड्रेनेज ठीक हो जायं, सड़कें सीमेंटेड हो जायं लेकिन गांवों की नालियां और गलियां जिनमें निकलना मुश्किल हो जाता है, जहां बारह महीने बरसात जैसी कीचड़ बनी रहती है, उनको सुधारने के लिये कोई अनुदान नहीं रक्खा जाता। अगर वैसा होता तो समझ में आता कि सरकार गांवों के लिये भी कुछ करने को तैयार है। मैं तो यह कहूंगा कि अब भी सरकार शहरी क्षेत्रों की ही उन्नति करने में संलग्न है और गांवों की तरफ उसकी कोई भी तवज्जह किसी प्रकार की नहीं है। इसके साथ ही साथ जब मैंने इस बजट के अनुदानों को पढ़ा तो इसमें देखा कि पंचायत सहायक अधिकारियों, पंचायत निरीक्षकों, मोटर ड्राइवरों, चपरासियों, क्लर्कों को तो स्थायी करने की व्यवस्था की गई है परन्तु जिनके ऊपर हमारी गांव सभाओं का पूरा भार है, जो गांव सभाओं की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनके कंधों पर उनके चलाने की पूरी जिम्मेदारी है, उन सेक्रेटरियों को, उन पंचायत मंत्रियों को स्थायी करने की कहीं भी कोई बात नहीं है। अलावा इसके हमारे जो पंचायत सेक्रेट्रीज हैं उनको, जैसा पहले गांव के पटवारी के जिम्मे सारे खुदरा काम कर दिये जाते थे, अब दे दिये जाते हैं और उनसे इतनी रिपोर्ट्स मांगी जाती है कि वह अपना पूरा वक्त रिपोर्ट तैयार करने में ही लगाते रहते हैं। गांव सभाओं और पंचायतों का कोई काम वह नहीं देख पाते हैं और न कर पाते हैं। हर आठवें दसवें दिन उनको पंचायत निरीक्षकों के दफ्तरों में बुला कर रिपोर्ट देने में ही और आदेश लिखने में ही उनका वक्त जाता है। मैं समझता हूं कि हमारी पंचायतों के लिये इतना कागजी काम न होना चाहिये बल्कि उनका समय ठोस कार्य की ओर अधिक लगाना चाहिये।

इसके अलावा एक बात और मुझे अपनी सरकार से निवेदन करनी है। मुझे आशा थी कि १९५२ से पहले जब कि सेक्रेटरीज को वेतन ग्राम सभाओं के जिम्मे देना था, उस समय का वेतन सेक्रेटरीज का अभी भी बाकी पड़ा है। सुनने में आया था कि सरकार ने जिलों से आंकड़े मंगाये थे और वह इस बजट में व्यवस्था इस बात की करने जा रही है कि जिन सेक्रेटरीज का एरियर बाकी है वह इस बजट से दे दिया जाय। परन्तु मुझे देखकर निराशा हुई कि कोई भी व्यवस्था इस बजट में उनके उस वेतन के लिये नहीं की गई है।

साथ ही मुझे अपनी सरकार से यह निवेदन करना है कि मुझे खुशी है कि हमारे मंत्री जी ने अभी कहा कि बरसात से पहले वह पंचायत एलेक्शन करा देंगे और जिलों में ऐसी सूचना भेजी भी जा चुकी है। लेकिन साथ ही साथ एक बात मुझे यह भी सुनने को मिली कि अभी रूल्स नहीं बन पाये और इसलिये इन एलेक्शनों को फिर से पोस्टपोन करने की बात सोची जा रही है। मैं इसके लिये मंत्री जी से फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि इन चुनावों को अधिक बढ़ाना अच्छा नहीं है क्योंकि साढ़े पांच साल चुनाव हुये हो चुके हैं। वह पंचायतों के पहले चुनाव हुए थे। जितने अच्छे ढंग से चुनाव होने चाहिये थे और जितने अच्छे आदमियों को इसमें भाग लेना चाहिये था, उस समय नहीं ले सके थे। तो इसलिये पंचायतों की व्यवस्था अच्छी नहीं रही। इसलिये पंचायतों का चुनाव कराइये ताकि पंचायतें ठीक तरह से संगठित हो सकें और दूसरे इसलिये कि माल विभाग की भी बहुत सी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। अभी बहुत से जिलों में चकबन्दी होने जा रही है और उसमें हमारी पंचायतों को काफी सहयोग देना होगा नयी पंचायतें अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें और चकबन्दी में सहयोग दे सकें। और इस तरह बहुत सी गलत बातें होने की जो संभावना है वह नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री सुल्तानआलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब स्पीकर साहब, इस ग्रांट के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने जो तकरीर फर्मायी और पंचायतों ने जो उम्दा काम इस सूबे के अन्दर किया है, जो बयान किया उसे बड़े गौर से सुना। इसमें शक नहीं है कि पंचायतों का कयाम हमारे कांस्टीट्यूशन का एक डाइरेक्टिव प्रिंसिपल है और इसके साथ-साथ हिन्दुस्तान में कदीम तहजीब और तमद्दुन के लिहाज से पंचायत एक पुरानी चीज है और उन्होंने पिछले वक्त में खिदमत अदा की है। और इस मौके पर हम उम्मीद करते हैं कि पंचायतें जो कि ६ साल पहले इस सूबे के अन्दर कायम हुई हैं वे रफ्ता-रफ्ता तरक्की करेंगी, एक सही इंस्टीट्यूशन बनेंगी और बेहतरी से काम करेंगी। मैं जानता हूं कि बाज पंचायतों में कुछ गलतियां भी हों, खराबियां भी हों लेकिन यह तो होता ही रहता है, गलतियां होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। लेकिन देखना यह है कि जिस इंस्टीट्यूशन के मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं वह कहां तक जरूरी है और कहां तक अच्छा है। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि पंचायतों का कयाम हमारे जैसे मुल्क के लिये जहां की इकोनोमी बिल्कुल ऐग्रीकल्चरल इकोनोमी है, जरूरी चीज है और इसके जरिये हम एक इनीशियेटिव उन लोगों के अन्दर पैदा करना चाहते हैं जो देहात में बसते हैं और जिनकी तादाद ९० फीसदी है। लेकिन सवाल यह है कि जो पंचायतें हमने कायम की हैं और जिनको कायम हुये आज ६ साल गुजर गये, आज हमें यह देखना है कि जो काम उन्होंने किये हैं वे कहां तक सही थे और जिस लाइन पर हमने अख्तियारात दिये उन्हें कहां तक आगे और देने की जरूरत है।

सबसे बड़ी बात जो जरूरी है और जिसकी तरफ माननीय मंत्री जी ने अपनी तकरीर में इशारा किया था वह यह है कि देहातों में पंचायतें भी काम कर रही हैं और देहातों में गांव समाज भी काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुताल्लिक मैं नहीं कह सकता कि मेरे दूसरे साथियों की क्या राय हो लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम इस सूबे के अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने अपने मुताल्लिक कोई अच्छा एकाउन्ट नहीं पेश कर पाया और अब तो सवाल यह है कि जब हर गांव में गांव पंचायतें और गांव सभायें काम कर रही हैं तो सवाल यह पैदा होता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जरूरत है या नहीं ? यह मैं सुनता आ रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के मुताल्लिक एक आखिरी फैसला होने वाला है लेकिन इस बात को ६ साल गुजर गये और इस अरसे में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतें दोनों काम कर रहे हैं जिसका नतीजा यह हुआ कि एक ही जगह पर कई टैक्स लोगों पर पड़ रहे हैं और सर्विसेज जो उन्हें मिलती हैं वे भी एक ही हैं कोई दो नहीं है। मैंने एक दिन पहले किसी मौके पर कहा था कि हमारे यहां काटेज इंडस्ट्रीज को इनकरज करने की बहुत सख्त जरूरत है लकिन होता यह है कि अगर कोई काटेज इंडस्ट्री देहातों के अन्दर कायम करें तो एग्रीकल्चरल टैक्स देना पड़ता है, सेल्स टैक्स देना पड़ता है, सेंट्रल एक्साइज देनी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को टैक्स देना पड़ता है और पंचायतों का टैक्स देना पड़ता है। तो जाहिर है कि बहुत से टैक्सों का भार काटेज इंडस्ट्री जैसी चीज पर पड़ जाता है। तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे इस मुल्क के अन्दर तरक्की करेंगी और हमारे मुल्क को बेहतर बनायेंगी ? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जल्द से जल्द इस बात का फैसला करें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इस सूबे के अन्दर रहें या न रहें और अगर रहे तो क्या सूरत हो। अगर डिस्ट्रिक्ट बाडी इस सूबे के अन्दर रखे जाते हैं तो उनकी सूरत एक सुपरवाइजरी बाडी की हो सकती है कि वे पंचायतों के काम को सुपरवाइज करें। लेकिन डबल टैक्सेशन जो हो रहा ह इसको खत्म होना चाहिये।

हम सुन रहे हैं कि अनकरीब सरकार पंचायतों का इलेक्शन कराने वाली है। बड़ी खुशी है जो पंचायतें ६ साल पहले कायम हुई थीं और उनका इलेक्शन बढ़ा दिया था अब उसका इलेक्शन अगले मई या जून में होने वाला है। इस इलेक्शन के सिलसिले में मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले मौके पर जब पंचायतों का इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इन पंचायतों के एलेक्शन को पार्टी का एलेक्शन बनाकर नहीं लड़ना चाहिये इसलिये कि पंचायतें एक ऐसी यूनिट हैं कि जिनके ऊपर तमाम मुल्क की तरक्की का दारोमदार है। यहां जो काम करने होते हैं वह बिलकुल नानपोलिटिकल ईश्यूज होते हैं। गांवों की भलाई, गांवों की बहबूदी, उनकी तरक्की, ये सब काम वहां करने होते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसका तो वह फैसला कायम रहेगा ही, दूसरी पार्टियां भी इसी उसूल पर चलेंगी कि गांव पंचायतों के अन्दर पार्टी पालिटिक्स न घुसने पाये। आज पंचायतों में पार्टी बन्दियां हैं जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें और मुश्किलें सामने हैं। अगर इन पंचायतों के एलेक्शन को पार्टीबन्दी के उसल पर लड़ाया गया तो जो मुश्किलें आज हैं जो दिक्कतें हैं वह दसगुनी ज्यादा बढ़ जायंगी।

एक चीज मैं अदालती पंचायतों के सिलसिले में भी अर्ज करना चाहता हूं। वैसे तो हमारा ऐक्ट इसकी अभी हाल ही में तरमीम हुआ है और उसके बाद अदालती पंचायतों का कांस्टीट्यूशन भी बदला है, लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि जैसा अभी मेरे एक दोस्त अदालती पंचायतों के मुताल्लिक कुछ कठिनाइयों का इजहार फर्मा रहे थे, मैं उनकी ताईद तो नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वह छोटे छोटे मुकदमें जो कि अदालतों में जाते, जिन पर कि गरीब पब्लिक का रुपया बर्बाद होता, वह इन अदालती पंचायतों की वजह से बहुत कुछ बच गया। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जहां तक अदालती पंचायतों का ताल्लुक है वह बिलकुल प्योरली नामिनेटेड बाडीज होनी चाहिये। अभी जो कांस्टीट्यूशन तरमीम हुआ है उसके जरिये से उसमें एलेक्शन और कुछ नामिनेशन का जुज आ गया है लेकिन हमारे सामने और मुल्कों के तजुर्बे हैं, यूनाइटेट स्टेट्स आफ अमेरिका का तजुर्बा है कि जहां जहां इस तरह की एलेक्टेड बाडीज बनायी गई, वह तमाम फेल हो गई। तो ऐसी सूरत में हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से पिछली पंचायतों में काफी दुश्वारियां आई और इसी वजह से पिछली मर्तबा यह ऐक्ट दुहराया गया और उसमें कुछ तरमीमें हुई। मगर वह तरमीमें अभी भी काफी नहीं हैं। जुडिशल बाडीज को बिलकुल प्योरली नामिनेटेड बनाना चाहिये क्योंकि एलेक्शन जहां कहीं भी आ जाता है, वहां सही तौर पर इंसाफ नहीं मिल सकता और फिर इसमें जो हम उन लोगों के मुताल्लिक खास तौर पर ख्याल रखना है क्योंकि वहां जो इंसाफ के लिये जाते हैं वह गांवों के अन्दर रहने वाले होते हैं उनको तो इसमें सही इंसाफ पाने में और भी दिक्कतें होती हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि पंचायतें जो काम अपने जिम्मे ले रही हैं सोशल वेलफेयर का तो उसके लिये सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री से भी उनका ताल्लुक काफी होना चाहिये खास तौर से जैसे कि डिफेंस सोसाइटियों का ताल्लुक है। डिफेंस सोसाइटियां बहुत से गांवों में बना दी गई हैं। किसी न किसी सूरत में उनका संबंध पंचायतों से है। लेकिन हम अब प्रान्तीय रक्षा दल को भी मुस्तकिल करने जा रहे हैं तो यह डिफेंस सोसाइटियों का काम पंचायतों के मुताल्लिक रहे तो मैं समझता हूं और भी ज्यादा गांव की अच्छाई और उसकी बहबूदी उससे हो सकती है। जहां दवाइयां रखने का इन्तजाम किया गया है इन पंचायतो में वहां आयुर्वेदिक दवाइयां लोगों को मिलती हैं। अगर उसके साथ साथ होम्योपैथिक दवाइयों को भी रखने का इन्तजाम हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे लोगों को दवाइयां भी बहुत चीप मिलेगी और यह दवा बहुत आसानी से मिल भी सकती है। तो इससे पंचायतों की पापुलैरिटी में भी काफी उन्नति होगी और गांव वालों को भी इससे बहुत काफी नफा पहुंचेगा।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री ने जो यह अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने पंचायतों की जो स्थापना की, उसका जो मकसद था कि इससे हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास होगा, इसमें जो सरकार की तरफ से चतुर्मुखी उन्नति के लिये कार्य किये गये, वह सब सराहनीय हैं और मैं उन सब कामों का स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही साथ यहां पर जो कुछ गांव अदालत पंचायतों के मातहत कार्य किये जा रहे हैं उनकी तरफ ध्यान

[श्री रामकृष्ण जैसवार]

आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा यह याद दिलाना चाहता हूं कि आज गांव में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिये जो कार्य सरकार की तरफ से किये जा रहे हैं उनकी तरफ आज गांव देहात में जहां कि प्रत्येक गांव में एक हरिजनों का बहुतबड़ा वर्ग जो चमार कही जाने वाली जाति है उसमें असंतोष पैदा हो रहा है। मैं पश्चिमी जिलों की बात नहीं कहता। मैं पूर्वी जिलों की बात कहता हूं कि वहां चमार मरे हुये मवेशी को उठाकर ले जाता है और गांव के बाहर ले जाकर उसकी खाल को उतारता है। लेकिन खाल उतारने के लिये पंचायत की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, न तो स्थान की और न कुछ जमीन ही उसके लिये रखी गयी है जहां पर वह मृतक मवेशी की खाल उतार सके, जिससे उसे परेशानी उठानी पड़ती है। इसके साथ ही साथ उसकी तरफ और भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब वह मरे हुय जानवर को उठाकर ले जाता है तो उसे कोई मजदूरी नहीं दी जाती, मजदूरी तो देते ही नहीं और साथ में उन चमारों से एक तरह से मोट चरस या लगान वसूल किया जाता है। अगर नहीं देते तो आम तौर से अदालत पंचायत में दावा करके मनमाना लगान वसूल करत हैं और यह शिकायतें करीब ८–१० साल से मिर्जापुर तथा अन्य पूर्वी जिलों से आ रही है।

सरकार से इस संबंध में लिखा पढ़ी भी की गयी कि यह उन्हें मुफ्ती दिलाया जाय, लेकिन कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हुई। तो मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां इस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है और हमारे जिले से इसके लिये १० वर्ष से आन्दोलन चल रहा है। सरकार के पास तमाम प्रस्ताव पास करके सार्वजनिक सभाओं से और हरिजन सम्मेलन से भेजे गये। इसके बाद ही मैंने सदन में सम्मानित सदस्यों के सामने प्रश्न भी किया था और आवेदन पत्र भी दिये गये और जब पंचायत राज संशोधन ऐक्ट चल रहा था, उस अवसर पर हमने सामान्य वाद-विवाद ले अवसर पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और उसके बाद ही मैंने एक संशोधन यहां उपस्थित किया था और वह माननीय स्वायत्त मंत्री के आश्वासन पर वापस ले लिया था, लेकिन इसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी। तब मिर्जापुर के रामस्वरूप जी तथा रामकृष्ण एम० एल० एज० द्वारा २४–३–५४ को माननीय मुख्य मंत्री, मालमंत्री और स्वायत्त मंत्री को एक स्मृतिपत्र दिया गया, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसके बाद हमारे यहां से मिर्जापुर के सवर्ण और हरिजन सभी एम० एल० एज० की तरफ से एक स्मृतिपत्र के रूप में हमने मुख्य मंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र दिया और मांग की कि (१) मृतक पशु के चमड़े पर उठाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का ही स्वामित्व माना जाय (२) उठाने वाले व्यक्तियों को मृतक पशु उठाने की उचित मजदूरी निर्धारित की जाय। (३) मृतक पशु के चमड़े के मूल्य के संबंध में उठाने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी भी अदालत में नालिश अवैध मानी जाय। (४) मृतक पशु उठाने के लिये जिले के चमारों को ही रस्मन विवश न किया जाय। क्योंकि इस प्रकार की विवशता थी, लेकिन हमने देखा कि हर एक अदालत के द्वारा अब भी मनमानी डिग्री हुई है। जब कोई परेशानी दूर नहीं हुई तो ३०–९–५४ को यहां के विधायकों की तरफ से २६ एम० एल० एज० के हस्ताक्षरों से मुख्य मंत्री, न्याय मंत्री, माल मंत्री और स्वायत्त मंत्री को भी एक मेमोरेंडम दिया और उसमें हमने मांग की थी कि :—

"1. The scheduled caste persons, who have to remove the carcasses, be declared to be the owner of the carcasses.

2. Nothing should be demanded by any person from the scheduled caste persons (*Chamar*) for the removal of the carcasses.

3. Fair wages be prescribed to be paid, to the scheduled caste persons by the owner of the animals as labour charges for the removal of the carcasses."

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य बहुत व्योरे में जा रहे हैं।

श्री रामकृष्ण जैसवार—थोड़ा सा और हूँ

"4. No civil suit be allowed to be filed in any civil court or Adalat Panchayat against any scheduled caste persons in this connection."

इस प्रकार की बात हमने कही थी। इसके बाद भी, माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं आपके द्वारा कि १५-१६ फरवरी को १९४७ में जिला सुल्तानपुर में प्रांविशियल शड्यूल्ड कास्ट कान्फ्रेंस हुई थी। उसमें भी सरकार के पास यह प्रस्ताव भेजा गया:—

"That the wages for removing dead body of animal should be Rs. 4 besides its hide and bones."

और यह प्रस्ताव सरकार द्वारा २३ जून ४७ को म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया था। अगर इसको देखा जाय तो पता चलेगा कि २३ जून ४७ को यह भेजा गया था लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं। एक तरफ तो पंचायतों के लिये तमाम बातें की जा रही हैं और यह कहा जा रहा है कि हम विकास करना चाहते हैं और यह सही है कि सरकार की तरफ से हर प्रकार के विकास के लिये हर तरह का काम किया जाता है। लेकिन जब एक वर्ग की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया और आन्दोलन किया गया लेकिन फिर भी अदालती पंचायतों के द्वारा उन पर डिग्री हो रही है और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब यह कहा जा रहा है कि हम समाजवादी व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं तो एक वर्ग जब कि दबाया जा रहा है तो उधर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है जब कि आप न्याय संगत डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। जब समाज की तरफ से यह वर्ग इतना पीसा जा रहा है तो वह उधर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। अन्त में मैं इसका समर्थन करते हुये पुनः उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाकर समुचित व्यवस्था के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जो अनुदान सदन में उपस्थित है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् यह जो ग्राम सभायें और ग्राम पंचायतें हैं यह महात्मा गांधी जी का स्वप्न था कि वह ग्रामों का प्रबन्ध उन्हीं के द्वारा करवाना चाहते थे। आज उसका अनुदान हमारे माननीय न्याय मंत्री जी ने सदन में उपस्थित किया है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि गांवों की तरक्की के लिये यह सबसे बड़ा अनुदान है। आज हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से ग्राम सभाओं को और ग्राम पंचायतों को कामयाब बना सकते हैं।

श्रीमन्, जहां तक मैं देखता हूं कि हमारे ग्रामों में रहने वाले भाई आज इतने उत्सुक हैं कि हमारे ग्रामों की हालत अच्छी हो। अभी हमारे न्याय मंत्री जी ने यह बतलाया था कि ग्रामों के अन्दर श्रम से काफी रास्ते बनाये गये हैं, काफी नालियां बनाई गई हैं और काफी लालटेनों का इन्तजाम हुआ है। यह हमारी ग्राम पंचायतें और ग्राम सभायें काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सरकार का भी ध्यान इसकी तरफ हो। आप जानते हैं कि गांवों के रहने वाले ज्यादातर इन चीजों से दूर रहते हैं और उन्हें इसका तजुर्बा भी नहीं लेकिन उनकी इच्छा है कि हमारी ग्राम सभायें और ग्राम पंचायतें अच्छा कार्य करें। आज इसकी जरूरत है कि सरकार का इस तरफ विशेष ध्यान दे।

श्रीमन्, मैं तो यह कहूंगा कि गांवों के अन्दर जो काम हो रहा है वह सराहनीय है। आज मैंने देखा कि पंचायतों के अन्दर जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे गांव सभाओं के अलावा और भी काम लिये जाते हैं जिनकी वजह से वह गांवों की सेवा ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। जैसा कि माननीय मथुराप्रसाद जी त्रिपाठी ने कहा कि गांवों के अन्दर सेक्रेटरी से या और काम करने वालों में से तरह-तरह के काम लिये जाते हैं जिससे वह ज्यादा रचनात्मक काम नहीं कर पाते हैं।

[श्री मिहरबान सिंह]

इसके साथ साथ सरकार का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि गांव के अन्दर जो पंचायत इंसपैक्टर होते हैं वह अपने हल्के का इन्तजाम किया करते हैं। उनकी इस बात की आवश्यकता है कि वह उन गांवों के लिये ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे चरित्र के कार्य करें। मैंने देखा कि बहुत से पंचायत राज इंस्पेक्टर्स खुद ऐसी गलती करते हैं जिससे गांवों का अहित होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हमारे जिला इटावा में जसवन्तनगर इलाके में पंचायत राज इंस्पेक्टर को जो रुपया वहां के काम के लिये दिया गया था वह उसने वहां के प्रधान को न देकर खुद ही अपने पास रखा। प्रधान को जब मालूम हुआ कि सरकार की तरफ से कुछ रुपया दिया गया इस ग्राम पंचायत के लिये तो उन्होंने इंस्पेक्टर से मांगा लेकिन वह बराबर हीला हवाला करते गये। यही नहीं, बल्कि उनके नाम की जाली रसीद भी बना कर उन्होंने दाखिल कर दी। जब इस मामले की शिकायत आयी तो इटावा के ऐंटी करप्शन में अधिकारियों के पास मामला गया। मैंने कोशिश की कि इस तरह की कार्यवाही करने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाय लेकिन वहां के अफसरों ने कोई विशेष कार्यवाही नहीं की। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार अपने अधिकारियों को यह आदेश भेजे कि ऐसे काम करने वालों के विरुद्ध अवश्य कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके अलावा पंचायतों के अन्दर अभी आवश्यकता इस बात की है कि वहां की ग्राम सभाओं के अन्दर स्कूलों और दवाइयों की जो आवश्यकता है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाय और यह अधिकार धीरे धीरे ग्राम सभाओं को ही दिया जाय कि वे खुद अपने यहां का इन्तजाम करें। इन सब कामों के लिये सरकार को विशेष रूप से रुपया रखना है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के सम्बन्ध में मुझे दो चार बातें माननीय मंत्री जी और मंत्रिमंडल से भी कहनी हैं। इस अनुदान के सम्बन्ध में बजट का मेमोरेंडम और सेक्रटरी के नोट्स वगैरह जो मैंने पढ़े तो उसमें एक रकम जो मांगी गयी है वह रोटा प्रिंटर के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में बजट पुस्तक खंड ३ में पृष्ठ ४९ पर लिखा है कि डायरक्टोरेट छपाई के काम को पहले गवर्नमेंट प्रेस के जरिये कराता था लेकिन यह प्रबंध संतोषजनक नहीं सिद्ध हुआ क्योंकि गवर्नमेंट प्रेस अन्य सरकारी कामों में ही पूर्ण रूप से सदैव व्यस्त रहता है। इसलिये उन्होंने रोटा प्रिंटर के लिये २७ हजार रुपये की मांग की है और कैमरा वगैरह मांगा है, नौकर वगैरह रखेंगे। सरकार को समझना होगा कि गवर्नमेंट प्रेस का इन्तजाम कमजोर क्यों है और मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जितना लिट्रेचर आप निकालते हैं आप चाहें रोटा प्रिंटर वगैरह भले ही खरीद लें लेकिन यह लाभदायक सिद्ध होने वाला नहीं है क्योंकि इस लिट्रेचर को कोई पढ़ता नहीं है। आप सेंसस करा लीजिये जितना लिट्रेचर आपका निकलता है उसको पढ़ने वाले सौ में से दो आदमी भी नहीं हैं। जो भी कारण हो लेकिन जैसा कि दिल्ली में पंडित जवाहर लाल जी ने हाल ही में कहा कि हिन्दुस्तान में बदकिस्मती से किताबों की तरफ तवज्जह जरा कम है। विजुअल तरीके से आप लोगों को एजुकेट करना चाहें तो शायद आप कामयाब हो सकें अपनी बातों को पंचायतों तक पहुचाने में लेकिन इन कागजों के जरिये अधिक लाभ नहीं होता। मैं दो दो ग्रामीण तहसीलों का यहां प्रतिनिधित्व करता हूं और मैंने जितनी जगहों पर सभापतियों और सरपंचों से बातचीत की कि तुमको फलां नम्बर की हिदायत में यह चीज दिखायी पड़ी तो उन्होंने कहा कि हमको साहब, पढ़ना लिखना तो बहुत आता नहीं है, हां कुछ अगर आता भी है लेकिन पता नहीं वह कागज कहां रखा है, जिसमें यह डाइरेक्टर के यहां से आया होगा। ढूंढ करके कागज लाने को कहा गया तो वह ढूंढ़ना शुरू हुआ। तो कोई पढ़ता नहीं है यह देखने की बात होगी।

हमारे सम्मुख टैक्स के बारे में कई बातें कही गयीं। मैं तो सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार मेहरबानी करके निश्चित रूप से यह तय करे कि कितना टैक्स कौन ले। मैं समझता हूं कि टैक्स की एक ही मशीनरी होनी चाहिये। केवल राज्य सरकार टैक्स लगाये। पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या दूसरे बाडीज को कोई टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

उन्हें सरकार से अनुदान पर रहना और चलना चाहिये। मैं अपने क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहता हूं। एक पंचायत ने छाते की मरम्मत करने वाले पर टैक्स लगाया और कहा कि यह तुम्हारा रोजगार, धंधा है। बरसात के कुछ दिन पहले छाते की मरम्मत करे, उस पर भी टैक्स लग गया। हम प्रदेश के रहने वाले या हम कांग्रेस वाले चाहे जितना संतोष प्रगट करें कि हमने गांधी जी के सपने को कार्य रूप में परिणत कर दिया। लेकिन निवेदन यह है कि हमने कानून को बनाया अपनी उस जनता के हाथ से काम कराने के लिये जो अधिकतर, १०० में ८० अशिक्षित हैं। अपनी योग्यता के अनुसार जो उनकी समझ में आता है उसके अनुसार वे काम करते हैं। मंत्री जी का यह दावा है कि इतने सैकड़े झगड़े पंचायती अदालतों ने आपस में समझौते करवा दिये और इतने फैसले हाईकोर्ट ने भी सही मान कर मंजूर किये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंचायत अदालतों ने जितने फैसले किये हैं, अगर पंचायत अदालतें न होतीं तो, उनमें से ७५ फीसदी मुकदमें कभी भी किसी भी अदालत में जाने वाले नहीं थे। वह घर बैठे तय हो जाते। इन अदालतों को वहां बना कर एक सजस्टिव मेथड रखा है कि मुकदमा आ सकता है। मेरी कांस्टीटुएंसी की छः पंचायती अदालतों में अमरूद आदि तोड़ने का मुकदमा चला। उसके साथ एक पत्ती और दो डंठल निकल आये। गांव के अन्दर फलों को खाने की स्वतंत्रता हमेशा रही है और ऐसा मुकदमा किसी इतिहास में नहीं मिलेगा सिवा पंचायत राज के इतिहास में।

हमारे यहां पंचायत राज के इस अनुदान के सम्बन्ध में एक बात और भी कही गयी। इतना रुपया आपने अफसरों को दिया है। आप अपने अफसरों को जितना भी चाहें घुमाइये। लेकिन उससे फायदा क्या? जबकि मैंने आपके गबन हुये रुपये का पता आपके अधिकारियों को अपने जिले में दिया, तब १-१/२ साल बाद जाकर मुझ को सफलता मिली कि वह मामला वे समझे। आपके अधिकारी तो घूमते हैं और पंचायती अदालतों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है फिर मैं कहता हूं कि पंचायत के अधिकारियों के घूमने से क्या लाभ? लाभ तो तभी होगा जब काम भी पूरा हो। आपकी ही पुस्तक है जो दूसरे विभाग की है "सहकारिता" उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें यह लिखा है?"सूचनाओं से मालूम हुआ है कि ७ हजार ७ सौ ६० पंचायत सेक्रटरियों में से ५७१८ ने प्रदर्शन करने के लिये बीज लिया बाकी ने क्यों इस कार्य को न उठाया? उस बीज की योजना और डेवलपमेंट में आपके सेक्रेटरी किसके आर्डर में हैं? मैं समझता हूं कि समय आगया है जब सरकार को अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, माल विभाग, इन सब को मिला बैठा कर तै करना चाहिये कि पंचायतों के सिपुर्द क्या क्या काम हो? और पंचायत राज के लिये तीन बातें तय कर लें। पहली बात यह है कि उनसे आप क्या काम लेंगे। दूसरी बात यह है कि उनसे आप किस विभाग के अधीन व द्वारा काम लेंगे। और तीसरी बात यह है कि किस किस कार्य को करने में असफलता हो गयी है। ऐसी बात कोई नहीं है कि हमने गांवों में पंचायत अदालत दे दी तो अब उसको कैसे वापस ले लें। अब भी पंचायती अदालत का Experi ment असफल मानकर उसे खतम कर दें तो जनहित में यह अधिक श्रेयकर होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार मंत्री जी के सामने रखता हूं।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

†श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री ने जो अनुदान सदन के सामने पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। अनुदान के ऊपर बोलते हुये हमारे राजा अवधेशप्रताप सिंह जी ने पंचायतों के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं वह स्वाभाविक ही हैं, क्योंकि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद समाज और भूव्यवस्था के बाद जो शून्य हो गया था उसको इन ग्राम पंचायतों ने पूरा किया है। लिहाजा उन पंचायतों के प्रति यदि उनको शिकायत है या उनसे असन्तोष है तो यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि मानव स्वभाव बहुत जल्द अपने प्रति किये गये सख्त या कठोरता के बर्ताव को भूलता नहीं है।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त मिश्र]

किन्तु हमारी पार्टी के बहुगुणा जी ने जिस प्रकार की आलोचना की इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसमें बहुत कुछ तथ्य है किन्तु उनको इस पर विचार करना चाहिये था कि ग्राम पंचायतों का निर्माण जिस परिस्थिति में हुआ था उसमें और आज की परिस्थिति में अन्तर है। एक तो उस वक्त जमींदारी खत्म हुयी थी और जमींदारी का असर उस वक्त भी गांवों में वैसा ही था जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश सभापति या अध्यक्ष या अदालती पंचायतों के पंच या सरपंच के रूप में ज्यादातर जमींदार वर्ग के लोग ही पहुंचे और इसी वजह से वह ग्राम पंचायतों का कार्य विशेषरूप से कुछ नहीं कर सके तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये। प्रतिकूल परिस्थिति के रहते हुये भी गांव पंचायतों ने इस थोड़े से काल में जो कार्य किया है उसमें यदि हम विचार करें तो वह कम नहीं है। जो नया चुनाव होने वाला है उसमें सच्चे और लगन के प्रतिनिधि पहुंचेंगे इसमें सन्देह नहीं है क्योंकि पंचायतों के महत्व को अब वे समझ चुके हैं। इसके पहले के चुनाव को लोग नहीं समझते थे कि इन ग्राम पंचायतों का महत्व क्या है और ग्राम समाज का क्या महत्व है। इसलिये जनसाधारण इसके प्रति ज्यादातर उपेक्षा बरतता रहा। तो इस दृष्टि से ग्राम पंचायतों को हमें देखना है। हमें उनमें संशोधन करना है और उन्हें समुन्नत करना है। जो कमी हैं उनको आगामी निर्वाचन के परिणाम स्वरूप दूर करने का प्रयत्न करना है

एक बात की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है साहित्य के सम्बन्ध में। श्री बहुगुणा जी ने जो कहा अधिकांश में वह बात सत्य है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक गांव सभा के सेक्रेटरी को यह आदेश दिया जाय कि प्रतिमास गांव सभा की कम से कम एक ऐसी बैठक हो जिसमें गांव पंचायत के सदस्य उपस्थित हों और उनके सामने उस साहित्य को पढ़कर उसमें जो काम की बातें हैं, जानकारी की जो बातें हैं वह गांव सभा के और ग्राम पंचायत के सामने उपस्थित करें। उनकी सब बातें बतलायी जायं। आज हमको गांव समाज और गांव सभा के सदस्यों को ट्रेनिंग देनी है और उसके साथ-साथ कुछ इस प्रकार का बंधन लगाना है कि जो इस प्रकार की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहेगा वह गांव सभा की सदस्यता से पृथक् कर दिया जायगा। इसलिये कोई सच्चाई की बात होनी चाहिये और उनके लिये कोई सुधार का कदम उठना चाहिये जिससे यह साहित्य में जो कि एक बड़ा व्यापक साहित्य है उसमें हमारा जो लाखों रुपया खर्च होता है, जो गांव सभाओं और पंचायतों को मिलता है उसका ठीक से उपयोग हो सके।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह है कि जहां आपने इंस्पेक्टरों की नौकरी को स्थायी किया है, पंचायत राज अफसरों की नौकरी को स्थायी किया है, पंचायत विभाग के अन्य कर्मचारियों, क्लर्कों की नौकरियों को स्थायी किया है, वहां आपने सेक्रेटरियों को बिलकुल भुला दिया है। जितने गांव सभाओं के सेक्रेटरीज हैं वह उनके कल पुर्जे हैं और उनको चलाने वाले हैं, तो उनको जब तक यह विश्वास न हो जाय कि उनकी नौकरियों में स्थायित्व है तब तक अपने काम में वे इतना उत्साह नहीं लेंगे जितना कि उनको लेना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे सेक्रेटरियों की नौकरियों को स्थायी बनाने के प्रश्न पर वे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

एक बात टैक्स के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। इस बारे में मैं बहुगुणा जी के साथ हूं और उनके विचारों से मुझे सहानुभूति है कि टैक्स सरकार को ही ऊपर से लगाना चाहिये और उसमें से गांव सभाओं को १ पैसा रुपया या १ पाई रुपया दे देना चाहिये। कृषिकर या इनकम टैक्स लगाकर सरकार को उन्हें रुपया देना चाहिये। गांव सभाओं के लिये जो कुछ दिया जाता है वह बहुत ही कम है। उनके लिये जो अनुदान रक्खा गया है वह केवल ९९ लाख है जिसमें से ९४ लाख तो वेतन भत्ता आदि का ही है। इसलिये हम यह चाहते हैं कि अगले वर्ष १९४ लाख रुपये का बजट हो और जिसमें से कम से कम १ करोड़ रुपये की रकम पंचायतों को दी जाय और वह इसलिये रख दी जाय कि वे अपना कार्य कर सकें।

जैसा कि इस वर्ष रक्खा गया है, १२ हजार पक्की और २४ हजार कच्ची पंचायतें बनायी जायंगी लेकिन जिस प्रकार से गांव सभाओं के बनाने की ओर ध्यान है वह बहुत ढीला है। सरकार से जो एक तिहाई या और इसी प्रकार का अनुदान मिलने वाला है उसमें आधा हिस्सा जो मिलने वाला है उसके मिलने में बड़ी देर होती है। १४ फीसदी पंचायतें जो बनी हैं उसका कारण यही है कि हमारे यहां से जो मांगें पंचायत विभाग को की जाती हैं उन मांगों को शीघ्र से शीघ्र पूरा नहीं किया जाता और अत्यन्त विलम्ब होता है इसलिये यह शंका की बात है कि आप अपने टारगेट को पूरा कर सकें। हमारी पंचायतों को ऐक्टिव बनाने के लिये यह अत्यावश्यक है कि हम अपने पंचायत राज इंस्पेक्टरों और पंचायत राज आफिसरों को ऐक्टिव बनावें जिससे हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकें और गांवों को ऐसा रूप प्रदान करें जिस रूप की कल्पना हमने अपने कल्याणकारी राज्य में की है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राम नारायण जी त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो पंचायतों का विरोधी हो। यह एक बड़ी अच्छी कल्पना है जिसका स्वप्न हमारे पूज्य बापू जी देखा करते थे जिसकी मंशा यह थी कि ताकत का सेंट्रलाइजेशन न होकर विकेन्द्रीयकरण हो। इस दृष्टिकोण से पंचायतों का निर्माण हमारे प्रांत ने किया है और शायद अपने देश में सबसे पहला कार्य है, यह सराहनीय है। गांव पंचायतों में कुछ खामियां हैं और उन खामियों की जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर है और मैं चाहता हूं कि उस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूं। उधर के एक माननीय सदस्य जो अभी बोल गये हैं या माननीय बहुगुणा जी जो अभी बोले हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पंचायतों में जो खामियां हैं उस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाऊं। सबसे बड़ी खामी जो पंचायतों के चुनाव में है वह उसके अन्दर राजनीतिक पार्टियों की दखलन्दाजी है जो आज गांवों के अन्दर एक बड़ी कलह की जिन्दगी प्रस्तुत कर रही है। हमारे कुछ साथी बौखला रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यह कहा जाय कि गांव सभा के सभापति या सरपंचों के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की बहुत सी ऐसी नीति है जिसके कारण यह आरोप लगाया जाय कि पंचायतों के चुनाव में सरकार हस्तक्षेप करती है और उसकी साजिश तथा कोशिश होती है तो कोई गलत न होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय अगर ऐसा नहीं है तो मैं प्रसन्न हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की तरफ से इस तरह का आश्वासन होना चाहिये कि ग्राम पंचायतों के चुनावों में राजनीतिक पार्टियों का कोई दखल नहीं होगा।

श्री राम नरेश शुक्ल—क्या आप अपनी पार्टी को ऐसा आदेश देंगे कि वह इस तरह की दखलन्दाजी न करे?

श्री रामेश्वर लाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सर्वोपरि नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने एक वक्तव्य में यह प्रकाश डाला था और अखबारों ने यह प्रकाशित किया था कि राजनीतिक पार्टीज गांव पंचायतों के चुनाव में कोई हाथ न लगावें। और हमारा आदेश तो अपनी पार्टीज के लिये है ही। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जनता के जो चुने हुये पंचायतों के अधिकारी हैं जैसे सभापति या न्याय पंचायतोंके सरपंच इन लोगों की आज कोई वकत नहीं है और जिले के अफसर वर्ग की आंखों में वे बहुत हेच हैं, इसका बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। हमने देखा है कि गांव में निर्माण कार्य के लिये सीमेंट की आवश्यकता हो और उसके लिये ग्राम सभापति की मुहर हो, और उसका दस्तखत हो तो भी उसकी कोई कद्र नहीं होती और यदि देहात का कोई बड़ा जमींदार उसे फारवर्ड कर दे या किसी एम०एल०ए० का ही दस्तखत हो जाय तब तो उसकी बड़ी कद्र होती है। तो मैं कहूंगा कि इसके लिये आपकी तरफ से आश्वासन होना चाहिये और गांव के सभापतियों की जो अपने निर्माण कार्य के लिये मांग करें उसकी जिलाधिकारियों द्वारा परिपुष्टि एवं पूर्ति होनी चाहिये।

[श्री रामेश्वर लाल]

इसके सिवा दूसरी बात यह है कि गांव पंचायतों के चुनाव में एक वर्ग बहुत उपेक्षित है और वह है स्त्री समाज। गांव सभाओं के चुनाव में हरिजनों के लिये रिजर्वेशन है और वह इसलिये है कि चूंकि भारतवर्ष के अन्दर हरिजन कम्युनिटी बहुत पिछड़ा वर्ग है, इस दृष्टिकोण से रिजर्वेशन रखा गया है। इसी तरह से स्त्री समाज भी आज बहुत पिछड़ा हुआ है और उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सूबे में स्त्री शिक्षा ३ प्रतिशित है और वे आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से गुलामी में बंधी हुयी हैं। इसलिये हमको चाहिये कि उनको उठाने के लिये हम एक बहुत अच्छा कदम उठावें और प्रमाणित कर दें कि हम समाज और राजनीति में उनको उतना ही स्थान देना चाहते हैं जितना कि उनके लिये होना चाहिये और इसीलिये उनका स्थान रिजर्व होना चाहिये। पार साल भी गांव पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में मैंने चर्चा की थी और इस साल भी माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस दृष्टिकोण से हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लिये रिजर्वेशन है उसी दृष्टिकोण से स्त्रियों के लिये भी रिजर्वेशन होना चाहिये।

अखाड़े की बातें भी यहां बहुत कही गयीं कि उनको मदद दी गयी है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी एक अखाड़ को ५ या ६ रुपया महीना भले ही जिले के अन्दर मदद दी गयी हो लेकिन उसमें जिलाधीश या प्लानिंग कमेटी की जहां तक बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सूबे और जिलाधीश की जो भी बात हो, लेकिन देवरिया के जिलाधीश के यहां व्यक्तिगत सिफारिश से यह रुपया दिया जाता है और उन्होंने पक्षपात किया है। कई आदमियों को अखाड़ के नाम पर जो रुपये दिये गये हैं अगर देखा जाय तो वहां अखाड़े का नाम भी नहीं है। जहां तक बजट की बात है मैं कुछ गांवों के नाम भी ऐसे गिना सकता हूं कि जहां पर कि इस तरह से जाल फरेब और धोखे किये गये हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि माननीय मंत्री जी उसकी जांच करावें और पता लगावें तो मालूम होगा कि कई जगह सेक्रेटरी ने सभापति का दस्तखत लेकर दो आदमियों का दस्तखत घर पर कराया और बजट पास हो गया। मुझे कहना यह है कि गांव पंचायतों ने जो बजट पास किये हैं उनमें ८० प्रतिशत से अधिक सभाओं में कोई बजट अधिवेशन नहीं बुलाया गया और वहां के सभापतियों और सेक्रेटरीज ने मिल कर बजट पास कर लिया और फर्जी कार्यवाही की।

दूसरे गांव पंचायतों की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि उनकी वकत की जाय और इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि ओला पड़ा, पत्थर पड़ा और बाढ़ आयी और वहां पर जितनी रिलीफ दी गयी वह दूसरे अधिकारियों के द्वारा दी गयी और पंचायतों की हर तरह से अवहेलना की गयी और मनमाने तरीके से टैक्स वसूल हुये हैं और हो रहे हैं। जो गांव ओले और बाढ़ से पीड़ित थे उन गांवों में टैक्स की वसूली रोकना चाहिये था।

अन्त में तीसरी बात मैं यह कहूंगा कि टैक्स की वसूली में कहीं-कहीं हमारे जिले में बैलों की कुर्की हो रही है और कुछ गांव सभाओं ने अपने टैक्सेज माफ कर दिये हैं लेकिन उसकी अवहेलना करके उन गांवों में टैक्स की वसूली की जा रही है। जबकि गांव समाज को अधिकार है कि वह अपने पर लगाया हुआ टैक्स माफ कर, दफ्तरों में कागज जला दिये जाते हैं, गायब कर दिये जाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरी इन बातों पर ध्यान दिया जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के ऊपर जब माननीय विरोधी दल के उपनेता जी ने भाषण किया तो उस में उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेन्द्रीयकरण की बात कही। उसके समर्थन में उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासन के जमाने में केवल एक ही गवर्नर होता था लेकिन आज हमारे प्रदेश में ५१ या ५२ जो जिलाधीश हैं वह गवर्नर हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने यह नहीं बताया कि वह विकेन्द्रीयकरण

किस प्रकार का चाहते हैं और किस शक्ल में सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। जहां तक जिलाधीश की शक्ति को बढ़ाने की बातहै उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, मेरा खुद भी ऐसा अनुभव है और मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि उनकी शक्ति बहुत बढ़ा दी गयी है। लेकिन जहां तक विकेन्द्रोयकरण की बात है यह जो गांव सभायें बनीं या पंचायतें बनीं यह तो खुद ही एक ठोस कदम विकेन्द्रीयकरण की तरफ था और मैं समझता हूं कि वह भी इससे सहमत होंगे। मैं समझता हूं कि गांव सभा और पंचायती अदालतें दो चीज हैं। जहां तक गांव सभाओं का सम्बन्ध है मैं यह जानता हूं कि कई जगह उनका बहुत अच्छा काम हुआ है लेकिन जहां तक पंचायती अदालतों का सम्बन्ध है उनके कामों को देखकर मेरा यह निश्चित मत है कि अगर वह खत्म कर दी जायं तो उससे प्रदेश की कोई विशेष हानि न होगी। मैं जानता हू कि उन्होंने आज गांव-गांव में थोकबन्दी पैदा की है। मैं जानता हूं कि वहां बहुत से फर्जी झूंठ केस बनाये जाते हैं और बेबुनियाद मुकदमे कायम किये जाते हैं और बाद में घूस लेकर लोगों को छोड़ दिया जाता है। मेरे पास ऐसी भी शिकायतें हैं कि वहां ३-३ महीने बाद टाइम बार होने पर फैसले बदल भी दिये जाते हैं। हो सकता है कि कुछ पंचायती अदालतों ने अच्छा काम किया हो लेकिन आम तौर से ऐसी शिकायतें हैं। इसलिये हमें सोचना है कि यह पंचायती अदालतें आगे भी कायम रखनी हैं या नहीं। बहुत से आंकड़े पंचायत घरों और सड़कों आदि के बनाने के दिये गये। मैं यह नहीं कहता कि वह सब ठीक नहीं हैं लेकिन मैं यह जानता हूं कि वह अकसर फिकटिशस होत हैं और बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिये जाते हैं, वह दुगुने और तिगुने कर के दिखाये जाते हैं। जैसे कहीं पर अगर थोड़ा सा काम हो जाता है और अगर कहीं ५० या १०० फिट मिट्टी डाल दी गयी तो कह दिया जाता है कि वहां ६ मील की सड़क बना दी गयी है। इस तरह से कागजात पर कुछ और ही दिखाया जाता है। पंचायतों की बाबत मुझे एक बात कहना है कि जो हमारी नियोजन समितियां जिलों में हैं वे पंचायतघरों तथा अन्य कामों के वास्ते आधे खर्चे देती है लेकिन देखा यह गया है कि उनका इस्टीमेट ५,६ हजार का आ जाता है और ३ हजार रुपया सरकार से मिल जाता है, वह खर्च कर दिया जाता है और फिर भी पंचायतघर व दूसरे काम कम्प्लीट नहीं हो पाते हैं। तो इसमें मेरा यह निवेदन है कि सरकार की तरफ से ऐसा आदेश दे दिया जाय कि पंचायतघरों व अन्य कामों के वास्ते रुपया तब दिया जाय जब आधा पैसा वहां की गांव सभा अपना खर्च कर ले।

इसके बाद एक छापने की मशीन खरीदनेकी बात कही गई है। श्रीमन्, मैंने देखा है कि शुरुआत में थोड़े से रुपये से ही आरम्भ किया जाता है। जैसे यहां २७ हजार रुपया मांगा गया है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे विभाग हैं उनकी यह टेंडेंसा हो गयी है कि वे स्वावलम्बी होना चाहते हैं और एक दूसरे से आजाद होना चाहते हैं और इसमें एक दूसरे का कोआर्डिनेशन नहीं रहता है। तो जहां तक छापेखाने की बात है हमारे पास अपना गवर्नमेंट प्रेस है जिसमें लाखों रुपये की कैपिटल लगी हुई है। अभी पारसाल ही २२ लाख रुपये की नई मशीन बाहर से मंगाई गई है। तो मैं नहीं समझ सकता कि जब इतना बड़ा गवर्नमेंट प्रेस है तो फिर इस तरह के छोटे छोटे विभागवाइज प्रेस खोलना कहां तक ठीक है। मैंने देखा है कि चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो और चाहे पंचायत विभाग सब की ही एक टेंडेंसी है कि हम एक नया आजाद प्रेस बनाये। मुझे ऐसा मालूम होता है शुरुआत में तो सिर्फ २७ हजार रुपये की ही मशीन मांगी है लेकिन बाद मे वह छोटा मोटा सेक्शन प्रेस का इंडिपेंडेंट तौर से बन जायगा। मैं तो कहूंगा कि यह टेंडेंसी गलत है। आखिर गवर्नमेंट एक है और जब इतना बड़ा गवर्नमेंट प्रेस है तो गवर्नमेंट का जितना काम है वह उसी के अन्दर हो और हर विभाग अपना आजाद तौर पर छापाखाना खोलने लगे यह उचित नहीं है। मन्त्री जी ने बताया है कि अब गांव सभा और गांव समाज एक हो जायगे, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा कदम है।

जहां तक साहित्य का सम्बन्ध है इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अधिक साहित्य छपा है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो पाया है। वह बहुत ही असंतोषजनक है।

[श्री नवलकिशोर]

तो जैसा कि अभी एक साथी ने कहा कि यह अच्छा हो कि सेक्रेटरीज को यह काम सौंपा जाय जिस से यह वितरण ठीक से हो और गांव की जनता को भी उससे फायदा हो तो ज्यादा अच्छा हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से ६ वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति और प्राचीनतम भारतीय परम्परा के अनुसार यहां के ग्रामों के शासन का प्रबन्ध स्वयं ग्रामवालों के हाथों सौंपने के लिये जो परीक्षण आरम्भ किया गया था उसी के संबंध में यह अनुदान है और उसके लिये मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी को बधाई देता हूं। पंचायत राज की सफलता दो पक्षों पर आधारित है। एक तो जो गांव सभाओं के और पंचायतों के अधिकारी है उनपर तथा उनमें से अधिकांश के अशिक्षित होने के कारण जो उनके मंत्री है उन पर और दूसरे जो जिलों के जिलाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनपर कि वे उस योजना को सफलीभूत करने के लिये कितना ध्यान देते हैं। सरकारी अधिकारियों में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि जहां बहुत से ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं को सफल बनाने के लिये कार्य करते हैं और भावना रखते हैं वहां एक वर्ग उनमें ऐसा भी है कि जो यह अनुभव करता है कि यह गवर्नमेंट और जनता के बीच में जो जनकार्यकर्त्ता लोग हैं या आ गये हैं ये उनके लिये एक सिरदर्द है। वह यह समझते हैं कि यह जो चप्पल तोड़ने वाले लोग हैं जो कल तक चप्पल तोड़ते थे आज उन पर शासन करते हैं और उनके लिये पालिसी निर्धारित करते हैं यह बात उनको भाती नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मुझे याद आया जो सन् ५० का है जब कि पंचायत राज्य विभाग के संचालक एक ऐसे व्यक्ति थे जो सर्विस क्लास के न हो कर सीधे एक जनकार्य-कर्त्ता के रूप में लिये गये थे, उनके संबंध में मेरी एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि "ही इज दी ग्रेटेस्ट फूल इन दी गवर्नमेंट"। अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उनका नाम बतला दूंगा, इत्तिफाक से उन्हीं के हाथ में आज पंचायत राज का महत्वपूर्ण विभाग है। जिन अधिकारियों का ऐसा विचार हो जिन कार्यकर्ताओं के संबंध में, वे उनके द्वारा निर्मित पालिसी पर कैसे अमल कर सकते हैं, यह हमारे लिये संदेह की बात है।

दूसरी बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो गांव सभाओं के अधिकारी हैं, प्रधान है, सदस्य हैं या पंचायतों के सरपंच और सेक्रेट्री हैं उनमें जब तक अपने लिये सेक्योरिटी का विश्वास न हो तो वे ठीक तरह से काम न कर सकेंगे। जहां इंस्पेक्टरों के स्थायीकरण की बात है, डिपार्टमेंट के और लोगों के स्थायीकरण की बात है तो जो पंचायतों के सेक्रेटरी हैं उनको भी स्थायी किया जाय और उनको कम से कम इतना वेतन दिया जाय कि वे विश्वास और निश्चय के साथ अपना कार्य कर सकें। उन्हीं के ऊपर हमारे इस विभाग की सफलता निर्भर है। कुल मिला कर ६५ रु० एक मंत्री को वेतन मिलता है और अपने घर से काफी दूर उनको देहातों में काम करना पड़ता है, और उन्हें कोई दूसरा काम करने का अवकाश भी नहीं मिलता है, इस-लिये जरूरी है कि उन्हें इतना वेतन दिया जाय और उनका स्थायीकरण हो कि वे पूरी श्रद्धा और लगन के साथ इस काम को कर सकें। गांव सभाओं में पार्टीबन्दी की भी बात कई माननीय सदस्यों ने कही है। वह गांव सभाओं के अधिकारियों, पंचों या सरपंचों के कारण इतनी नहीं है जितनी कि जो इंस्पेक्टर वहां जाते हैं और अनैतिक कार्य करने के लिये उन्हें मजबूर करते हैं उसकी वजह से है। वहां के लोगों में वही पार्टीबन्दी पैदा करते हैं। देखने में आया है कि बहुत से इंस्पेक्टर तो जानबूझ कर मंत्रियों से बेईमानी करवाते हैं और अपना आर्थिक लाभ करते हैं, और जब विभाग से शिकायत की जाती है तो जांच इतनी देर से होती है कि उनके खिलाफ जो सबूत होते हैं उनको मिटा दिया जाता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह विभाग उसी भावना से चलाया जाय जिससे कि आरम्भ किया गया था और माननीय मंत्री जी उन सुझावों पर विचार करेंगे तथा अमल कराने की कोशिश करेंगे जो कि यहां उनकी सेवा में उपस्थित किये गये हैं।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पूज्य महात्मा गांधी जिस रामराज्य की स्थापना चाहते थे उसी रामराज्य की स्थापना के लिये हमारी सरकार ने पंचायतों और ग्रामसभाओं का निर्माण किया। हमें उदाहरण इस बात का मिलता है कि जिस रामराज्य को महात्मा गांधी चाहते थे वह राम राज्य उस जमाने में भी पंचायती राज्य ही था। महाराज दशरथ ने कहा 'जो पंचहि मत लागहिं नीका, करौं हरषि हिय रामहि टीका'। पंचों की राय ली गई थी यह ज्ञात होता है। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुये उस समय की क्या व्यवस्था थी ?

"रामराज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भयो गयो सब शोका,
जिनहिं शोकते कहंहु बखानी, प्रथम अविद्या निशा नशानी।"

सबसे प्रथम अविद्या का नाश हुआ था। आज हम देखते हैं कि पंचायतों का निर्माण हो गया है, ग्रामसभाओं का निर्माण हो गया है। लेकिन हर पंचायत की हर जिले की ओर से यह शिकायत हो रही है कि उनका काम अच्छा नहीं हो रहा है। हम इस बात को मानते हैं कि दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है मैंने अपने जिले में भी देखा है कि पंचायतों ने वहां अच्छा काम भी किया है और बुरा काम भी किया है। उदाहरण के लिये मैंने अपने जिले की पंचायतों का निरीक्षण किया, उनका दौरा किया और देखा है कि कुछ पंचायतों ने बड़ा सुन्दर काम किया है। गांव को राम राज्य की परिभाषा में ढाला है। यह ठीक है कि दूषण भी है लेकिन वह दूषण अविद्या के कारण है। पंचायतों के अन्दर जो हम राग-द्वेष पाते हैं तो उसके लिये तो एक बात है :

"कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह,
मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना येहि।।"

इनका बाहुल्य हो गया है और इनके बाहुल्य से दूषण पैदा हो गये हैं। तो सब से पहले हमें इन चीजों को मिटाना है, अविद्या को दूर करना है। निर्लोभ हो कर, निर्भय होकर जब तक काम नहीं किया जाता तब तक सफलता नही मिलती, मेरा ऐसा विचार है। चाहे हमारी पंचायतों का कार्य हो, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई कार्य हो या दिल्ली की सरकार का कोई कार्य हो जब तक निर्भय और निर्लोभ होकर हम काम नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। मुझे तो यह दोहा याद आता है कि जिसे गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में लिखा है। उन्होंने लिखा है:—

"सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आश।
राजधर्म तन तीन कर, होय बेग ही नाश।।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि चाहे पंचायत के मंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री हों, चाहे दिल्ली की सरकार के मंत्री हों, यदि मंत्री ठकुर-सुहाती करने लगेगा तो वह सरकार, वह काम नष्ट हो जायगा।

"सचिव कहहि सब ठकुर सुहाती,
नाथ न पूर आब यहि भांती।।"

तो हमें पंचायत मंत्रियों को इस योग्य बनाना है। उनके सिर पर सारी पंचायत की जिम्मेदारी है, गांव सभा और गांव पंचायत का सारा काम वही करते हैं और मेरा तो यह विश्वास है कि जो वह करते हैं वही होता है। उन्हीं की देखरेख में सब कार्य होता है। तो यदि सचिव शिक्षित है और सद्भाव का बर्तने वाला है तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमारी पंचायतें सफलीभूत न हों, हमारी सरकार की कार्यवाही सफलीभूत न हो और यहां वास्तव में राम राज्य स्थापित न हो। यह नीति है। मुझे तो इस संबंध में एक उदाहरण याद आता है। रावण के

[श्री उमाशंकर मिश्र]

राज्य में उसको सभी सचिव इस प्रकार के मिले थे कि जो ठकुर सुहाती किया करते थे और जब वानर सेना समुद्र पार करके लंका पर चढ़ आयी तो उसने सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया और पूछा कि क्या होना चाहिये। राम की फौज तो आ गई है, सारे बन्दर भालू आ गये हैं। उस समय उसके सारे मंत्रियों के कहा कि महाराज, आप किस बात की चिन्ता करते हैं। सबेरे ही हम इन सारे बन्दर भालुओं का कलेवा कर जायेंगे। उस सभा में विभीषण भी रावण के मंत्रियों में थे। वह उनके भाई भी थे और सचिव भी। उन्होंने रावण से हाथ जोड़कर कहा कि नाथ, यह अनीति है। ऐसा न किया जाय। रावण ने गुस्सा हो कर विभीषण को लात मारी और उस समय विभीषण के शब्द होते हैं :

"अति भल कीन तात मोहि मारा,
रामभजहिं हित नाथ तुम्हारा।।"

आपने बड़ा सुन्दर किया जो मुझे लात मारी लेकिन फिर भी मैं कहे जाता हूं कि राम की शरण में जाने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो हमें इस प्रकार के सचिव चाहिये कि जो सही रूप में मानव हों, उनमें मनुष्यता होनी चाहये और मेरा तो विश्वास है कि ऐसे सचिव पाकर ही हम महात्मा गांधी का राम राज्य लाने में सफल हो सकते हैं।

लाल बत्ती जल गई है और मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि ऐसी प्रकृति के मंत्रियों को हम पंचायतों में लाने में सफल हो सकें तभी हम महात्मा गांधी के राम राज्य की स्थापना इस देश में करने में सफल हो सकेंगे। और यह भारतवर्ष वही भारतवर्ष है कि जहां लोग बाहर से शिक्षा लेने आते थे और अपने-अपने देशों में जाकर उन्नति करते थे।

हमारे भारत की क्या महत्ता थी उस संबंध में गोस्वामी जी ने विनय-पत्रिका में यह लिखा है :

"यह भरत खंड समीप सुरसरि थल भलो संगति भली।
तेरी कुमति कायर कल पवल्ली चहत है विषफली।।"

लेकिन आज यह कुमति रूपी डायनी अन्याय पैदा कर रही है। ऐसे समय हमें महात्मा गांधी वाली प्रार्थना के ये शब्द याद आते हैं :—

"सबको सम्मति दे भगवान।"

मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुमति को अपनाने से हम रामराज्य लाने में समर्थ हो सकते हैं और इस मानवता के प्रसार द्वारा भारत को ऊंचा उठाने में सफल होंगे। आज जिस तरह से पं० जवाहर लाल नेहरू को विदेशों के सारे लोग आमंत्रित करते हैं क्योंकि उन्हें इस बात की आशा है कि हम उनकी सलाह से ही उन्नति कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकेंगे उसी प्रकार हमें उनकी सी मानवता अपने में, हर व्यक्ति में पैदा कर अपनी उन्नति करने के लिये जुट जाना चाहिये।

*स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भवन के माननीय सदस्यों का जो उन्होंने पंचायतों का स्वागत किया, वास्तव में आभारी हूं विशेषकर विरोधी दल के उपनेता का। वे पंचायतों की प्रगति चाहते हैं, पंचायतों के साथ सहानुभूति रखते हैं। सरकार इस बात से बिलकुल सहमत है। इसी उद्देश्य से पंचायतों की स्थापना की गई और उसी उद्देश्य से वे चलाई जा रही हैं। प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिये ये पंचायतें बुनियादी कड़ियां हैं और जैसे-जैसे इनमें ताकत आती है वैसे-वैसे प्रजातंत्र की शक्ति बढ़ती है। यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सही है कि अभी पंचायतों को स्थापी हुए अधिक समय नहीं हुआ। इनको अभी छठां साल है और यह इनका बचपन है और बचपन के जमाने में यह बात कही जा सकती है कि उनमें कुछ कमियां हों, जो उनका एक उद्देश्य था वह अभी उच्च लक्ष्य पर न पहुंच सकी हों, किन्तु जो कमियां हैं उनको माननीय सदस्यों के सुझावों से दूर करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जायगा।

माननीय विरोधी दल के उपनेता ने जो रिपोर्ट इस वर्ष प्रकाशित हुई है उसके विषय में कहा कि उसमें कुछ आंकड़े नहीं दिये गये। मैं देखता हूं कि उस रिपोर्ट में इस वर्ष के और पिछले वर्ष के आय के आंकड़े हैं। उन्हें इस बात की भी आशंका थी कि सम्भवतः पिछले वर्ष में पंचायतों की आय कम है इसीलिये वे आंकड़े नहीं दिये गये। किन्तु सन् १९५३-५४ में ९७ लाख, जो कि और पिछले वर्षों से अधिक है, की आय थी, वह आंकड़े वहां पर मौजूद हैं।

यहां कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि पंचायतों के मंत्रियों को स्थायी कर दिया जाय। जैसा इसी बजट में दिखाया गया है कि जो पंचायत निरीक्षक हैं उनको स्थायी करने का तो एक क्रम है, प्रतिवर्ष उनको स्थायी किया जाता है और जैसे-जैसे आगे बढ़ते जायेंगे उनके स्थायीकरण का प्रश्न चलता चला जायगा। जहां तक पंचायतों के मंत्रियों का प्रश्न है जैसा आप बजट में भी देखेंगे, मंत्री सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उनको सरकारी कर्मचारी नहीं समझा जाता। यह सही है कि उनका वेतन आज सरकार के उस रुपये में से दिया जाता है जो सरकार इन गांव सभाओं को अनुदान के रूप में देती है और वह अनुदान के रूप में उस समय तक चलता रहेगा जब तक यह पंचायतें आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जातीं। इसलिये सरकार के सामने स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठ सकता। एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि कुछ पंचायतों के मंत्रियों का पिछला बकाया वेतन पड़ा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब-जब पंचायत मंत्री रखे गये थे यह उत्तरदायित्व गांव सभाओं का था। उसके पश्चात् सरकार ने गांव सभाओं को अनुदान देकर उस उत्तरदायित्व को लिया। उससे पहले जो उनका बकाया रुपया था वह बाकी रह गया। लेकिन प्रतिवर्ष उस रुपये को उतारा जाता है और जितना रुपया सरकार दे सकती है बजट में से बचाकर वह प्रतिवर्ष दिया जाता है और आशा यह की जाती है कि इसी तरह से उस बकाया रुपये को समाप्त कर दिया जायगा।

एक बात यहां यह भी कही गयी और दोनों पक्षों की तरफ से कही गई कि पंचायतों का चुनाव आने वाला है उसमें राजनीतिक पार्टियां हिस्सा न लें। जहां तक सरकार का संबंध है सरकार का निर्णय तो इस विषय में कुछ हो नहीं सकता। यह तो राजनीतिक पार्टियों का स्वयं का निर्णय हो सकता है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जहां तक मेरी मालूमात है, जो यहां की बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने यह निश्चय किया है कि वे इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगी और हिस्सा न लेने से मैं भी समझता हूं कि पंचायतों का काम अच्छे तरीके से चलेगा।

एक प्रश्न यहां यह उठाया गया, मिर्जापुर जिले के माननीय सदस्य ने उठाया कि वह जो मरे हुये जानवरों को ले जाते हैं, उनसे कुछ पैसा वसूल किया जाता है। जैसा स्पष्ट है पंचायतें या गांव सभा कोई कर उनसे वसूल नहीं करती। यह उनकी पुरानी प्रथा है कि जिसका जानवर मरता है वह जो जानवर को उठा कर ले जाता है उससे कुछ लिया करते थे। उसी प्रथा के अनुसार आज भी कार्य होता है और उसके विषय में कुछ अदालतों में मुकदमें भी चलते होंगे। यह प्रश्न एक विधान का भी प्रश्न है। यह प्रश्न पंचायतों के निर्माण से विशेष संबंध नहीं रखता है, इसलिये इस पर विशेषकर मुझे कुछ यहां कहना नहीं है। एक प्रश्न और भी उठाया गया कि जिस तरीके से हरिजन भाइयों को रिजर्वेशन दिया हुआ है पंचायतों के लिये उसी तरीके से स्त्रियों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। हो सकता है कि स्त्रियों को शिक्षा के सम्बन्ध में और विकास के सम्बन्ध में अधिक आवश्यकता हो किन्तु जहां तक कोई रिजर्वेशन देने का विषय है, उस पर वैधानिक आपत्ति है। हमारा जो विधान है उस विधान में रिजर्वेशन केवल हरिजनों के लिए दिया हुआ है और सब उस विधान के सामने समान हैं। सबके लिए एक सी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। उस रूप में वह कार्य होता है। विधान की रू से मुझे कठिनाई प्रतीत होती है कि स्त्रियों के लिए कोई विशेष रिजर्वेशन दिया भी जा सकता है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)—मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री से यह प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस बात पर भी प्रकाश डालें कि पंचायत इंस्पेक्टर्स जिस जिले के रहने वाले हों, उस जिले में रखें जांय या दूसरे जिले में रखे जाँय, इस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री कैलाश प्रकाश—एक बात यहां और कही गई। रोटा मशीन के सिलसिले में जो एक अनुदान मांगा गया है उसके विषय में शंका की गई और साथ ही यह भी कहा गया कि जो लिटरेचर पंचायतों की तरफ से छपता है वह बहुत कम पढ़ा जाता है। यह हो सकता है कि लिटरेचर छप कर जाता हो, वह सब न पढ़ा जाता हो किन्तु यह बात भी हमको अपने समक्ष रखनी है कि हमारी जो ३६ हजार पंचायतें थीं, वह लगभग अब ६६,६७ हजार बनने जा रहीं हैं क्योंकि गांव समाज और गांव सभा एक ही हो जांयगी। ६७ हजार पंचायतों को चलाने के लिए उनको एक पत्र भेजने के लिए कितना छापना पड़ता है, यह सोचा जा सकता है और अब अगले पांच छः महीने के अन्दर चुनाव होने की संभावना है। चुनाव के संबंध में इन पंचायतों के लिए कितना कार्य करना होगा, कितनी चीजें छापकर भेजनी होंगी, इस पर भी विचार किया जा सकता है और इसी विचार से इस रोटा मशीन के लिए और सज्जा मांगी गई है। वास्तव में यह रोटा मशीन पहले से ही है और वह अब भी काम करती है किन्तु वह पूरा काम नहीं कर सकती आवश्यक सज्जा न होने के कारण और दूसरी जगहों से काम कराना पड़ता है। तो वह न कराना पड़े और हम अपना काम इसी से कर लें इसलिए यह अनुदान और मांगा गया है। जहां तक उस लिटरेचर की बात है जो कि गांवों में जाता है और जिसके लिए कहा गया है कि पढ़ा नहीं जाता है उसके लिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने सुझाव, अपनी सलाह हमें देने की कृपा करें। हम उनकी सलाह का स्वागत करेंगे और उनके सुझावों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जहां तक यह प्रश्न आया कि पंचायत निरीक्षक या अधिकारी-गण इन बातों में दिलचस्पी नहीं लेते कि पंचायतें पनपें और जो जन समाज के कार्य होते हैं उनमें पूरी-पूरी दिलचस्पी नहीं रखतीं। अनुभव तो यह है कि इन पंचायतों ने काफी काम किया है और जब कभी श्रमदान का सप्ताह आता है या श्रमदान के काम को देखने का अवसर आता है तब जिन्होंने उसे देखा होगा उनको अनुभव होगा कि गांव गाव में पंचायत के द्वारा एक जीवन सा फैल गया है। लेकिन फिर भी इतने बड़े संगठन में, व्यवस्था में, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस बात का ध्यान न रखते हों। अगर कहीं ऐसा हो और माननीय सदस्य इस बात पर ध्यान दिलायेंगे तो उसका प्रयत्न किया जायगा।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)—गवर्नमेंट का जब ध्यान दिलाया जाता है तो उस पर आब्जेक्शन होता है कि यह तो इंटरफियरेंस है।

श्री कैलाश प्रकाश—एक माननीय सदस्य ने एक पंचायत निरीक्षक की ओर-यहां ध्यान दिलाया कि उन्होंने कुछ रुपया लिया। वह रुपया गांव सभा के सभापति को नहीं दिया गया। मुझे उस सम्बन्ध में मालूमात करने से पता लगा कि इटावा जिले में ऐसा हुआ। यदि माननीय सदस्य का उसी से मंशा था तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और आदेश शीघ्र ही भेज दिया जायगा। इस प्रकार की जो शिकायतें आती हैं उन पर ध्यान दिया जाता है और आशा की जाती है कि यदि किसी माननीय सदस्य को ऐसी शिकायत हो तो उस पर उचित कार्यवाही की जाय।

एक बात मेरे साथी नवल किशोर जी ने कही कि वह जो आंकड़े इन रिपोर्टों में दिये हुये हैं उनके विषय में उनको कुछ आशांका है। यदि उनको कोई निश्चित जानकारी हो कि किस चीज के आंकड़े गलत हैं तो वास्तव में अगर वह ध्यान दिलायें तो इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि वह आंकड़े सही हों। यदि इस तरह के कोई आंकड़े निकलते हैं तो उससे प्रगति का ठीक पता नहीं चलता। सरकार ऐसा नहीं चाहती कि कोई ऐसे आंकड़े दिये जांय

लेकिन यदि ऐसा देखने में आता है कि किन्हीं भी आंकड़ों पर विश्वास न किया जाय और आंकड़ों के विरुद्ध एक प्रिजुडिस बना लेना कोई उचित बात नहीं है। यह आदेश है कि आंकड़े जो दिये जांय वह बिलकुल सही दिये जांय।

कुछ जो पंचायतों का कर वसूल किया जा रहा है देवरिया के माननीय सदस्य ने यह बताया कि उनके यहां बहुत ज्यादती की जा रही है। जैसा कि एक प्रश्न के उत्तर में मैंने उस रोज निवेदन किया था, सरकार के यहां कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है कि ऐसी ज्यादतियां की जा रहीं हैं। पंचायतों का कर वसूल करने के लिए ज्यादती करने की सरकार की बिलकुल मंशा नहीं है। किन्तु माननीय सदस्य जो इन पंचायतों की प्रगति और विकास से सहानुभूति रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, उनके सामने यह बात रहनी चाहिये कि टैक्स देना किसी को भी अच्छा नहीं लकता। टैक्स वसूल करना यह भी आवश्यक है। जब तक पंचायतें टैक्स अपना वसूल नहीं करेंगी, जब तक इनको कोई अपनी आमदनी नहीं होगी। तब तक उनका काम चलना दुश्वार है। कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात और कही है जिनको इन पंचायतों से बहुत हमदर्दी है उन्होंने कहा कि हमको निराशा हुई कि बजट में कोई अनुदान इन पंचायतों को देने के लिए विकास कार्य के लिए नहीं रखा गया। सही बात है। जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है, जिस अनुदान पर आज बहस हो रही है, विकास कार्य के लिए पंचायतों को अनुदान देने की कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। उस कार्य के लिए नियोजन विभाग से अनुदान दिया जाता है। इसी बजट में नियोजन विभाग में वह ग्रांट रखी हुई है और वह इन्हीं पंचायतों के द्वारा खर्च होती है। और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें प्लानिंग कमेटी को रुपया दिया जाता है और जो सुझाव यहां दिये गये हैं उन्हीं के अनुसार यहां काम होता है। कुछ रुपया अपनी तरफ से पंचायतें देती हैं और कुछ रुपया सरकार की तरफ से दिया गया है। इस तरीके की व्यवस्था है और ग्रांट दी जाती है और आज भी गांवों में जगह-जगह जो सभायें अपने यहां उन्नति करना चाहती हैं उनको अनुदान दिया जाता है और दिया गया है और बहुत से गांवों में जिसकी व्यवस्था आप वार्षिक रिपोर्ट में देखेंगे कि गांव सभाओं ने सड़कों को ठीक किया है, नालियों को ठीक किया है और रास्तों को ठीक किया है अपने गांवों में पंचायत घरों को स्थापित किया है और लालटैनों को लगाया है तो उनमें सरकार की तरफ से अनुदान और सहयोग दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि पंचायतें प्रगति करेंगी और सुचारू रूप से आगे चलती चली जायंगी। जो कमी है उनको माननीय सदस्यों के परामर्श से दूर करने की व्यवस्था की जायगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय उप-मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया कि अभी हमारी प्रगति छै वर्ष की है इसलिये बहुत कमी रही है और आगे हम प्रगति करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि छै वर्ष की प्रगति के बाद और भी तरक्की होनी चाहिये। विकेन्द्रीकरण का कार्य एक नयी चीज है। इसके लिये सरकार कोई एक कमेटी बना ले कि यह महान कार्य जिस तरह से आगे बढ़े और ज्यादा ताकतें पंचायतों को दी जांय तो इसमें बहुत अच्छी बात होगी।

माननीय मन्त्री जी अपने भाषण में कह रहे थे कि अदालती पंचायतों ने मुकद्दमों का काम बहुत अच्छा किया है और ७९ प्रतिशत मुकद्दमे हाई कोर्ट से बहाल रहे। लेकिन जिस समय पंचायत राज विधेयक में संशोधन हो रहा था तो बहुत सी ताकतों को पंचायतों से ले लिया था और उस समय कहा था कि अच्छी पंचायतों को देंगे। कहां तो उनको अधिकार ज्यादा दिये जाने चाहिये थे, कहां और उनसे अधिकार वापस ले लिये गये, तो यह कोई प्रगति नहीं, इस तरफ भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। राजस्व के भाग का जो सवाल है, यह ठीक है कि वह पंचायतों को दिया जाता है और वह नियोजन विभाग द्वारा दिया जाता है। लेकिन यह प्रश्न ज्यादा मनोवैज्ञानिक है बनिस्बत इसके कि सत्ता किस की हो, नियोजन विभाग द्वारा पंचायतें खर्च करें या पंचायतें खुद अपना बजट बनाये और खुद खर्च करें तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक फर्क पड़ जाता है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि पंचायतों को सीधे अनुदान दिया जाय। पिछली मर्तबा हमारी मांग थी कि राजस्व का २५ प्रतिशत इनको दिया जाय और उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि क्योंकि आपकी उपस्थिति में ही हम लोगों ने पंचायतराज विधेयक में प्रस्ताव पेश किया था और राज्यपाल ने इस सशोधन को स्वीकार कर लिया था लेकिन सरकार ने एक अजीब सी बात रख दी और सदन में इसको अस्वीकृत कर दिया गया। बहरहाल मैं महसूस करता हूं कि सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा पंचायतों को देना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बारे में मैंने कहा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण इस तरह से नहीं होगा कि हर विभाग का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मैजिट्रेट को बना दिया जाय। इस तरह से विकेन्द्रीकरण के बजाय सत्ता का केन्द्रीकरण होता है। इसलिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी और उपमंत्री जी ने इसका नया चार्ज लिया है और मुझे आशा है कि उनके जमाने में काफी प्रगति होगी।

पंचायतों के कर्मचारियों के बारे में यह नीति अपनाना ठीक नहीं है कि हम खर्चा देते हैं इसलिये मुस्तकिल नहीं करेंगे। गांव पंचायतों के कर्मचारियों को कोई न कोई अवधि रखकर मुस्तकिल करना चाहिये। सेक्रेटरी का वेतन अगर पंचायतें दे दें और पंचायतें ही वेतन बांटे तो वह दूसरी बात है या जिला नियोजन अधिकारी बांटे तो बात दूसरी है गो रुपया सरकार की ही तरफ से जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि पंचायतों को रुपया अनुदान की शक्ल में दे दिया जाय। यदि ऐसा हो जायगा तो उन्हें अनुभव होगा कि यह हमारे कर्मचारी हैं और हम इन्हें रुपया देते हैं। सारे अधिकार उनकी बरखास्तगी वगैरह के तो सरकार ने अपने हाथ में ले लिये हैं, इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाती है। और फिर एक असंगत सी बात की, पंचायत मंत्री, तो गांव पंचायत के कर्मचारी हैं, सरकार से उनके स्थायी आदि होने में कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन जब तक उनकी नौकरी स्थायी करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता तब तक उनको दिलचस्पी नहीं होती और इस सम्बन्ध में माननीय उपमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा कि आखिर माल विभाग, पंचायत विभाग, लेखपाल वगैरह के आपस में क्या सम्बन्ध होंगे। यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर ज्यादा जोर देना चाहिये और अनिश्चितता सी हो रही है जिसकी वजह से कार्य की प्रगति ढीली हो रही है वह कारण जल्द से जल्द दूर होना चाहिये। और अध्यक्ष महोदय, कुछ असंगत सा मालूम होगा एक तरफ तो मैं ज्यादा अनुदान की मांग करूं और जो मिल रहा है उसमें भी एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करूं। इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—गांव—सभायें और पंचायतें (लेखा शीर्षक:२५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत ९९,१६,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन

*श्री सैयद अली जहीर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव पेश करता हूं कि अनुदान संख्या १५—न्याय प्रसाशन के अन्तर्गत १,२८,०८,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, न्याय प्रसाशन की मांग के सिलसिले में मुझे कहना यह है कि इस साल कोई बहुत ज्यादा फर्क गुजिस्ता साल से नहीं हुआ है। जो मांग पारसाल १,४७,३६,५००

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपये की थी उससे ५ लाख के करीब अबकी दफा मांग ज्यादा बढ़ गयी है । इसमें जो नये अखराजात हैं उनमें एक तो बेन्च रीडर वगैरह के एप्वाइंटमेंट्स हैं लेकिन ज्यादातर डेढ़ लाख रुपये हमने इस गरज से रक्खे हैं कि जो फीसें सरकारी वकीलों को दी जाया करती थीं उसके बारे में यह महसूस हुआ कि वह कम हैं जिसकी वजह से अच्छे वकील नहीं मिलते थे और हमारे मुकद्दमों की पैरवी का काम खराब होता था । अब उम्मीद की जाती है कि फीसें बढ़ा देने की वजह से आयन्दा अच्छे वकील मिलेंगे और फौजदारी के मुकद्दमें खासतौर से जो अक्सर खराब हो जाया करते थेउनकी पैरवी इसके बाद अच्छी तरह से हो सकेगी । बाकी जो और एखराजात इसमें किये गये हैं उनके सिलसिले में मुझे यह कहना है कि चार जिले अबकी ऐसे हैं जहा डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज की अदालतें कायम की जा रही हैं। ये चार जिले हैं बलिया, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, और खीरी। इन चारों जिलों में अभी तक यह अदालत नहीं थी और इसकी मांग अर्से से चली आती थी। अब की दफा यह तय किया गया है कि इन चारों जिलों में भी यह अदालत कायम कर दी जाय ।

उसके बाद जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे हमारी अदालतें जो हैं उनकी हालत बाज-बाज जिलों में खास तौर से बहुत खराब है । उस सिलसिले में मैंने यह स्कीम बनायी है कि जहां तक हो सके उन सब की हालत बेहतर बनायी जाय और इस सिलसिले में बराबर कुछ न कुछ रुपया हर साल रखा जाता है इस काम के लिए । दो मदों में यह आता है । लेकिन इस साल और पारसाल मिला कर कुछ रुपया कोई १८ लाख ८० हजार ४ सौ इन कामों में सर्फ किया जायगा इसमें से ९ लाख ४२ हजार ५ सौ मौजूदा साल में और ९ लाख ३७ हजार ९ सौ आइन्दा साल में खर्च होगा ।

जहां तक कानून विभाग का ताल्लुक है यह विधान सभा को मालूम है। हमने यह महसूस किया था कि मुकद्दमों के फैसलों में बहुत देर होती है । चुनांचें उसके लिये बहुत सी तरकीबें की गयी और ऐसा तरीका अख्तियार किया गया जिससे मुकद्दमों के फैसले जल्दी हो सके । अदालतें बढ़ायी गयी और कानूनों में भी कुछ तब्दीलियां की गयीं मसलन जो कानून कुछ दिन हुए आप लोगों ने पास किया था उसके जरिये यह किया गया कि बहुत सी अपीलें जो हाई कोर्ट जाती थी उनके लिए यह तय हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज के लेविल पर आखिरी फैसला हो जाया करे । इसी तरह से जो पुराने दस्तावेजों के प्रिजर्वेशन के मुतल्लिक तीस वर्ष के बजाय २० वर्ष कर दिया गया । इसी तरह से जाब्ता दीवानी में बहुत सी तरमीमे की गयी हैं जिससे उम्मीद है कि आइन्दा मुकद्दमों में फैसला किसी कदर जल्द हुआ करेगा और जो एरियर्स जमा हो गये हैं उनमें कमी होती चली जायगी ।

यह बात मालूम ही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में काफी पुराने मुकद्दमें जमा हो गये हैं । इस सिलसिले में मुझे कुछ यह बताना है कि वहां जजेज को जहां तक ताल्लुक है उनके तकर्रुर का मामला हमारे हाथ में बिलकुल नहीं है । यह मामला केन्द्रीय सरकार के हाथ में जाता है । वहां से आखिरी फैसला होता है । जजों की तादद २२ होनी चाहिए । लेकिन अभी तक सिर्फ २० हैं । जब जजेज पूरे हो जायेंगे तो यह काम पूरा हो जायगा । जहां तक हमारे अख्तियार में बातें थीं उस में से इस वक्त २२४ मुंसिफ होने चाहिये, उसमें २१७ मुस्तकिल और ७ अस्थायी, इस तरह से मुंसिफ तअय्यून होन चाहिए थे । लकिन इसी बात को महसूस करके कि यह कमी किसी तरह से पूरी हो जाय हमन अब यह तादाद बढ़ा कर २४९ कर दी है । इसके माने यह हैं कि इसमें २ सौ परमानेंट मुंसिफ हैं, और ४९ अस्थायी मुसिफ हैं । इस साल जो हम इम्तहान करने जा रहे हैं मार्च के महीने में उसमें हमारा यह इरादा यह है कि २२ और नये मुंसिफ रेक्रूट किये जांय ताकि यह भी काम जल्दी शुरू कर दें । इसी सिलसिले में मैं यह भी बतला दूं कि जहां तक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज का ताल्लुक है इसमें बहुत ज्यादा तादाद तो वैसी होती है तो मुंसफी से बढ़ कर डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बनते हैं । लकिन अबकी साल से जो नय रूल्स हमारी गवर्नमेंट ने फ्रम किय हैं

[श्री सैयद अली जहीर]

उनके मातहत हम कुछ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज या सिविल जज और सेशन जज वकीलों में से भी डाइरेक्ट रेक्रूट करते हैं। चुनांचे तीन चार इस साल वकीलों में से लिये गये हैं। और आइन्दा भी ऐसा ही होता रहेगा।

जुडीसल आफिर्सस के मुताल्लिक भी आप लोग जानते हैं कि जुडीशल आफिसर्स हमने इस गरज से मुकर्रर किये थे कि फौजदारी का काम जुडीशिल आफिसर्स करें, वह अलग हो और जो जिले का इन्तजाम करते हैं वह अलग रहें, जिसको कहा जाता है सेपरेशन आफ इक्जिक्युटिव ऐंड जुडीशियरी। उस सिलसिले के मातहत यह जुडीशियल आफिसर्स मुकर्रर हो गये थे। मैं समझता हूं कि १८२ जगहों पर यह जुडिशियल आफिसर इस वक्त काम हमारे यहां कर रहे हैं। आपको मालूम है कि १८२ जुडिशियल आफिसरों में से ६० आफिसर्स को पहले मुस्तकिल कर दिया गया था लेकिन इस बात को काफी लोगों ने बे इतमिनानी के साथ कहा था कि बाकी लोग क्यों गैर मुस्तकिल हैं और यह मुनासिब नहीं है और उनको मुस्तकिल करना चाहिए। चुनांचे गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि ६० और जुडिशियल आफिसर्स को मुस्तकिल कर दिया जाय और इन ६० आफिसर्स को मुस्तकिल कर दिया गया है। यही नहीं, बल्कि इनकी तनख्वाह पहले एक तरह से अलग थी। इनका अलग एक स्पेशल ग्रेड था उसमें इनको तनख्वाह मिलती थी। वह ३००–५०० तक ही हुआ करती थी। अब उसको बदल दिया गया है और अब आइन्दा से इनको वही ग्रेड मिला करेगा जो कि सिविल सर्विस वालों को एक्जिक्युटिव हेड को मिलता है। इनको भी अब वही तनख्वाह दी जाया करेगी।

इसके अलावा आपको मालूम है कि कुछ जिले ऐसे हैं वह करीब १६ जिले हैं जहां पर एक एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहता है। इनके ऊपर लोगों को एतराज हुआ करता था कि यह जो एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ करते हैं इनको स्पेशल पे कुछ भी नहीं मिलती है जैसे कि स्पेशल पे और स्पेशल आफिसर्स को मिला करती है। इस वजह से इस बात को अभी तक अनफयर समझा जाता था। चुनांचे इस चीज को भी रफा कर दिया गया है। अब उनको १०० रुपया स्पेशल पे उस तनख्वाह के अलावा मिला करेगी जो उनको दी जाती है।

आप अगर बजट को गौर से देखेंगे तो मालूम होगा कि अक्सर जगहों पर एक और सही काम करने जा रहे हैं। अगर कहीं पर इमारत की कमी है या इमारत की हालत इतनी खराब हो गयी है कि जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है तो उसको भी रफा करने का इन्तजाम किया गया है। इलाहाबाद, जौनपुर, बलिया और बस्ती के लिये खास प्रौविजन किया गया है कि वहां पर इमारतें बनायी जांय। जहां पर इमारतों की हालत खराब है और मरम्मत की जरूरत है तो उसको भी रफा करने का इन्तजाम किया है। कहीं पर नयी इमारत बनायी जायगी और कहीं पर मरम्मत की जायगी और उसको ठीक करने का इन्तजाम किया जायगा।

आपको यह भी ख्याल होगा कि बहुत सी अदालत ऐसी हैं जहां पर फर्नीचर की हालत बहुत खराब है। अक्सर वकील लोग वहां पर जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। वहां कमरे को देखने से यह मालूम होता है कि यहां की फिजां कुछ कबाड़खाने की तरह से है। तो उसके लिये कुछ इन्तजाम करने की कोशिश की गयी है। अब हमारा यह इरादा है कि ५० हजार रुपया इनके ऊपर खर्च किया जाय और उस फर्नीचर को बदल दिया जाय जिसकी वजह से वहां पर हालत बहुत खराब है। जहां तक होगा उनमें नया फर्नीचर जो काफी वक्त तक चल सके उसको खरीदने का इन्तजाम किया जायगा।

वकीलों के लिये जो रेटस् बढ़ाये गये हैं वह भी आपको मालूम होगा। इसकी तफसील इसमें दी हुयी है और मैं उसके लिये वक्त जाया नहीं करना चाहता। लेकिन इलाहाबाद में हाईकोर्ट को लायर जो काम करते थे, जो रिट अप्लीकेशन का काम किया करते थे और जो फीस उनके लिये कायम की गयी थी उससे वह लोग खुश नहीं थे। रिट अप्लीकेशन का उनको ५१ रुपया मिला करता था। इलाहाबाद में तो यहां तक हालत थी कि एक वकील को १०–१५

रिट अप्लीकेशन करनी पड़ती थी और सिर्फ ५१ रुपये ही फीस उनको मिला करती थी। बाज रिट अप्लीकेशन को २-२ दिन लग जाते थे। इसके लिये बहुत शिकायत थी इसको बदल कर अब यह कर दिया गया है कि जो कम से कम उनको फीस मिला करेगी वह १५० रुपया होगी और ज्यादा से ज्यादा जो फीस होगी वह एक दिन की २५० रुपया होगी। अगर कुछ ज्यादा रिट हैं तो उनके लिये २५० रुपये तक उनको मिल सकता है। इससे कम नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर उसने सिर्फ एक ही रिट किया तो ५१ रुपये के बजाय उसको १५० रुपया मिलेंगे, इससे उम्मीद है कि हमारे मुकद्दमों की पैरवी अच्छी तरह से होने लगेगी।

अदालतों के वकीलों की फीस भी बढ़ायी गयी है। आप वाल्यूम ३ के सफा ४३ को अगर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें ३० रुपया रखा गया है अब उसके बजाय ४० रुपया कर दिया गया है।

ये जरूरी तरमीमात थीं इसलिये की गयीं। इन चन्द अल्फाज के साथ मुझे उम्मीद है कि आप इस मांग को मंजूर फरमायेंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण आनुदान के अधीन एक रुपये की कमी किये जाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं। श्रीमन्, हमारे देश के लिये और नवोदित प्रजातंत्र के भविष्य के लिये यह बड़ा शुभ चिन्ह है कि अभी यहां की जनता के हृदय में यहां की जुडीशियरी के लिये, न्यायाधीशों के लिये विश्वास बना हुआ है खास तौर से यहां के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिये यहां की जनता के सभी लोगों के हृदयों में चाहे उनकी विचारधाराओं में कोई मतभेद क्यों न हों, बहुत ही इज्जत है। सभी लोगों को आशा है और हमारी प्रार्थना है कि हमारे देश के न्यायाधिकारी अपनी परम्पराओं को बनाये रक्खेंगे तभी इस देश में विधानानुसार राज्य कायम रह सकेगा और प्रजातंत्र की परंपरायें कायम रह सकेगी। लेकिन जो पांच मुख्य मान्यतायें न्यायालायों के लिये कही जाती है वे हमारे देश में नहीं हैं। उस वक्त हमें यह बात और भी अखरती है जब कि हमारे राज्य में हमारे न्याय मंत्री के पद पर एक योग्य बैरिस्टर आसीन है और फिर भी सरकार का ध्यान इन बुराइयों की ओर नहीं जा रहा है।

वे पांच कमजोरियां जो हमारी जुडीशियरी में अच्छा काम करने में रुकावट डालती हैं उनमें पहली यह है कि हमारे यहां का न्याय सस्ता नहीं है। हमारे भारतवासी बहुत गरीब है उनके लिये न्याय सस्ता होना चाहिये। यद्यपि इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार पर नहीं है बल्कि यहां के बार और वकीलों पर भी है। फिर भी इसका निराकरण होना चाहिये।

दूसरी बुनियादी कमजोरी यह है कि देरी लगती है। एक कहावत भी है कि "जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइयड"। सालों बीत जाते हैं लेकिन मुकद्दमों का फैसला नहीं हो पाता है और इसी व्यवस्था से मिली-जुली समस्या यह भी है कि गवाह आते हैं, तमाम लोग आते हैं और केस मुल्तवी कर दिया जाता है और उनको चला जाना पड़ता है।

तीसरी बात यह है कि अदालतों में एरियर्स बहुत इक्टठे हो जाते हैं और उसको क्लीअर होने में कभी-कभी सालों लग जाते हैं। छोटे-छोटे केसेज जो गरीबों के होते हैं वह पीछे डलते चले जाते हैं।

चौथी बात सुपरवीजन की है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स में सुपरविजन बहुत कम है। इसका नतीजा यह है कि जो एफीशियेंसी होनी चाहिये उतनी नहीं है। उसका एक कारण यह है कि जितनी तादाद जजों की होनी चाहिये उतनी नहीं है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि २२ होने चाहिये थे लेकिन वे नहीं हो पाये। वाचू कमेटी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में २४ जजों की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि हर साल बजट में प्रावीजन कर लिया जाता है, कई बार अखबारों में भी आप पढ़ चुके हैं कि जजेज बढ़ाये जायेंगे लेकिन अभी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

नहीं पढ़ पाये हैं। ५३–५४ में ४५४ हजार रुपया लेप्स हो गया है ५४–५५ में ३४९ हजार रुपया लेप्स हो गया, यह बजट के मेमोरंडम में लिखा हुआ है लेकिन वह खर्च नहीं किया गया।

श्री सैयद अली जहीर––सवाल यहां जजों के बढ़ाने का नहीं है लेकिन खाली जगहों पर तकर्ररी का है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी––आप नाक ऐसे ही पकड़ लीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपके यहां जगह खाली है, उन्हीं को भर दीजिये लेकिन यह जरूरी है कि जितना हाईकोर्ट का स्ट्रेंग्थ है उसे भर दिया जाय। वांचू कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें तो जजेज की तादाद बढ़ाने की बात कही गयी है लेकिन आप तो बढ़ाने के बजाय जितनी जगहें हैं उनको भी नहीं भरना चाहते हैं। इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी है और माननीय मंत्री जी के ऊपर भी है। डाक्टर काटजू ने जुडिशियल रिफार्म्स के संबंध में स्वयं कहा है कि जुडिशियल रिफार्म के लिये सबसे जरूरी चीज यह है कि हाईकोर्ट के जजेज की तादाद बढ़ायी जाय। अब यह क्यों नहीं बढ़ायी जा रही है इसके लिये मैं नहीं कह सकता कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है? लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इसके लिये केन्द्रीय अधिकारी भी जिम्मेदार हैं और प्रान्तीय अधिकारी भी। कहां तक आप हाई कोर्ट के जजेज की तादाद बढ़ाते, जो वैकेंसीज हैं उनको भी आप अभी तक नहीं भर पाये। आप देखें कि हाईकोर्ट में किस प्रकार से एरियर्स बढ़ते रहे हैं। तमाम तादाद में तो मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन आप यह देखेंगे कि पिछले ५ सालों में अपीलों के पेंडिंग्स की तादाद भी करीब ६,१७० के लगभग है। सन् ५२ की मेरे पास ऐप्रूब्ड रिपोर्ट है और उसके अनुसार जो मुंसिफ कोर्ट में केस डिसाइड हुये उनका एवरेज डेज ३२७ से बढ़ कर ३९२ हो गया। जितने दावे थे उनका एवरेज ड्यूरेशन २७७ से बढ़ कर ३१५ हो गया। एग्रीगेट आफ पेंडिंग सूट्स ८३४८२ से बढ़कर ८८,२०५ हो गये। बोर्ड आफ रेवेन्यू में १४,४१५ केसेज पेंडिंग थे जिनमें से ३,९९३ डिस्पोज आफ हुए। आज हालत यह है कि कोर्ट्स के अन्दर एरियर्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जो जुडिशियल मशीनरी है उससे ऐडमिनिस्ट्रेटिव का काम लिया जा रहा है। जुडिशियरी को जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेटिव से अलग करने की बात है, क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकते हैं कि जितने जुडिशिपल आफिसर्स हैं वे केवल न्यायालयों का ही काम करते हैं या उनसे और भी काम लिये जाते हैं? हमारे भूतपूर्व चीफ जस्टिस मल्लिक साहब जो रिटायर हुये हैं उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि यह जरूरी है कि जुडिशियल आफिसर्स के मत्थे कोई दूसरा काम न डाला जाय। सरकारी रिपोर्ट्स इस बात की साक्षी है कि जुडिशियल आफिसर्स से ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम कराया जाता है। जहां भी जरूरत हुई जुडिशियल आफिसर को डिप्टी कलेक्टर का काम करने के लिये भेज दिया जाता है। पहले डिप्टी कलेक्टर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का काम करते थे लेकिन अब जुडिशियल आफिसर ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर का काम करते हैं। अब बिलकुल उल्टा हो गया। इसकेलिये यही कहा जा सकता है कि नयी बोतल में पुरानी शराब भर दी गयी है । मैं समझता हूं कि जुडिशियल आफिसर्स से ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम कराना सर्वथा अनुचित है।

जहां तक सुपरविजन की बात है उसकी तरफ भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर यह होता है कि यह भी नहीं देखा जाता कि कौन फाइल है, किस तारीख से पड़ी हुई है, कितनी पुरानी है, कितने साल से पेंडिंग है और उसको पड़े रहने दिया जाता है। इसलिये इसकी भी जांच करने की जरूरत है। ऐडजर्नमेंट की हालत भी बहुत खराब है। अक्सर यह होता है कि मैजिस्ट्रेट साहब वकील से बात कर लेते हैं और दोनों तरफ के वकील भी एक दूसरे से मिल जाते हैं और केस को दूसरी तारीख के लिये एडजर्न कर दिया जाता है। इसका कोई भी ख्याल नहीं किया जाता है कि गरीब बेचारा कितनी दूर से कितना खर्च करके आया है, उसका गवाह कितनी दूर से आया है और बिना इन सब बातों पर विचार किये हुये ही तारीख बढ़ा दी जाती

है। मैं समझता हूं कि इसमें तो सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। और जिले के जितने बार एसोसिएशन्स हैं उन सब की भी जिम्मेदारी है कि वे इसके लिये जोर लगावें कि सुपरविजन रिस्ट्रिक्ट हो और ऐसा सिस्टम बनाना चाहिये कि हर जुडिशिअल अफसर की चाहे वह डिस्ट्रिक्ट जज ही क्यों न हो, उसकी जांच होती रहे कि आया उन्होंने किस प्रकार से काम किया है और क्या किया? इस तरह की एक मशीनरी बनाये जाने की जरूरत है।

जहां तक करप्शन की बात है इसके लिये अभी तक कोई भी ऐसा उपाय नहीं किया जा सका जिससे कचहरियों के अन्दर जो भ्रष्टाचार है वह बन्द किया जा सके और हम सब उसकी आम तौर से शिकायत करते हैं और वाकई में अगर देखा जाय तो बात भी सही है। अगर मंत्री जी कभी भी कचहरी में जाकर देखें या पता लगावें तो उनको मालूम हो जायगा और सदन के सभी सदस्य इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं, हर जगह काफी रिश्वतखोरी है। इसलिये इस करप्शन को रोकने का तरीका हमें कोई न कोई अवश्य निकालना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि वहां सब बेईमान ही हैं, बहुत से ठीक आदमी भी हो सकते हैं लेकिन अभी तक बहुत हद तक कचहरी में घूसखोरी चलती है। उसको रोकने के लिये स्पेशल स्टाफ रखिये जो इनकागनिटो, छिपे तरीके से जाकर देखें और जाकर किसी तरह का निशान फाइल पर लगाकर यह दूसरे तरीके से रिश्वत लेने वाले और देने वालें को दोनों को पकड़ें और उन के खिलाफ कार्यवाही करें। मेरा अनुभव है कि इस समय अगर कहीं सब से अधिक भ्रष्टाचार होता है तो वह कचहरियों में होता है और उस के प्रमुख अड्डे कचेहरियां बन गई हैं। हमें इस बात को रोकना चाहिये और जो गरीब वहां कचहरी में जाकर लुटते हैं उसको रोका जाय। न्याय सस्ता करने की ओर यू० पी० सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। बम्बई सरकार ने सन् ५० में एक लीगल एड कमेटी बिठाई थी और श्री भागवती उसके चेयरमैन थे। कम से कम बम्बई करकार का ध्यान गरीबों की तरफ गया तो। उन्होंने उसमें कहा है कि हर जगह लीगल एड कमेटी होनी चाहिये, मैं उस को सुना देता हूं लेकिन इतना समय नहीं है, उसमें कि हर जगह बार असोशियेशन का एक पैनल होना चाहिये और हर वकील को साल में ६ मुकदमे गरीबों के मुफ्त करने चाहिये और उस लीगल एड कमेटी को अधिकार है कि जो इस तरह से ६ केसेज मुफ्त न करे उसके खिलाफ खुद बार असोसियेशन आपस में मुनासिब कार्यवाही कर ले और जो बैकवर्ड क्लासेज हैं या हरिजन लोग हैं उन की मदद के लिये खास तौर पर उन्होंने प्राविजन किया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि बम्बई सरकार की तरह यहां की सरकार भी लीगल एड कमेटी स्थापित करे और बार असोसियेशन और दूसरे लोगों की उस में मदद ली जा सकती है। विनोबा जी ने भी सरकार से, वकीलों से प्रार्थना की थी कि न्याय गरीबों के लिये सस्ता होना चाहिये और कहा था कि वकील लोग गरीबों के लिये कुछ केस मुफ्त लड़ा करें। हमें न्याय सस्ता करने के लिये बहुत से इस तरह के तरीके अपनाने चाहिये। हम लोगों को समझना चाहिये और समाज सेवा के लिये वकीलों के लिये भी आवश्यक है कि वे इस दिशा में आगे बढ़ें। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह भी भागवती कमेटी की तरह यहां एक कमेटी स्थापित करें ताकि इस प्रांत में गरीबों को लीगल एड मिल सकें, वह कमेटी सोचे कि उसके लिये क्या मशीनरी हो, उसमें प्रमुख न्यायाधीश हों, खास-खास वकील हों और वह सब मिल कर तय करें कि आगे गरीबों को किस प्रकार सस्ता न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है।

इसके अलावा वांचू कमेटी की भी बहुत सी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। उस के मुताबिक बोर्ड आफ रेवेन्यू का जो जुडीशियल फंक्शन है वह अलग होना चाहिये। दूसरे हाईकोर्ट में मिसलों के प्रिंटिंग में बहुत देर लगती है। उसमें वांचू कमेटी का सुझाव था कि २० हजार से ज्यादा मालियत की जो मिसलें हों उनकी तो छपाई कराई जाय और बाकी को टाइप कराया जाया करे। इसलिये इस सिफारिश को भी जिसके बगैर हाई कोर्ट में मुकदमों को बहुत देर लगती है नहीं माना गया है और न लागू किया गया है। जिन बातों को न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिये अच्छा समझा जाय उन को सरकार को फौरन मानना

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चाहिये और लागू करना चाहिये। मुझे आशा है कि यह सरकार आने वाले साल में इन सिफारशों को अवश्य लागू करेगी।

इसके अलावा पश्चिमी जिलों की और पर्वतीय प्रदेश के लोगों की बहुत दिनों से जो मांगें है कि अगर लखनऊ और प्रयाग दो जगह हाईकोर्ट रखना है तो उन जिलों का केन्द्र लखनऊ होना चाहिये। यह बात पिछले साल भी कही गई थी लेकिन इस विषय में अभी तक कोई बात तय नहीं की गई है। पश्चिमी जिले के लोगों को लखनऊ आना चाहिये ताकि हाईकोर्ट उन के करीब पड़े।

*श्री रामकुमार शास्त्री(जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष बजट सेशन के सिलसिले में मैंने न्याय मंत्री जी का ध्यान बस्ती जिले की दीवानी कचहरी की इमारत के सिलसिले में आकर्षित किया था। सौभाग्य से आज मुझे यह शुभ अवसर प्राप्त हो गया कि मैं हृदय से उनको धन्यवाद दे दूं लेकिन उसके साथ साथ मैं उनसे एक याचना और करना चाहता हूं कि बस्ती केन्द्र में अब केवल वहीं के जजेज नहीं रहते हैं बल्कि खलीलाबाद के मुंसिफ भी वहीं उस इमारत में अपनी अदालत लगाये हुये हैं। इस प्रकार आपने वहां के लिये ३८ हजार रुपया दीवानी कचहरी की तो इमारत जो खपरैल की है उसको पक्का करने के लिये दिया है और वह छत अब पक्की बन जायगी और उससे वहां के जो रिकर्ड्स वगैरह हैं और जो बरसात में छत खराब होने की वजह से टपकती रही है वह ठीक हो जायगी, उन रिकर्ड्स की हिफाजत हो जायगी और उससे वहां के जज साहबान और वकला साहबान की दिक्कतें रफा हो जायेंगी, लेकन जैसा मैंने कहा यह इमारत उन अदालतों को चलाने के लिये बहुत नाकाफी है। तो कुछ रुपया इसमें और रखने की जरूरत है। केवल इस बस्ती की इमारत ही नहीं बल्कि सूबे में और इमारतें बनवाने के लिये इसमें कुछ रुपया और बढ़ावें।

श्री सैयद अली जहीर---इन ३६ हजार के अलावा बस्ती जिले के लिये एक रकम अलग से एक कमरा बनवाने के लिये भी है।

श्री रामकुमार शास्त्री---उसके लिये मैं आपको और भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके साथ ही बस्ती जिले में पांच लाख की आबादी वाली एक तहसील और भी है जो बांसी है। वहां मुंसिफी कोर्ट है लेकिन उसकी हकीकत यह है कि फिक्टीशस रिकार्ड होने की वजह सें हजारों मुकदमात माल मुहकमे से जाकर दीवानी कचहरी में पहुंच गये और एक-एक नहीं, दो-दो एडीशनल मुंसिफ मुकर्रर किये गये जिन्होंने बड़ी जांफिशानी से उनका फैसला किया। लेकिन जिस इमारत में वह बैठते हैं वह सन् १९११ की बनी हुई है और बहुत छोटी इमारत है और दो-दो मुंसिफों के लिये उसमें जगह नहीं है। बांसी बहुत छोटा सा कस्बा है और वहां ग्राम सभा के अन्तर्गत सारा इन्तजाम होता है। वहां टाउन एरिया तक नहीं है और वहां इमारतों का मिलना दिक्कततलब है। तहसील की कचहरी भी वहां पर है और जो मुंसिफ साहबान वहां पर आते हैं उनके ठहरने के लिये जगह नहीं है। इस वक्त जो चहारदीवारी की तामीर के सिलसिले में इस मद में है अगर उसके अलावा वहां इन मुंसिफों के ठहरने के लिये कोई इमारत बनवा दी जाय तो बड़ी सुविधा होगी। वहां की जनता को, वहां के वकला साहबान को बराबर दिक्कत होती है कि वह कभी किसी मकान में रहते हैं और किसी वक्त किसी मकान में रहते हैं। तो वहां अगर वहां कोई धन रख दिया जाय और बांसी मुंसिफी के लिये कोई रुपया अलग कर दें तो वहां की जनता में खुद भी और जितने भी वहां के प्रतिनिधि हैं वे सब आपके बहुत-बहुत शुक्रगुजार होंगे। इतना कह कर मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

*महाराजकुमार बालेंदु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बात से माननीय मंत्री महोदय भी सहमत होंगे कि न्याय प्रशासन से जनता में काफी असंतोष है और जनता की काफी शिकायतें इस संबंध में आती हैं। कहां तक यह शिकायतें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सही हैं उनके संबंध में मंत्री महोदय का दूसरा विचार हो सकता है लेकिन जहां तक शिकायतों के आने का संबंध है उससे उनको भी इनकार नहीं होगा कि वास्तव में शिकायतें आ रही हैं।

अगर इन शिकायतों को जांचा जाय तो आधे से अधिक शिकायतें डिस्ट्रिक्ट में लोअर कोर्ट्स के संबंध में मिलेंगी और हाईकोर्ट के संबंध में उतनी शिकायतें नहीं आतीं। इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को धन्यवाद देता हूं कि बावजूद एजिटेशन के उन्होंने लखनऊ में हाई कोर्ट बेंच को कायम करना उचित समझा और बावजूद इलाहाबाद की ओर से यह मांग होने के कि लखनऊ बेंच बन्द कर दी जाय और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अन्दर रहे उन्होंने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुये यह उचित और आवश्यक समझा कि लखनऊ में बेंच रक्खी जाय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मित्र नारायणदत्त तिवारी ने भाषण के अन्त में कहा मैं भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि समय आ गया है और वातावरण व परिस्थिति भी वैसी ही पाई जाती है जिसके अनुसार यह आवश्यक हो गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच.....।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता था कि मेरी बात का उत्तर मिल जाय। आपके द्वारा मेरी उनसे प्रार्थना है कि यह उचित होगा कि वे मेरी बातों की ओर ध्यान देने की चेष्टा करें। तो मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा था कि मेरे विचारों में और इस सदन के और जनता के विचार में यह उचित है और इसकी आवश्यकता है कि लखनऊ बेंच के अलावा उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की एक और बेंच कायम की जाय। जिन कारणों से चीफ जस्टिस महोदय ने यह उचित समझा कि लखनऊ बेंच कायम रक्खी जाय वही कारण, वही तर्क इस दशा में लगाया जाय कि एक और बेंच का कायम करना उचित और आवश्यक है। इसके विरोध में हमको बताया जाता है कि खर्चा बढ़ेगा; मैं मानता हूं कि कुछ खर्चा बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि यह खर्चा जो बढ़ेगा जनता को जो उससे सुविधा पहुंचेगी उसके लिहाज से यह खर्चा उचित खर्चा होगा। हमसे कहा जाता है कि लखनऊ और इलाहाबाद को छोड़ कर बाहर की जो परिस्थिति है, जो स्टैंडर्ड है वह बहुत बुरा है और अगर किसी और जगह एक बेंच खोल दी जाय तो वह डिगनिटी आफ़ दी हाईकोर्ट न रहेगी। मैं समझता हूं कि यह एक बकवास है। इस डिगनिटी आफ दी प्रेस्टिज के संबंध में अगर ज्यादा ध्यान देकर जनता को रेडी और कुइक जस्टिस और ऐसी जगह जस्टिस न मिले जहां वह आसानी से पहुंच सके तो वह गलत होगा। मेरे हाथ में एक नकशा है उसे मैंने अपने विचारों से विभाजित कर लिया है, उसमें और तरमीम की जा सकती है और जैसा उचित समझा जाय वैसा परिवर्तन किया जा सकता है। उसके अनुसार मेरा सुझाव यह है कि इस संबंध में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहूंगा कि मुझे खुशी है कि जिन-जिन को मैंने उस दिखाया उन सबकी यह राय रही कि यह उचित सुझाव है जिस पर मंत्री महोदय और चीफ जस्टिस को ध्यान देना आवश्यक और उचित होगा। मेरे ख्याल से एक बेंच मेरठ में कायम की जाय जिसके मातहत १९ जिले होंगे, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, नैनीताल, बिजनौर, गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, सहारनपुर, और मुजफ्फनगर। दूसरे लखनऊ बेंच में १७ जिले हों जिनके नाम यह हैं:— लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और सुल्तानपुर। बाकी जिले इलाहाबाद हाईकोर्ट के मातहत रक्खे जायं। वैसे तो मातहत सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं लेकिन पहले की हीयरिंग इलाहाबाद, दूसरे की हीयरिंग लखनऊ में और तीसरे की हीयरिंग मेरठ में हो। इस संबंध में एक चीज मिलेगी, वह है यूनाइटेड प्राविंसेज हाई कोर्ट्स (एमलगमेशन) आर्डर, १९४८, उसके अनुसार सरकार के हाथ में यह नहीं है कि हाई कोर्ट की बेंचेज कहां-कहां बैठें। यह आर्डर इस प्रकार है--उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त दल की ओर से मैं ही बोलूंगा, अतएव मेरा समय बढ़ा दिया जाय कुछ समय मुझे अधिक दिया जाय इसकी प्रार्थना है। उपाध्यक्ष महोदय, आर्डर १४ इस प्रकार है :--

"The new High Court and the Judges and Division Courts thereof, shall sit at Allahabad or at such other places in the United Provinces as the Chief

[महाराजकुमार बालेंदुशाह]

Minister may, with the approval of the Governor of the United Provinces, appoint."

तो जैसा मैं कह रहा था कि मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि मेरे हाथ में इस संबंध में कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और इसके संबंध में चीफ जस्टिस साहब कुछ भी कर सकते हैं, यह उनके डिस्कशन पर है प्योरली, यह सही है लेकिन मैं यह कहूंगा कि यदि मंत्री महोदय इस सदन के सदस्यों की भावना को देख कर चीफ जस्टिस महोदय को यह बता दें कि इस सदन के सदस्यों की राय यह है कि ऐसा कदम उठाया जाय तो मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्यों की जो मांग होगी, जो कि वास्तव में जनता की मांग है इसलिये कि आखिर जनता के सारे प्रतिनिधि ही यहां बैठे हैं, उस पर चीफ जस्टिस महोदय अवश्य ध्यान देंगे और उसका महत्व देख कर उसे स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में और भी कुछ विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टीज पैदा हो सकती हैं, मगर मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय से चीफ जस्टिस महोदय यह जान कर कि यह जनता की मांग है, अवश्य उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अन्त में मैं यह कहूंगा कि जब कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच लखनऊ में कायम हुई तो जो पश्चिमी जिले हैं उनके निवासियों को लखनऊ या इलाहाबाद में हाईकोर्ट की बेंच रखने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। यह कहा जाता है कि जहां तक हो सके लिटिगेशन कम किया जाय। यह बहुत सही है लेकिन जो अपील करना चाहता है उसके लिये यह सुविधा न देना भी ठीक न होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वह अपनी आर्थिक दुर्दशा के कारण हाईकोर्ट तक अपील न कर सके। हमारे टिहरी गढ़वाल में, जहां तक पहाड़ी जिलों का संबंध है उन सब में तो लोगों की यह हालत है कि आर्थिक परिस्थिति बिगड़ी होने के कारण वह यहां आ ही नहीं सकते हैं और उनके यहां डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज का फैसला ही अंतिम होता है और यह कहना कि वे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हैं केवल थ्योरिटिकल लीफ होगा, क्योंकि वास्तव में वह उनके सामर्थ्य में नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात पर विचार करने के लिये प्राथना करूंगा और वह इस सदन का विचार इस संबंध में लें और यदि सदन के सदस्यों की राय हो तो चीफ जस्टिस को सूचित करें कि यह प्रतीत होता है कि जनता की यह इच्छा है और सदस्यों की यह इच्छा है और मेरा विश्वास है कि चीफ जस्टिस महोदय उस पर अवश्य ही विचार करेंगे।

*श्री द्वारका प्रसाद मित्तल (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने न्याय मंत्री का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक हमारी बहुत पुरानी मांग को मंजूर किया और डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट को कायम किया और मेरा तो यह ख्याल है कि जल्द से जल्द इस सूबे में जितनी ऐसी जगहें, जितने ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रिक्ट जजेज कोर्ट होना चाहिये वहां पर वे जल्द से जल्द कायम किये जायेंगे। यह बात जनता की सुविधा के लिये और मुकदमों में सहूलियत के लिये जरूरी भी थी।

जहां तक जुडीशियरी के करप्शन का ताल्लुक है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा जाती तजुरबा है और काफी तजुरबा है कि जुडिशियरी के अन्दर करप्शन हरगिज नहीं है। किसी किस्म का करप्शन जुडिशियरी में नहीं पाया जाता। यह बात दूसरी है कि कुछ टिपिंग्स चलती हो, कुछ अहलकार लोग कुछ ले लेते हों या कुछ चपरासी वगैरह को कुछ टिपिंग्स मिल जाती हो लेकिन जहां तक अफसरों का ताल्लुक है उनमें किसी किस्म का करेप्शन मौजूद नहीं है और अगर किसी में करप्शन पाया भी गया है तो उसकी तरफ काफी निगाह है और उसको बख्शा नहीं जाता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मैं इस अनुदान के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि मैं अपने हाई कोर्ट की बहुत प्रशंसा करता हूं। रिट का प्रोवीजन जब से जारी हुआ है उसका बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। जुडिशियरी हमेशा इंडिपेंडेंट रही है, हमेशा आजाद रही है और हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी अदालतों ने काफी आजादी के साथ अपनी तजावीज दी हैं। आज भी हमारी अदालतें बहुत आजादी के साथ अपने फैसले देती हैं। जहां तक डिले का ताल्लुक है मैं मानता हूं कि तजावीज के साबित करने में देर होती है। मेरे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हाई कोर्ट की एक और बेंच कायम कर दी जाय। मैं समझता हूं कि सिवाय खर्च में इजाफा करने के और कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा तरीका है एक तो जाब्ता दीवानी या जाब्ता फ़ौजदारी के ऐसे मुकदमे किये जायं कि जिसमें मुकदमात की समाअत में देर न लग सके। मसलन दो किस्म के मुकदमात दीवानी के हैं। एक स्माल काज कोर्ट उसमें अदालत में शहादत नहीं होती। एक दीवानी के मुकदमे उसमें अदालत को शहादत लिखनी होती है और उसमें गवाह चाहे जितना लम्बा चौड़ा झूठ बोलता रहे उसकी हर बात को रिकार्ड करना पड़ता है और देर लगती है। यह हो सकता है कि कुछ ऐसे मुकदमे छांटे जायं जिनमें स्माल काज कोर्ट में, उनमें शहादत न लिखी जाय और अगर लिखी जाय तो बहुत थोड़ी लिखी जाय। नतीजा यह होगा कि वे मुकदमे जल्दी खत्म हो सकेंगे। दूसरे यह कि डिस्ट्रिक्ट जजेज कोर्ट के लेविल पर बेंच कायम की जायं ज्यादा जजेज की तादाद करना जरूरी नहीं। महज डिस्ट्रिक्ट जजेज कोर्ट पर दो जजेज बैठ कर कुछ मुकदमात को तय कर सकें और वह जजमेंट फाइनल हो ताकि हाईकोर्ट में मुकदमात की तादाद ज्यादा न होने पाये। दूसरी चीज यह हो सकती है कि कुछ मुकदमात में सेकेंड अपील बन्द कर दी जाय। फर्स्ट अपील रखी जाय और सेकेंड अपील रोक दी जाय। इस तरह से मुकदमों के अन्दर बहुत कमी हो जायगी और जो यह ख्याल है कि हाई कोर्ट में मुकदमात की तादाद ज्यादा होगी कम हो जायगी। तीसरी चीज है वह यह कि जितने आज एरियर्स मुकदमात के हैं यह इसलिये नहीं हैं कि आइन्दा भी मुकदमात की तादाद का दायरा बढ़ता जा रहा है। बल्कि इसलिये कि एरियर्स बाकी हैं और ऐसे नये कानून जारी होते चले जा रहे हैं कि जिससे मुकदमात की तादाद कम होती जा रही है। इंस्टीट्यूशन्स पहले के मुकाबिले मुकदमात के कम हैं। हाई कोर्ट में चाहे रिट की वजह से कुछ तादाद बढ़ गई हो जो अपील हाई कोर्ट में दायर हुई हैं उनकी तादाद पुरानी ज्यादा है और अगर नई है तो वह पुराने मुकदमात की वजह से है, नये की वजह से नहीं।

प्रीऐम्प्शान का कानून खत्म हो गया। सिविल को[illegible] जमींदारी अबालीशन से रेवेन्यू केसेज बहुत कम हो गये और उनकी तादाद कम है। ऐसे ही इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के जारी होने से लेन-देन खत्म हो गया और मुकदमात अदालत में कम दायर होते हैं। उसकी वजह से ऐक्जीक्यूशन कम है। और इसी तरह से मुकदमात की तादाद दिन ब दिन दायर कम होती जा रही है। इसलिये अब सवाल यह है कि इन एरियर्स को कैसे कम किया जाय। एरियर्स के लिये तादाद अदालतों की मुस्तकिल तौर पर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बल्कि खसूसियत से कुछ होशियारों को जो अपनी दयानतदारी और ईमानदारी के लिये कुछ पोजीशन रखते हों, उनके जरिये से हर एक जिले में उनकी अदालतें कायम करके जो एरियर्स लोवर कोर्ट्स में हैं, खत्म कर दें और इसी तरह हाई कोर्ट में कुछ टेम्परोरी जजेज बना कर एरियर्स को खत्म कर दिया जाय, तो ऐसे एक्युमुलेशन नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस ग्रांट का स्वागत करता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं मंत्री जी से और वह यह कि आपने बिजनौर में डिस्ट्रिक्ट जजी कायम की लेकिन वहां साथ ही साथ बिल्डिंग के लिये सरमाया पास किया। लेकिन मुजफ्फरनगर में ऐसा नहीं किया। यह दूसरी बात है कि वहां पर कोर्ट्स के लिये कुछ जगह निकाली जा सके लेकिन जो ऐमाउन्ट है वह इतना थोड़ा है कि जब मेरठ से रिकार्ड रूम शिफ्ट करना है तो उसके शिफ्ट करने में दिक्कत होगी। और मैं समझता हूं कि जिस वक्त आपने मुजफ्फरनगर में जजी कायम करने का फैसला किया है कोई न कोई तरकीब निकाल ली होगी। मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द किसी बिल्डिंग के कन्स्ट्रक्शन का इन्तजाम शुरू

[श्री द्वारका प्रसाद मित्तल]

कर दिया जाय। यहां यह भी कह देना चाहता हूं कि इस बिल्डिंग के बनने में देरी के कारण ऐसा न करें कि जजेज कोर्ट कायम करने में देरी करें। वह तो हो ही जाय लेकिन यह दूसरी बात है कि आपको बिल्डिंग बनाने में देर लगे।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री नारायणदत्त तिवारी——श्रीमन्, अगर आपकी आज्ञा हो तो माननीय बालेन्दुशाह जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि इसका समय और बढ़ा दिया जाय। हम आपके आभारी होंगे यदि समय बढ़ा दिया जाय और सदस्य भी बढ़ाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष——ठीक है, लेकिन कल एक बजे तक तीसरा जो अनुदान है उसको खत्म कर देना पड़ेगा। यदि २० मिनट यहां से बढ़ा दिये जायं तो उसमें कम करना होगा।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, किन्तु एक आवश्यक विषय पर, जो हमारी स्थानीय जरूरत है उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा अनुमान है और वह सही अनुमान मुझे लगता है कि न्याय हमारे मिर्जापुर में जितना मंहगा है उतना शायद ही सूबे के किसी अंश में हो। हमारे यहां अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि १२५ मील की दूरी में कोई भी अदालत नहीं है। राबर्ट्सगंज व दुद्धी की दो तहसीलें हैं जहां पर ऐसे मुकद्दमें जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट द्वारा तय किये जाते हैं, उनके लिए हमारे देहाती, आदिवासी और जंगली लोगों को मिर्जापुर सदर में आना पड़ता है और पच्चीसों नदियां पार करनी पड़ती हैं, बाघ और शेर का मुकाबिला करना पड़ता है। उसमें यदि शरारती लोग स्त्रियों को फंसा देते हैं तो स्त्रियों को तो और अधिक परेशानी उठानी पड़ती है और उनके लिये बड़ी आफत की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह सूबे की एक विचित्र दशा हमारे जिले में देखने में आती है। दोनों तहसीलों का एक हाकिम परगना है जो मिर्जापुर में रहता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोई नहीं है जो राबर्ट्गंज में या दुद्धी में रहे। सिंगरौली या दुद्धी के आगे से आने वाले लोगों को १४० मील की यात्रा करनी पड़ती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां कि यह अवस्था बड़ी दर्दनाक है। मैं उदाहरण के तौर पर एक किस्सा बयान करूं कि एक आदिवासी ने एक लड़के ने, एक डंडा एक गाय को मार दिया और गाय का पैर टूट गया। पुलिस ने इस मामले को उठाकर चालान कर दिया। फलस्वरूप वह बेचारे ७–८ आदमी जो रोज चार आने, आठ आने पैदा करके अपना पेट भर सकते थे, उनको १०–१२ पेशी मिर्जापुर दौड़ना पड़ा। वे हमारे दरवाजे पर आकर रोते थे और गिड़गिड़ाते थे लेकिन यह सब होते हुए भी उनको सजा हो गयी। क्योंकि वह पैरवी नहीं कर सके, कोई वकील नहीं रख सके और जो न्याय होना चाहिये वह नहीं हो सका। मेरा मतलब यह नहीं है कि उनके साथ बेइंसाफी हुई, लेकिन यदि सुविधा होती तो वे सही न्याय पा सकते थे। इस लिये मैं निवेदन करूंगा मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है कि हमारे मिर्जापुर जिले की इस खास अवस्था को देखते हुए प्रबन्ध करें और दुद्धी और राबर्ट्गंज के लिये एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो है उसे राबर्ट्सगंज में रख दें। और एस० डी० ओ० का हेड आफिस राबर्ट्सगंज में कर दिया जाय जिससे वहां के लोगों को सुविधा मिल सके।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)——माननीय अध्यक्ष महोदय, नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूं और उसे याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले कांग्रेस के इतिहास में शायद ही कोई वर्ष ऐसा हो कि जब हम न्याय और शासन दोनों को अलग करने के लिये प्रस्ताव न रखते हों। इतना ही नहीं संविधान इसके लिये गवाह है और वह यह कहता है कि न्याय और शासन को पृथक-पृथक कर देना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे जो पड़ोसी स्टेट हैं, बम्बई और मद्रास, इन दोनों ने न्याय और शासन को अलग किया और बावजूद इसके कि बहुत से खर्चे उनके बढ़ और कुछ जो लाभ हमारी सरकार देखती है, उन सारे लाभों को देखते हुए भी उन्होंने न्याय और शासन को पृथक कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि उसे भी बम्बई की सरकार के इस कदम का अनुसरण करना चाहिए। यह बात अगर कही जाय कि शासन के हाथ में न्याय का कार्य रहने से कुछ इन्तजामी मामलों में मदद मिलती है तो वह तो बम्बई और मद्रास की सरकार भी सोच सकती थी। लेकिन मद्रास जैसी अवस्था में है उस अवस्था के रहते हुए भी अगर वह न्याय और शासन को पृथक कर सकता है तो उत्तर प्रदेश को तो वैसी अवस्था भी नहीं है। मैं मुक्तभोगी हूं, स्वयं इसका और भुक्तभोगी होने के नाते मुझे साल में एकाध मर्तबा मुकदमा वगैरह भी लड़ना पड़ता है और फौजदारी के मुकद्दमों का मुलजिम भी बनना पड़ता है। तो इस लिए कि मैं अपने उस अनुभव से लाभ से उठाता हूं और उससे लाभ उठाकर यहां पर मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक जुडिशियरी का सम्बन्ध है जुडिशियरी हमारे देश की डेमाक्रेसी की हिफाजत करने में ज्यादा सफल रही है और इसलिये वह हमारे धन्यवाद की पात्र है। मगर सरकार के नीचे जो अदालतें हैं भी उतनी वह अच्छी तरह से यह काम करती हैं, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि जुडिशल मैजिस्ट्रेट जिस मामले में सजा देता है, जजों के यहां जाकर उसमें हम छूट जाते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट रहते हैं या जो सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट इस पैमाने पर, इस स्केल पर रहते हैं कि जहां इंसाफ करने का सवाल है, वहां पर इतना ज्यादा इंसाफ नहीं है जितना कि जजों के यहां है और इसका कुछ कारण भी है। आखिर शासन के अधिकारियों के प्रति उनको जिम्मेदार होना पड़ता है, शासन के अधिकारियों के जरिये उनकी तरक्की होती है, शासन के अधिकारियों के जरिये उनकी तनज्जुली होती है, उनके ट्रांसफर होते हैं, उनकी तनख्वाह की बढ़ोत्तरी होती है और इन सारी चीजों को देखते हुये, उनका कैरेक्टर रोल भी उन्हीं के जरिये बनाया जाता है। तो फिर शासन के अधिकारियों के प्रति उनका रुझान होना न्याय के प्रति नहीं बल्कि उनके प्रति ज्यादा जवाबदेह होना स्वाभाविक हो जाता है। हम उन मैजिस्ट्रेटों को इसलिये ज्यादा दोषी नहीं ठहराते जो कि इस तरह के फैसले करते हैं और जजों के यहां जाकर वह टूटते हैं बल्कि कुछ एक परिपाटी है, कुछ इस तरह की बात है कि अगर कोई पोलिटिकल अपोनेंट है, अगर कोई किसी तरह से किसी शासनाधिकारी का अपोनेंट हो गया तो उस आदमी को दबाने के लिये हर तरह की चेष्टा की जाती है। अगर ऊपर से किसी अपने राइवल को, अपोनेंट को दबाने के लिये किसी शासन के अधिकारी ने पंजा छोड़ा तो उससे निकलने की हिम्मत किसी जुडिशल मैजिस्ट्रेट की नहीं हो सकती। अगर माननीय न्याय मंत्री जी उदाहरण के तौर पर जानना चाहेंगे तो मैं उनके सामने उदाहरण रख दूंगा। तो मैं केवल एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, इस प्रजातंत्र के प्रति आस्था बनी रहे लोगों की और यह विश्वास बना रहे कि प्रजातंत्र में कोई शासन का अधिकारी ऊंचे से ऊंचे दरजे पर पहुंचकर भी किसी अपने राइवल को, विरोधी को, सजा नहीं दिला सकता। न्याय उसका भी होगा, इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है।

अन्त में मैं एक बात स्थानीय कहना चाहता हूं। कसया बहुत ही एक हिस्टारिकल स्थान है। उसकी मुंसिफी अदालत के बारे में जिस वक्त देवरिया जिला अलग हुआ था उसी वक्त यह बात हुई थी कि कसया में एक मुंसिफी अदालत रखी जायगी। मगर अभी तक वह वहां न रखी जा सकी। न्याय मंत्री जी से भी कई बार इसके बारे में दरख्वास्त की गई। वह भी कोई हाईकोर्ट की कठिनाई बताते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि हाईकोर्ट को भी मनाने की बात माननीय मंत्री जी करें और किसी तरह जो वहां पर एक सबको इच्छा है, उसकी पूर्ति करने की कृपा करें और वहां न्याय दिलाने में, सस्ता न्याय दिलाने में, हमारी मदद करें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने साथी बालेंदुशाह जी ने जो तर्क दिया है कि मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

कायम कर दी जाय, उसका समर्थन करता हूं। मैं इसके संबंध में अधिक नहीं कहना चाहता केवल यही कहना चाहता हूं कि जब कि हमारी सरकार और आनरेबिल हाईकोर्ट यहां लखनऊ में, लखनऊ और दस ग्यारह और उसके आस-पास के जिलों के लिये जो कि इलाहाबाद से १०० मील की दूरी पर स्थित हैं, इनकी सुविधा के लिये यहां हाईकोर्ट की बेंच को कायम कर सकती है तो क्या मेरठ या मेरठ के पड़ोसी जिले जो इलाहाबाद से चार सौ, साढे चार सौ मील की दूरी पर स्थित हैं, उनकी सुविधा के लिये उनके परिश्रम को कम करने के लिये, उनके रुपये को बचाने के लिये वहां एक डिवीजन बेंच कायम नहीं की जा सकती है? मैं यही तर्क रखना चाहता हू।

दूसरी बात यह है और मैं भी इधर देख रहा था कि जिस तरह से हमारे शास्त्री जी ने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दिया है, वैसा अवसर मुझे भी प्राप्त होता। लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है और मेरे जिले का दुर्भाग्य है कि मुझे वह अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय गत वर्ष हमारे मैनपुरी जिले में गये थे तो उनके सामने अपने यहां की समस्यायें रखी गई थीं। हमारा जिला उन ४–५ स्थानों में से है जहां का तापमान भारतवर्ष में बहुत ऊंचा रहता है। हमारे यहां का तापमान ११९/१२० डिग्री रहता है और उस जगह का भी मुआयना हमने कराया था जहां कचहरियां हैं। वहां कोई टिनशेड वगैरा नहीं हैं, कोई दरख्त भी नहीं है और लिटीगेंटस आते हैं उन्हें वैसे ही खुले में पड़ा रहना पड़ता है और हर साल दो तीन चार मर जाते हैं

मैं इस संबंध में यह भी कह देना चाहता हूं कि हमारे न्यायालय की इमारत १८५७ से पहले की है और दुर्दशा में है। बरसात में ऐसा मालूम होता है कि कहीं कचहरी की छत गिर न जाय। हमारे मंत्री महोदय ने इस बात का तो प्रबन्ध किया है और फरनीचर के लिये रुपया दिया है। मैं नहीं जानता कि वह फरनीचर मेरे जिले में आयगा या नहीं लेकिन अगर आता है तो मैं समझता हूं कि कचहरी के उन कमरों में तीन चार कुरसी या मेजों के रखने के लिये स्थान भी नहीं है। इस संबंध में मैं मंत्री महोदय का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे शहर से मैनपुरी जिले की कलेक्टरी ढाई मील दूर है। हमारा जिला भारत वर्ष में उन ४-५ जगहों में से हैं जहां का तापमान सब से ज्यादा रहता है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि हमारे शहर से कोई दो फरलांग की दूरी पर एक बड़ा भारी कम्पाउन्ड मिशनरी अथोरिटीज का पड़ा हुआ है जो २५-३० बीघे जमीन है और वहां पर इमारतें तथा १५-२० कोठियां भी हैं। अगर प्रबन्ध हो सके या नियमों में आ सके तो हमारी कचहरी यहां आ जाय और मिशनरी अथोरिटीज भी सहमत हों तो तबादला कर दिया जाय तो अच्छा होगा। इसमें कम से कम हमार जिले के लोगों की जान बचेंगी और वहां दो तीन साहब रहते हैं, उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वह कचहरी वाले स्थान पर रह लेंगे।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा प्रश्न है और कचहरियों में है जरूर कुछ वैसा ही है जैसा कि हमारे साथी तिवारी जी ने कहा कि टिपिंग है यह ऐसा है जैसे कि समुद्र में एक बूंद डाल दी जाय। लेकिन हमें तो भ्रष्टाचार को देखना चाहिये जहां कि हजारों की तादाद में रुपया लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—यह असंगत सा हो रहा है। इसका विषय से संबंध नहीं है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—जी हां, मैं वापिस किये लेता हूं। जहां बस्ती, जौनपुर वगैरा के लिये रुपया रखा गया है जो मैनपुरी की तरफ भी यदि माननीय मंत्री जी दृष्टि डाल दें तो बड़ी कृपा होगी। बड़ी भारी कमी तो इस बात की होती है कि हमारे मंत्री महोदय छोटे छोटे जिलों में कभी नहीं जाते हैं जिससे वहां की समस्यायें उनके सामने नहीं आ पाती हैं! कुछ मंत्री महोदय तो १९४६ से वहां नहीं गये हैं, यदि मंत्री जी जाते तो समस्यायें उनके सामने आसानी से आ सकतीं और उनको सुलझाया जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि चूंकि माननीय सदस्यों ने मेरी बात का करीब-करीब समर्थन ही किया है इसलिये अगर माननीय मंत्री जी कुछ कह लें तो मैं बाद में बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष—बाद में समय नहीं रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं कहूं क्या, मैंने जो बातें कही थीं उनका उत्तर तो मुझे अभी मिला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वैसे आपको थोड़े ही उत्तर देना है ? और लोगों ने जो कहा है उसका आप उत्तर दे सकते हैं, बहस समाप्त हो चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं पहले तो यह कह दूं कि मैं एक गलत फीगर कह गया था, हाई कोर्ट में पांच साल पेंडिंग अपील्स की संख्या १,८७८ है। पहले मैं गलत कह गया था।

श्रीमन्, माननीय बालेंदुशाह जी ने एक नया प्रस्ताव रखा कि मेरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच हो। यह प्रश्न ऐसा है जिसको मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के लिये एकदम से स्वीकार कर लेना जरा मुश्किल सा है लेकिन चूंकि यह सिद्धांत सरकार ने मान लिया है और लखनऊ में बेंच है, यह ठीक है कि यहां चीफ कोर्ट था तो चीफ कोर्ट के अमलगमेशन के सिलसिले में यहां के लाइयर्स ने और यहां की जनता ने यह मांग की कि यहां पर बेंच रखी जाय, तो मैं इस बात की मांग करूंगा कि सरकार इस संबंध में कोई कमेटी बिठाये और कमेटी बिठाना बहुत आसान है। उसमें इस सदन के सदस्य भी गवाही दे सकते हैं और वहां के जिलों के लोग भी गवाही दे सकते हैं। इस संबंध में सरकार को नहीं कह देना तो आसान है लेकिन एकदम से हां कह देना जरा मुश्किल है। इसलिये यह सुझाव मैं रख रहा हूं।

जहां तक वांचू कमेटी की सिफारिशों को पूरा करने का सवाल है, माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि उस कमेटी की बहुत सी सिफारिशें ऐसी हैं जिनको अभी तक लागू नहीं किया गया। मैं सिफारिशों की सारी फेहरिस्त तो नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वह बहुत लम्बी है, लेकिन जिन सिफ़ारिशों के द्वारा न्याय सस्ता और जल्दी प्राप्त हो सकता है उनमें से आधी ऐसी हैं जो अभी तक लागू नहीं की गयी हैं, जैसे बोर्ड आफ रेवेन्यू का जुडिशल फंक्शन खत्म कर देना, कमिश्नरों के जुडिशल अधिकार ले करके उनको हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जजों को ट्रांसफर कर देना।

मैंने जो सुझाव पहले भी अपने वक्तव्य में दिये थे मैं आशा करता हूं कि उन सब पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे और कम से कम जिस प्रकार बम्बई प्रांत में भागवती कमेटी बिठायी गयी और उसकी रिपोर्ट के अनुसार लीगल एड कमेटियां बनायी गयीं उसी प्रकार यहां भी होना चाहिये ताकि गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिल सके। और अध्यक्ष महोदय, हमारा कटौती का प्रस्ताव इस माने में नहीं है कि हम इस अनुदान के लिये रुपया कम करना चाहते हैं बल्कि जो तीन आधारभूत विषय मैंने बतलाये उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है।

†श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, नारायणदत्त जी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातों की तरफ तवज्जह दिलायी कि जो गवर्नमेंट भी उनमें से बहुत सी बातें महसूस कर रही है। लेकिन गालिबन वह जानते होंगे कि हमारे कांस्टीट्यूशन के अन्दर एक बहुत उसूली कायदा यह है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग-अलग रखा जाय। जहां तक कि इस किस्म की चीजों का ताल्लुक है जैसे सुपरविजन वगैरह।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

यह जाहिर है कि यह चीज बिलकुल हाई कोर्ट के हाथ में है। वह सुपरविजन करते हैं, वही मुसिफों के, सब जजों के, कामों को देखते हैं। जब वह कोई सिफारिश करते हैं तो हम उसके ऊपर कोई कार्यवाही करते हैं। यह जरूर है कि अगर हम किसी खास केस में उनकी तवज्जह दिलायें तो उसके ऊपर हमको कोई जवाब देंगे। लेकिन इससे बढ़ कर हमारा कोई अधिकार नहीं होता।

दूसरी बात करप्शन के सिलसिले में कही गयी। मैं जहां तक समझता हूं और यह बहुत खुशी और फख्र की बात है कि जहां तक हमारी जुडीशियरी के हाई आफिशियल्स का ताल्लुक है उनमें बहुत कम, रेअर केस, ऐसे होते हैं जिसमें इस किस्म की खराबी पायी जाती है। ऐज ए रूल मेरे ख्याल में माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि उनका काम निहायत इत्मीनान बख्श होता है, और करप्शन का ख्याल भी उनको नहीं होता। वह लोग बावजूद इसके कि हमारे रूल्स के बनने में देर हुई और उसकी वजह से बहुत से अफसरान ऐसे थे जिनकी तनख्वाहें बहुत दिनों तक जितनी उनको चाहिये थीं वह नहीं मिलीं, लेकिन बावजूद इन बातों के और हमारे सूबे में जो गरानी हो गयी है उससे जो तकलीफें आम तौर से लोगों को हुई हैं उससे भी वह परेशान रहे, लेकिन किसी किस्म की करप्शन की कोई बात सुनाई नहीं दी। जो दो एक ब्लैक शीप्स का पता लग जाता है उनके साथ निहायत सख्ती के साथ बरताव किया जाता है और न उनको हाई कोर्ट बरदाश्त करती है और न गवर्नमेंट।

छोटे दरजे के आदमियों में मुमकिन है कि कुछ हो, उसके लिये मैं नहीं कह सकता। यह जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, टिपिंग किसी हद तक है। अगर वह टिपिंग की हद तक है तो वह एक ऐसी चीज है जो बुरी जरूर है, उसको किसी ईमानदार अफसर को लेना नहीं चाहिये लेकिन कोई ऐक्शन गवर्नमेंट का लेना, उसके खिलाफ, मेरे ख्याल में मुश्किल से खाली न होगा। मगर अगर इस तरह का करप्शन हो, कोई काम जो कि आदमी चाहे उसका काम हो जाय और वह काम उसका न किया जाय या उसको तकलीफ दी जाय, जब तक कि वह कुछ रुपया उसको न दे या इस किस्म की कोई बात हो तो वह यकीनन काबिले ऐतराज है। बहरहाल, हारूंरशीद वाला तरीका इस बीसवीं सदी में कि भेष बदल कर जायं और पता लगायें जरा मुश्किल मालूम होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--किदवई साहब करते थे।

श्री सैयद अली जहीर--कहां तक कामयाब होते थे मैं नहीं जानता, मगर सवाल यह है कि जो उनके अफसरान हैं और जैसा कि मैंने कहा हाईकोर्ट अगर सख्ती करे और निगरानी करे तो बहुत कुछ किस्म की बुराई जिससे जनता को तकलीफ होती है वह रुका हो सकती है। जो कुछ करप्शन है उसके लिये सरकार को भी अफसोस है, लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर कोई जनरल ऐक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर कोई स्पेसिफिक केस हमारी इत्तला में लाया जाय तो ऐसे केसेज में जो कार्यवाही होती वह यकीनन होगी और उसके रोकने की कोशिश की जायगी।

एरियर्स और डिले का भी जवाब एक माननीय सदस्य ने दिया। अब मुकदमों की तादाद बढ़ नहीं रही है, और अगर बढ़ रही है तो वह मुकदमें जो हैं वह छोटे होते हैं: उनमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो यह ख्याल नहीं है कि जो हमारी जुडीशियरी की इस वक्त स्ट्रेंग्थ है वह उस काम के लिये नाकाफी है, ऐसा नहीं है। पुराने जमाने का अक्युमुलेशन जरूर हो गया है और कोशिश यह है कि टेम्पोरेरी कोर्ट्स खोल कर जैसे हो सके एरियर्स को खत्म किया जाय। क्या-क्या जराये अख्तियार किये गये हैं वह मैं अपनी ओपेनिंग स्पीच में बयान कर चुका हूं। उनको दोहराने की जरूरत नहीं है।

जहां तक हाई कोर्ट के जजों की तकर्रुरी का ताल्लुक है, माननीय सदस्य जानते हैं कि सूबे को बिलकुल अख्तियार नहीं हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन

अक्सर हमारी वह सिफारिश भी महीनों पड़ी रहती है इसी वजह से तकर्रुरियां नहीं होतीं। लेकिन हमारा ख्याल है कि २० जजेज हैं और २२ होने चाहिये। तो दो जजेज की तकर्रुरी शायद जल्दी ही हो जाय। वैसे तो सैंक्शन्ड स्ट्रेंग्थ २४ की है और २४ तक वहां पर अप्वाइन्ट किये जा सकते हैं लेकिन अभी २४ को अप्वाइन्ट नहीं किया गया है। सिर्फ २२ का ही इरादा है है कि इसको २२ कर दिया जाय। जब यह वर्किंग स्ट्रेंग्थ रहेगी तो काम कुछ हलका हो जायगा। इस बात को सभी मानते हैं और सरकार भी इसको समझती है कि कम से कम फौजदारी के जो मुकदमें हैं उनमें देर नहीं होनी चाहिये। फौजदारी का काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत से हमारे जजेज डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज भी इस काम में मशगूल रहते हैं। हम चाहते हैं कि फौजदारी के मुकदमों का फैसला कम से कम साल भर में जरूर हो जाय। इसकी वजह से और जो सिविल केसेज होते हैं उनमें भी फैसला जल्दी नहीं हो पाता।

लीगल एडवाइजरी कमेटी के बारे में कहा गया। गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ है और इस बात की कोशिश की गयी है कि इसको अन्जाम दिया जाय, लेकिन यह जाहिर है कि गवर्नमेंट लेविल पर तो ज्यादा काम नहीं हो सकता है। यह ऐसा काम है जो वालन्टरी तरीके पर सम्भाल लिया जाय तो इन्तजाम हो सकता है। करीब साल भर हुआ कि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर लेटर बार एसोसियेशन को भेजा था और उसमें लिखा था कि जिनके पास ज्यादा काम नहीं है वे लोग उनकी मदद करें जो गरीब आदमी फीस नहीं दे सकते हैं और यह भी कहा था कि अगर कोई बार एसोसियेशन का आदमी इस काम को करेगा तो गवर्नमेंट ऐसी सर्विसेज को रिकग्नाइज करेगी। यह तो सदस्य जानते ही होंगे कि जो लोग फांसी की सजा के मुस्तहक होते हैं और उनकी हालत अगर ऐसी नहीं होती है कि वह फीस दे सकें और वकीलों को कर सकें तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनके लिये वकील का इन्तजाम करके पैरवी का इन्तजाम कर देती है। लेकिन फांसी के मुकदमे को छोड़कर किसी और मुकदमे में गवर्नमेंट की तरफ से वकीलों का मुकर्रर किया जाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा।

दूसरी सहूलियत गरीब मुवक्किल के लिये यह है कि वह प्रापर अप्लीकेशन देकर वहां से मंजूरी ले सकता है और जो कोर्टफीस वगैरा देना पड़ता है वह उससे अपने को मुस्तस्ना करा सकता है। इससे ज्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट अपने ऊपर नहीं ले सकती है। लेकिन यह मसला हमारे जेरेगौर है। अगर ऐसी सूरत समझ में आयी कि इसको एक्सटेंन्ड किया जाय तो उसको गवर्नमेंट अख्तयार करेगी। एक बात कही गयी कि हाई कोर्ट की एक बेंच मेरठ में खोली जाय। यह मालूम नहीं कि माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं या नहीं कि हाईकोर्ट की बेंच जो होती है वह एक बहुत खास अहमियत रखती है। बहुत से मुल्कों में हाई कोर्ट एक ही होता है? उसके आदमी चाहे जितने दूर पर रहते हों। लेकिन हाई कोर्ट जाने के लिये वहीं पर जाना पड़ता है जहां पर हाईकोर्ट होता है। छोटी अदालतें जो होती है वह तो अलग-अलग जगहों पर कायम होती हैं लेकिन जहां तक हाई कोर्ट का ताल्लुक है वह तो बम्बई हो या मद्रास और चाहे वह कितनी ही दूरी पर हो वह तो एक ही होता है और सूबे में एक ही जगह पर वाकै होता है चाहे वह कितने ही फासले पर हो। लिहाजा यह कहना कि हाईकोर्ट सभी जगह खोल दिये जायं यह मुश्किल है और किसी तरह से प्रैक्टिकेबिल नहीं है। लखनऊ में तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसकी वजह से यहां पर हाईकोर्ट की बेंच कायम रही चली जाती है और वह अजला जो लखनऊ के करीब है रुहेलखंड और कुमायूं, जिनके लोग यहां लखनऊ होकर इलाहाबाद जाते हैं? चूंकि दोनों हाईकोर्ट एक ही हैं उनके लिये मुनासिब नहीं मालूम होता है कि वहां के लोग इलाहाबाद की ही एक शाख को छोड़कर इलाहाबाद जायं और लखनऊ के थ्रू जायं। लेकिन अभी इस पर गवर्नमेंट का आखिरी फैसला नहीं हुआ है।

मिर्जापुर की भी शिकायत की गयी कि वहां की अदालत कहीं-कहीं से १२० मील के फासले पर है। मिर्जापुर की आबादी कुछ ऐसी तितरी बितरी है और वहां के लोग ऐसे हैं कि अगर वहां अदालत न भी हो तो भी उनको ज़्यादा कमी महसूस नहीं होगी, गो कि १०-२० लोगों को जरूर तकलीफ होती होगी। दूसरी जगह अदालत कायम किया जाना

[श्री सैयद अली जहीर]

मेरे ख्याल में प्रैक्टीकेबिल नहीं है। अगर माननीय सदस्य कोई प्रेक्टीकेबिल तजवीज पेश करेंगे तो उस पर गौर किया जायगा। बाकी और जो इस किस्म की तजवीज है उन पर भी गौर किया जायगा।

इस सिलसिले में सिर्फ एक चीज और कह देना चाहता हूं, वह सेपरेशन आफ एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के बारे में है। यह एक अहम मामला है और हमारे कांस्टीट्यूशन में है और हमको इसे करना है लेकिन सवाल यह है कि कब हो, किन स्टेजेज पर हम उसको करेंगे, जहां तक गवर्नमेंट समझती है उसके बारे में मैंने बताया कि जुडीशियल आफीसर्स का जो सिस्टम कायम हुआ है उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, ऐसा अभी तक मालूम नहीं हो पाया कि उनके ऊपर कोई असर पड़ा हो। यह हो सकता है कि बाज औकात वे एक्जीक्यूटिव की मदद करते हैं लेकिन वे फैसला करते हैं, वे एक्जीक्यूटिव के असर में आकर करते हैं ऐसी कोई अलामत अभी तक हमारे सामने नहीं आयी। इसके बारे में मैं इतना कह देना चाहता हूं कि न तो ऐसा हो रहा है, न ऐसा करने का इरादा है और न इस किस्मकी कोई बात है। रही यह बात कि उनके फैसले रिवर्स हो जाते हैं, बाज दफा हाईकोर्ट में सिंगिल जज का फैसला हाई कोर्ट की बेंच से रिवर्स हो जाता है और हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हो जाता है, तो इससे यह साबित नहीं हो सकता कि उसने किसी असर में या जानबूझकर ऐसा किया। हर जुडीशियल आफीसर जो फैसला करता है वह अपनी अक्ल के अनुसार करता है। यह हो सकता है कि बाज मामलों में उसकी दूसरी राय हो लेकिन वह काम ईमानदारी से करता है। अपील तो होती ही इस गरज के लिये है लेकिन जहां तक असरात का ताल्लुक है कोई इस किस्म की शिकायत नहीं है। आइन्दा इसके बारे में क्या किया जायगा यह मैं अभी नहीं बतला सकता। यह हमारे कांस्टीट्यूशन में है जिस तरह से प्राहीबिशन हमारे कांस्टीट्यूशन में है। इसलिये हमें कोई न कोई स्टेप उसके बारे में लेना ही है, कुछ करना ही है लेकिन क्या शक्ल होगी यह अभी नहीं बताया जा सकता। सेपरेशन का मामला रेज किया गया था, इसलिये मैंने इसको बता दिया कि हम भी इस राय के हैं कि एक्जीक्यूटिव को जुडीशियरी से अलहदा किया जाय। मुझे उम्मीद है कि यह ग्रांट मंजूर की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी कृपया यह बता दें कि भागवत कमेटी सरीखी लीगल एड के बारे में सरकार कोई कमेटी बिठायेगी या नहीं?

श्री सैयद अली जहीर--अभी कम से कम इस वक्त तो उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई कि बांचू कमेटी के बाद किसी और कमेटी की जरूरत है लेकिन अगर माननीय सदस्य मुझसे मिल कर उसकी जरूरत को मुझे समझा देंगे तो मुझे उस पर गौर करने में इन्कार नहीं होगा।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५--न्याय प्रशासन (लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन) के अन्तर्गत १,२८,०८,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

*श्री सैयद अली जहीर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३--नागरिक निर्माण कार्यों के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहायक अनुदान (लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य) के अन्तर्गत ८८,३४,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस ग्रांट के मातहत जो चीजें मांगी गयी हैं अक्सर तो उनमें निहायत छोटी-छोटी मांगें हैं जो कि करीब-करीब हर साल मांगी जाती हैं और उनके लिये मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। वह सब वाल्यूम ४ में दिया हुआ है और वाल्यूम २ में पेज १८६ पर उनकी तफसील लिखी हुई है। इसमें कुछ म्युनिसिपैलिटीज की ग्रांट्स हैं जो मखसूस काम के लिये हैं। फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हैं। उसके बाद १,५०० रु० मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बिहार गवर्नमेंट को देने के लिये दिया जाता है। फिर लोकल बाडीज को फेरीज के मैनेजमेंट के सिलसिले में १४,४०,००० रु० हर साल दिया जाता है। यह रुपया स्टेट रेवेन्यू में जमा हो जाता है और फिर यहां से वापस कर दिया जाता है। इसमें सिर्फ एक चीज काबिले गौर है जो सड़कों के लिये है और उनके इम्प्रूवमेंट्स के लिये यह रुपया दिया जाता है। इस सिलसिले में माननीय सदस्य यह देखेंगे कि पारसाल ४५,३६,२०० रु० दिया गया था लेकिन इस साल इस मद में ६१,१८,५०० रु० दिया गया है। इसी तरह से एक लाख रुपये की जो रकम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी जाती है उसकी तफसील भी वहां दी हुई है और उसके लिये माननीय सदस्य का वक्त जाया करना मुझे जरूरी नहीं मालूम होता। जहां तक आइटम जी० का ताल्लुक है ग्रांट्स टु म्युनिसिपल बोर्ड्स फार मेंटिनेंस आफ रोड्स इसमें साढे ७ लाख रुपया प्रोवाइड किया जा चुका है। सन् ५४-५५ में उस रुपये से यह काम हो चुका लिहाजा इस साल के लिये कोई और रुपया इसके अन्दर नहीं रखा गया है। मगर जो आइटम जे० है उसके अन्दर जो पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की रोड्सथीं उनको पी० डब्ल्यू० डी० ने ले लिया है और उनके मेंटिनेंस के लिये रुपया रखा गया है। लेकिन उसके बाद यह फिर वापस हो गई हैं और वापस हो जाने के बाद उन पर जो रुपया पी० डब्ल्यू० डी० सर्फ करता था वह उन को दिया जायगा और ९ लाख ७१ हजार ८०० रुपया उसका है। जहां तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ताल्लुक है बहुत कुछ रुपया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का दूसरे बजट्स में दर्ज है, उन में से मैं दो चार खास आइटम्स की तरफ तवज्जह यहां दिलाना चाहूंगा। मसलन ग्रांट नम्बर ९ में और ग्रांट नम्बर ४३ में मिलाकर ९४ लाख ५० हजार होता है जो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट द्वारा खर्च होगा और गांवों में वाटर सप्लाई का काम होगा और ख्याल यह है कि १,००० गांवों में पानी पहुंचेगा और उन को साफ पानी मिल सकेगा। इसी के साथ बाज-बाज देहातों में यह ख्याल है कि १०० गांवों में एकुआ प्रीवी लेटरीन बनाने का इरादा है, यह पाखाने शहर की तरह साफ होते हैं और कीड़े जिनमें सफाई करते रहते हैं, इस के लिये ९४ लाख ५० हजार रुपया रखा गया है। इसी तरह से ग्रांट नम्बर ३३ में ९ लाख ७१ हजार ८ सौ रुपया रखा गया है कच्ची सड़कों की दुरुस्ती के लिये रखा है। यह दो सौ रुपया फी मील के हिसाब से रखा गया है।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप दोहरा रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर---इस के बाद ग्रांट नम्बर २० है, यह अलग है। यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग विभाग की ग्रांट है। फिर ग्रांट नम्बर ३८ में ७५ लाख रुपया है जो लो पेड स्टाफ है उसके डीयरनेस अलाउन्स को पे करने के लिये रखा है और उसी में एक रकम १ करोड़ ३६ लाख की है जो लोकल रेट्स लोकल बाडीज को सरकार को वापस करने हैं। चूंकि अब उनको सरकार वसूल करती है। २० लाख रुपये की एक और ग्रांट है जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अपने बजट ठीक करने के लिये डेफिसिट को पूरा करने के लिये दी जाती है। ग्रांट नम्बर ५१ में बहुत सी ऐसी ग्रांट्स हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिये हैं जैसे ४ करोड़ ५ लाख रुपया जो हमें केंद्रीय सरकार से मिला है और उसको हम आइन्दा सार अरबन वाटर सप्लाई और ड्रेनेज स्कीम पर सर्फ करेंगे। इसी तरह से और भी आइटम्स हैं, मैं इस वक्त ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा और जब वह ग्रांट्स पेश होंगी तो माननीय मंत्री जी जो उससे मुताल्लिक होंगे वह बतावेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं

[श्री सैयद अली जहीर]

गुजारिश करता हूं कि यह जो छोटी सी ग्रांट्स मैंने पेश की है, नम्बर ३३ जो सिविल वर्क्स के मुताल्लिक है वह मंजूर की जाय।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आप की आज्ञा से माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। आप को श्रीमन्, ध्यान होगा कि जिस वक्त इस सदन के सम्मुख सरकार ने यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज अमेंडिंग विधेयक प्रस्तुत किया था और जब सभापति के चुनाव के तरीके को बदलने का प्रश्न आया था, यानी पहले जो सभापति चुना जाता था वह आम जनता द्वारा चुना जाता लेकिन उस को हटाकर मेम्बरों द्वारा सभापति चुनने का तरीके रखा गया था। हम ने उस वक्त उसका विरोध किया था और आज यह साबित हो गया कि हमारा विरोध सही था। क्योंकि तमाम म्युनिसिपल बोड्स के सभापतियों के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव आ रहे हैं और इसलिये आ रहे हैं कि जो म्युनिसिपैलिटियों के सदस्य हैं वह समझते हैं कि अब हमीं को अपना चेयरमैन चुनना है और इसलिये वह गुटबन्दी करके इस किस्म के प्रस्ताव लाते हैं ताकि उनको फिर अपने मन के मुताबिक चुनने का मौका मिल जाय अगर वे समझते कि प्रेसीडेंट को अविश्वास का प्रस्ताव लाकर गिरायेंगे तो आम जनता के सामने जाना पड़ेगा तो शायद इतने अविश्वास के प्रस्ताव न आते और न इतनी गुटबन्दी मेम्बरों में फैलती। अभी हाल का एक किस्सा आपको बताऊं कि किस तरह कैसे गुटबन्दी फैलती है और किस तरह से प्रजातंत्र का हनन किया जाता है। एक मिसाल मिर्जापुर की मौजूद है। मिर्जापुर में वहां के चेयरमैन पर अविश्वास का प्रस्ताव आया और वहां के दो सदस्यों को जो कि अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले थे उनको गायब कर दिया गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मिर्जापुर एक अजब जगह है और इसको उन्होंने भी कहा है कि मिर्जापुर अजीब जगह है। तो जहां पर ऐसे लोग है जो ऐसी बातें करते हैं वे किसी भी पार्टी के प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते बल्कि प्रजातंत्र के सिद्धांत का हनन करते हैं। माननीय मंत्री जी ऐसे लोगों की इंक्वायरी करायें और जो लोग दोषी हों उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---वे जेल में हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---तो बहुत अच्छा है।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह म्युनिसिपैलिटीज बोर्ड के चुनाव के तरीके के बारे में है। जिस समय इस सदन में चुनाव संबंधी विधेयक था तो उस वक्त हमने सरकार से यह अपील की थी कि जहां चुनाव हो जाय वहां पर फौरन ही वोटों की गणना करा दी जाय ताकि शक व शुबहा और गलतफहमी जनता में या उन लोगों में जो चुनाव लड़ रहे हैं न फैले। जहां तक मुझे स्मरण है उस वक्त के स्वशासन मंत्री जी ने वादा किया था कि जब हम कायदा बनाने लगेंगे तो इस पर ध्यान देंगे लेकिन जब चुनाव हुये तो वही पुराने कायदे रहे जिसके कारण तरह तरह से शुबहे पैदा हुये। तो मैं इसके संबंध में कहूंगा कि इस पुराने तरीके को बदलें ताकि जनता में जो यह भावना फैल जाती है कि बैलट बाक्सेज टैम्पर किये गये या गिनती में गड़बड़ी हुई या बैलट पेपर्स चुराये गये, इस तरह की भावना मिट जाय और एक ही आदमी के हाथ में ताकत न रहे कि वह जो रिटर्निंग आफिसर हों वह जो चाहें स्याह सफेद कर सकें। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और इस बात की व्यवस्था अपने कायदे में करें कि चुनाव के बाद तुरन्त ही गणना हो जाया करे।

दूसरी चीज हमें इन ६ शहरों के बारे में कहनी है जिनको कि सरकार कारपोरेशन बनाने जा रही है। बहुत से वादे किये गये कि वह बिल जल्द आ रहा है और बहुत जल्द चुनाव होगा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

लेकिन काफी अरसा हो गया, अभी तक वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर लोग बने हुये हैं और अभी वह विधेयक नहीं आया है कि कब वह चुनाव कराने जा रहे हैं। मैं इसके बारे में भी मंत्री जी से कहूंगा कि जल्द से जल्द इन ६ शहरों के लिये वहां वे कारपोरेशन बनाने वाले हैं, बिल ले आयें वहां जल्द से जल्द चुनाव करा दिये जायं ।

एक चीज की तरफ और मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाता हूं। आज ही के अखबारों में आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने एक फैसला किया है कि म्युनिसिपैलिटीज को यह अधिकार नहीं है कि जो लोग चुंगी वगैरः की चोरी करते हैं उनके कागजात को तलब कर सके और उनको देख सके। हाई कोर्ट ने जो इस बात की तरफ इशारा किया है, कि यह लेजिस्लेचर का काम है कि इस तरह के अधिकार म्युनिसिपैलिटियों को दे और उनके इशारे के मुताबिक हमें यह अधिकार म्युनिसिपैलटीज को देना चाहिये कि जहां उन्हें शबहा हो कि दरअसल चुगी में चोरी की गई है तो वहां उनके कागजात का को देख सकें। जहां तक शिक्षा का सवाल है बहुत जगह तो कम्पलसरी एंड फ्री एजुकेशन है लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिये कि अगरचे सारे प्रांत और देहाती क्षेत्र में भी ऐसा प्रबन्ध हो जाय तो बहुत उत्तम होगा । खैर अगर सारी म्युनिसिपैलिटीज में ही फ्री एंड कम्पलसरी एजूकेशन कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। जहां तक म्युनिसिपैलिटीज के कर्मचारियों का संबंध है, जहां तक उनके मेहतरों का सवाल है उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं क्योंकि वे ऐसा काम करते हैं जो काम शायद दूसरे लोग करना पसन्द नहीं करते, तो उनकी तरक्की के लिये भी काम होना चाहिये। हां यह जरूर है मैं इस बात के लिये सरकार को धन्यबाद दूंगा कि उन्होंने मेहतर क्वार्टर्स की तरफ ध्यान दिया है और बहुत सी जगहों पर क्वार्टर्स बन रहे हैं और यथाशीघ्र और भी क्वार्टर्स बनने चाहिये।

एक तरफ और हमको ध्यान देना है। यह जो कम्पोस्ट खाद बनाई जाती है इसका प्रश्न भी म्युनिसिपैलिटीज के सामने है। जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनको हर म्युनिसिपैलिटी में भेजना चाहिये। मैं तो देखता हूं कि कम्पोस्ट खाद के संबंध में बहुत से आफिसर्स हिन्डरेंस पैदा करते हैं। अभी सरकार की ओर से एक सर्कुलर गया । अध्यक्ष महोदय गाड़ीवान अपनी गाड़ी पर कम्पोस्ट खाद ढोना पसन्द नहीं करते। या तो फिर म्युनिसिपैलिटीज के पास गाड़ियां हों या कम्पोस्ट स्कीम में गाड़ियां हों। सर्कुलर यह गया कि जो लोग, ट्रैक्टर ट्राली खरीदना चाहते हों वह सरकार के पास एप्लीकेशन भेजें तो उनको लोन दिया जायगा। पडरौना म्युनिसिपैलिटी ने इस बात की कोशिश की और सरकार के पास कलेक्टर के जरिये ट्रैक्टर ट्राली के लिये लिखा ताकि कम्पोस्ट ढोई जा सके और कूड़ा फेंका जा सके, लेकिन जिलाधीश देवरिया ने लिख दिया कि इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिये बजट में भी प्राविजन रक्खा था, लेकिन ६ दफा बजट लौटा दिया गया। बजट लौटाने का अधिकार उनको नहीं है, जबकि पडरौना म्युनिसिपैलिटी डेफिसिट में नहीं चल रही है। इस तरह से सरकारी अधिकारी गड़बड़ियां पैदा करते हैं।

मैं और बतलाऊं कि अभी वहां की म्युनिसिपैलिटी ने चुंगी के बारे में एक प्रस्ताव पास किया। फूल के बर्तनों का वहां एक गृह उद्योग है। उस पर चुंगी ज्यादा थी। म्युनिसिपैलिटी ने तै किया कि इस गृह उद्योग को प्रोटेक्शन दिया जायगा और चुंगी कम कर दी जायगी। लेकिन वह कागज कमिश्नर साहब के पास पड़ा हुआ है और साल भर से ज्यादा हो गया, वह नहीं आया। ऐसे कामों में देरी नहीं होनी चाहिये। जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सवाल है उसके इलेक्शंस पड़े हुये हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विधेयक के बारे में जो कमेटी बनी वह खाली कैबिनेट मिनिस्ट्री की बनी, उसमें बाहरी एक्सपर्ट्स भी ले लिये जाने चाहिये थे, इस विधान सभा के सदस्य भी कुछ लिये जाते ताकि काम ठीक ढंग से हो सके। लेकिन खाली कैबिनेट के लोगों को रख कर इस किस्म का विधेयक बनाना कुछ शुबहे से खाली नहीं है।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

ऐसा भी मालूम हुआ है कि ग्राम पंचायतों द्वारा जिलाबोर्डों के मेम्बरों का चुनवा होगा। अगर ऐसा होगा तो अभी अभी जो डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि ग्राम पंचायतों में पार्टी पालिटिक्स न आनी चाहिये तो उन्हें मालूम होना चाहिये कि इस तरह से पार्टी पालिटिक्स होना निश्चित है जब उन्हीं के द्वारा चुनाव होगा। जब नीचे के लोग चुनाव करेंगे तो पार्टी पालिटिक्स उनमें जरूर घुसेगी। इसके लिये भी इन्तजाम होना चाहिये।

दूसरी बात है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचरों के बारे में इतना बड़ा आन्दोलन किया और कांग्रेस के ही बड़े बड़े लोगों ने बीच बचाव किया। लेकिन अभी तक उन शिक्षकों की तनख्वाहों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई। जो हमें शिक्षा देने वाले हैं यदि वह असंतुष्ट रहेंगे तो देश का उत्थान कैसे होगा, इसको मंत्री महोदय स्वयं ही समझ सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि इस पर वह ध्यान दें और शिक्षकों की तनख्वाह में बढ़ोत्तरी करें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३ मार्च, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२३ पर)

स्मृति-पत्र

श्री रामदुलारे मिश्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२ के उत्तर के संबंध में

स्मृति-पत्र

उक्त प्रश्न में माननीय सदस्य ने अपने एक पुराने प्रश्न का जिक्र किया है जिसका उत्तर १६ सितम्बर, १९५४ को दिया गया था। प्रश्न और उसका उत्तर इस प्रकार थे—

प्रश्न: "क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानूनी और पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद का काम जो अनुवाद विभाग को दिया गया था उसमें कहां तक सफलता मिली है?"

उत्तर:"बहुत से शब्दों के अनुवाद का काम पूरा हो चुका है और इस काम के लिये हाल में एक कमेटी बैठाई गई है जिसका मैं ही सभापति हूं और उसी कमेटी के सुपुर्द यह काम किया गया है कि जो शब्दावली बनी थी उसको भी देख लें और जो शब्द बने हैं उनका भी अनुवाद तैयार कर दिया जाय।"

२—तब से इस विषय में जो प्रगति हुई है वह इस प्रकार है :—

कुछ समय हुआ जब कि भारत सरकार ने उन पारिभाषिक शब्दों की सूची मांगी थी जो उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में प्रचलित है। ऐसे शब्दों की एक सूची बनाई गई है और उनके हिन्दी पर्याय भी नियत किये गये। यह सूची भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। इसके बाद अब श्री धर्मवीर द्वारा संकलित शब्दावली के शब्दों को हिन्दी पारिभाषिक शब्दों को नियत करने वाली सरकारी समिति के सामने रखने के लिये कार्यवाही की गई है। इस काम में सहायता देने के लिये अभी हाल ही में एक विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। यह कार्याधिकारी इन शब्दों के रूप में विचार कर रहे हैं। उसके बाद यह शब्द समिति के सामनें उनकी राय के साथ रखे जायेंगे और समिति उनके अंतिम रूप निर्धारित करेगी। समिति को अपना काम पूरा करने में अभी समय लगेगा क्योंकि प्रायः प्रत्येक शब्द के विषय में विचार करना होगा जिससे कि इसका ऐसा रूप निर्धारित हो सके कि अधिक से अधिक व्यक्ति उसको समझ सकें।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर)

कुमायूं वन वृत्त के उन क्षेत्रों की सूची जिनमें Soil Erosion को रोकने के लिये बृक्षारोपण हुआ है।

	वृक्षारोपण किया गया			वृक्षारोपण करने का निर्धारित क्षेत्र
	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६
	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़
पश्चिमी अल्मोड़ा	१७	३००	७५०	७५०
पूर्वी अल्मोड़ा ..	३३	१०६	३५०	३५०
नैनीताल ..	५०	१६०	६००	७००
गढ़वाल ..	३६	६२	३५०	६५०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३० पर)

ग्राम हिराज पट्टी में हुये कत्ल का विवरण।

२० सितम्बर सन् १९५४ की रात को करीब ११ बजे ग्राम हिराज पट्टी के दो व्यक्तियों ने करीब २० आदमियों को लेखपाल श्री सूरज नारायण लाल के घर की ओर जाते हुये देखा। उन्हें चोर समझ कर उन लोगों ने शोर मचाया। शोर सुन कर श्री सूरजनारायण लाल, जो अपने घर के अन्दर सो रहे थे, अपनी बंदूक लेकर बाहर आये। संदिग्ध व्यक्तियों को गांव के लोग समझ कर वह उनके पास चले गये। जाते ही उनपर लाठियों और बरछियों के प्रहार हुये, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अभी तक ८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच अभी जारी है।

संसद सदस्य

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ व ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३३ पर)

जिला आजमगढ़ के थाने घोसी और दोहरी घाट में सन् १९५२–१९५४ तक होने वाले अपराधों की सूची

नाम थाना	वर्ष	डकैती			कत्ल			बलवा			चोरी		
		रीपोर्ट की गई	अदालत में चल रहे हैं	फाईनल रिपोर्ट लगा दी गई	रिपोर्ट की गई	अदालत में चल रहे हैं	फाईनल रिपोर्ट लगा दी गई	रिपोर्ट की गई	अदालत में चल रहे हैं	फाईनल रिपोर्ट लगा दी गई	रिपोर्ट की गई	अदालत में चल रहे हैं	फाईनल रिपोर्ट लगा दी गई
१—घोसी	५२	–	–	–	–	–	–	७	१	–	३३	२	२१
	५३	–	–	–	–	–	–	१	–	–	३०	–	२०
	५४	१	१	–	१	१	–	५	२	१	३८	११	१८
२—दोहरी घाट	५२	२	–	–	१	–	–	–	–	–	१८	–	१०
	५३	१	–	–	–	–	–	–	–	–	१२	३	६
	५४	–	–	–	१	–	१	३	२	–	१६	५	७

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३२६ एल० ए०—१९५५—७९६।